खण्ड-404, अंक-5
सोमवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1914
(23 मार्च, 1992 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | |
| नियम 31। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराये जाने की मांग .. .. .. | 1-6 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 6-107 |
| नियम 301 की सूचनाएं .. .. .. | 107-108 |
| जनपद गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग के अधूरे मार्गों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 108-109 |
| जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के बाजारों तथा ग्राम सभाओं में लगे बिजली के खमभों व तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 109 |
| आगरा के मुहल्लों में व्याप्त गंदगी की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 109-110 |
| जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया गांवों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 110 |
| वाराणसी में नई काशी बनाने हेतु 40 ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत न कर अन्यत्र निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 111 |
| आगरा में बरौनी अटीर माइनर नहर की पटरियां, कुलाबे और गूलें बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 111 |
| जनपद बस्ती में केन यूनियन द्वारा अनियमित पर्ची वितरण एवं फर्जी बेसिक कोटे की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 111-112 |
| नियम 31। की सूचनाएं .. .. .. | 112-113 |
| श्री अंगद यादव, सदस्य विधान सभा जनपद आजमगढ़ के ऊपर हुए प्राणघातक हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 31। के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 113-122 |
| श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा फाजिलनगर, देवरिया के ऊपर हुए प्राण घातक हमले के सम्बन्ध में नियम 31। के अन्तर्गत सूचना .. | 122-161 |
| नगर पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र के वाराणसी स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों को अपमानित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 31। के अन्तर्गत सूचना .. .. | 161-163 |
| नगर पालिका शाहजहांपुर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 31। के अन्तर्गत सूचना .. | 163 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सदन की कार्यवाही स्थगित करके शेष सभी नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं को अगले दिन लिए जाने की मांग .. .. | 163-164 |
| नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को अगले दिन दिये जाने की छूट के साथ निरस्त .. .. | 164-165 |
| प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं के बहिष्कार का निर्णय लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 165-171 |
| जनपद बांदा में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना तथा अन्य पर शासन का ध्यानाकर्षण .. | 171-172 |
| उत्तर प्रदेश सहकारी (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. .. | 172 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. | 172 |
| उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. .. | 172 |
| उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अधिवक्ताओं का आबन्धन) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. | 172 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. | 173 |
| उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. | 173 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958, उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 (सदन के पटल पर रखा गया) .. .. .. | 173 |
| राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय का पत्र .. .. | 173 |
| उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. .. .. .. | 174 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एवं नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. .. | 174 |
| उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. | 174 |
| उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. .. | 174 |
| उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. .. | 175 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 (श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. .. | 175 |
| उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 श्री राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियमित होने की सूचना) .. | 175 |
| उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 (पुर:स्थापन) | |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं का नियम 311 की सूचनाओं के साथ निस्तारण .. .. .. | 176 |
| आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का अगले दिन के लिए स्थगन .. | 176 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें .. .. | 176 |
| उत्तर प्रदेश मेडिकल लैब टेक्निशियन संवर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य | 176-178 |
| जनपद उन्नाव में विकास विभाग के शिथिल तथा दोष सिद्ध अधिकारियों के कार्यरत रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | 178-179 |
| प्रदेश में बेतहासा बढ़ रही महंगाई को रोकने हेतु ऐक्शन प्लान के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन .. .. | 179 |
| उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1992-93 की वित्तीय समितियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा स्थायी समितियों में नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. .. | 179-180 |
| नत्थियां .. .. .. .. | 181-185 |

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| अजय प्रताप सिंह, श्री | गोण्डा | नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल |
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद | पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर |
| अब्दुल ए0 सलाम, श्री | आजमगढ़ | बलराम यादव, श्री | आजमगढ़ |
| अरविन्द कुमार, डा0 | ललितपुर | बाबूराम एम0काम, श्री | जालौन |
| अरिदमन सिंह, श्री | आगरा | बी0के0 गुप्ता, श्री | पीलीभीत |
| अवध पाल सिंह, श्री | एटा | भागवत पाल, श्री | मिर्जापुर |
| अशोक कुमार, श्री | लखनऊ | मदन भैया, श्री | मेरठ |
| अशोक दुबे, श्री | इटावा | महेन्द्र सिंह भाटी, श्री | गाजियाबाद |
| इजहार आलम खां, श्री | फर्रुखाबाद | मोहम्मद मुकीम, श्री | सिद्धार्थ नगर |
| उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर | रमाकांत यादव, श्री | आजमगढ़ |
| ओमकार सिंह, श्री | बदायूं | रामपाल वर्मा, श्री | हरदोई |
| ओम प्रकाश, श्री | गोरखपुर | राम सरन वर्मा, श्री | पीलीभीत |
| कंवर पाल मास्टर, श्री | सहारनपुर | राम सरन सिंह, श्री | अलीगढ़ |
| कमलेश कुमार, श्री | गोण्डा | राम सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| किशोरी श्याम, श्री | मथुरा | लल्लू सिंह, श्री | फैजाबाद |
| कृष्ण कुमार, श्री | इटावा | विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| केशव सिंह, श्री | जालौन | वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फर नगर |
| गंगा भक्त सिंह, श्री | हरदोई | वेद प्रकाश, श्री | बस्ती |
| गन्धर्व सिंह, श्री | मैनपुरी | शिव पूजन राम, श्री | वाराणसी |
| छेदी लाल, श्री | गोण्डा | शिव प्रताप शुक्ल, श्री | गोरखपुर |
| ज्ञानवती सिंह, श्रीमती | अलीगढ़ | शिवेन्द्र सिंह उर्फ | महराजगंज |
| ज्ञानेन्द्र, श्री | महराजगंज | शिव बाबू, श्री | |
| तीरथ राज, श्री | सोनभद्र | श्याम देव राय चौधरी, श्री | वाराणसी |
| तेज नारायन त्रिवेदी, श्री | लखीमपुर खीरी | श्याम नारायण, श्री | महराजगंज |
| धनीराम वर्मा, श्री | इटावा | श्याम सुन्दर शर्मा, श्री | मथुरा |
| धर्मपाल यादव, श्री | बुलन्दशहर | श्री निवास, श्री | देवरिया |
| नरेन्द्र सिंह, श्री | फर्रुखाबाद | सुरेन्द्र शुक्ला, श्री | देवरिया |
| नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री | बुलन्दशहर | हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |
| नवल किशोर, श्री | बुलन्दशहर | हरि शंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |
| नवाब सिंह, श्री | मथुरा | हरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

**नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्रश्नकाल स्थगित करके चर्चा कराए जाने की मांग**

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्यों को होली की शुभकामनाएं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कार्यवाही प्रारम्भ करने के पहले, आज सदन में कुछ ऐसी उत्तेजना है, तीन घटनाएं ऐसी घटित हो गयी हैं, वैसे तो चार घटनाएं हैं, ये चार घटनाएं ऐसी घट गयी हैं कि माननीय सभी नेताओं, सभी पार्टियों के सम्मानित नेताओं और सदस्यगण का विचार है कि उसकी गम्भीरता को देखते हुए सदन में और कोई कार्यवाही, क्वेश्चन आवर न प्रारम्भ करके, पहले उन चारों घटनाओं के बारे में सुन लिया जाय क्योंकि सदन में आज बड़ी उत्तेजना है । एक तो न्यास को जमीन दे दी, गुपचुप । विधान सभा चल रही है और विधान सभा को बिना बताए हुए, विधान सभा को बिना विश्वास में लिए हुए इस तरह का काम सरकार कर रही है । इससे साबित हो गया है कि सरकार, आज जो लोगों की जन-समस्याएं हैं, उनको दूर करने में पूरी तरह से अक्षम हो गयी है और वह जमीन न्यास के लिए थी, ट्रस्ट की जमीन को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार सरकार को नहीं था । मैं बता दूं, निर्णय तो आपको करना है । इससे पूरे प्रदेश में तनाव बढ़ गया है और फिर से इस प्रदेश को दंगों में झोंकने की साजिश सरकार कर रही है । इससे गम्भीर विषय और नहीं हो सकता । है । दूसरा विषय श्री विश्वनाथ सिंह, विधायक के मामले पर दो दिन पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया, लेकिन 17 तारीख को फिर उन पर प्राणघातक हमला किया गया । संयोग से लोग इकट्ठे न हुए होते हम विश्वनाथ जी को इस सदन में जीवित न देख पाते । इससे घृणित काम और नहीं हो सकता है । बार-बार कहा जाता है, गृह राज्य मंत्री से मैं अपेक्षा नहीं करता था कि इतने नीचे स्तर का काम वे कर सकेंगे । विश्वनाथ जी और ब्रह्मशंकर जी, भूतपूर्व विधायक इतने सहमे हैं कि कहते हैं कि आज उनका अपने क्षेत्र में विधायक का कार्य सम्पादित करना असम्भव हो गया है । इससे गम्भीर विषय और नहीं हो सकता है । इसी तरह से अंगद यादव के शैडो और उनके एक रिश्तेदार को होली वाले दिन मार दिया गया और पुलिस आज तक कोई कार्यवाही नहीं कर पायी । अंगद सिंह यादव ने स्वयं कहा है कि मुझे किसी भी समय जान से मारने की साजिश की जा रही है । माननीय विधायक का इस तरह से उत्पीड़न किया जायगा और जान से मारने की कोशिश की जायगी तो भयमुक्त समाज कहां रहेगा ? इसी तरह से बहराइच में

9 अकलियत के लोगों को मारा गया । पूरे बहराइच में लोग डरे और सहमे हैं । इस तरह की घटनाएं प्रदेश में निरन्तर हो रही हैं और सरकार उनको रोकने में अक्षम हो गयी है । मान्यवर, सहारनपुर में इसी तरह की घटना हुई । पूरे प्रदेश में चारों ओर ऐसा ही हो रहा है । मेरा आग्रह है कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दें और जो इतनी गम्भीर घटनाओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया है, इन पर चर्चा करावें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल ने आप सबकी ओर से अपने विचार व्यक्त किये हैं । अनेक बार जब प्रश्न काल स्थगित हुए हैं, तो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि इससे माननीय सदस्यों के बहुमूल्य अधिकारों का हनन होता है । एक प्रक्रिया है और उसके अन्तर्गत नियम 3।। और नियम 56 की हमारे पास जो सूचनाएं हैं, उनको हमने एक साथ लेने का निर्णय लिया है । प्रश्न काल समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी औपचारिकताएं हैं, कुछ कार्य पटल पर रखने के लिए लम्बित हैं उसके पश्चात् इन सब विषयों पर विचार कर लिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

नियम 3।। और नियम 56 को एक में मिला दिया । मान्यवर, आप तो स्वयं नियमों के ज्ञाता हैं, नियम 3।। अलग चीज है और नियम 56 अलग चीज है । एक में दोनों को मिलाने का कोई औचित्य नहीं है । आप मान्यवर या तो नियमावली को बदल दें या तो नियम के अनुसार चलने दें । आज पूरे प्रदेश को स्वयं आग में झोंकने का काम यह सरकार कर रही है । विधायकों के ऊपर हमला कराने का कार्य यह सरकार कर रही है । अपनी असफलता को छिपाने के लिए यह सरकार लाठी और गोली के बल पर समाज के हर एक वर्ग को दबाना चाहती है । मेरा निवेदन है कि इस अत्यन्त गम्भीर विषय पर प्रश्न काल को स्थगित करके इसको ले लें ताकि सदन के सामने सारे तथ्य आ सकें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपने हमें स्वयं नियमों के माध्यम से अधिकार दिया है ।

(घोर व्यवधान)

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो समस्यायें आपने उठाई हैं, वह समस्यायें आपके सामने आ जायंगी । माननीय विश्वनाथ जी की भी समस्या आ जायगी । इसका मैं आश्वासन देता हूं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत ही गम्भीर है । माननीय विधायक विश्वनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण हुआ और आगे भी आक्रमण होने की सम्भावना है, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है, वह प्रश्न सर्वोपरि है । माननीय अंगद यादव का शैडो मारा गया । भय और आतंक पैदा हो गया है । बहराइच में लोग मारे गये । मैं तो अभी माननीय मुख्य मंत्री से बात कर रहा था कि पुलिस का दिमाग इतना ऊंचा हो गया है कि किसी भी शरीफ आदमी को बदनाम कर दें । सहारनपुर के माननीय रसीद मसूद, एम0पी0 के बारे में श्रीमती विमला राकेश, माननीय राणा जी, माननीय मो0 हुसैन, माननीय कुंवर पाल सिंह स्वयं बतायेंगे, लेकिन इस प्रकरण के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम ऐक्शन लेंगे, इसलिए मैं इस प्रकरण को इस समय नहीं ले रहा हूं । लेकिन जो कुछ काण्ड हुआ है, उसको बड़ी गम्भीरता से आप लें । पूरे प्रदेश के अन्दर भय-मुक्त समाज बनाने वाले लोगों ने भय-युक्त समाज बना दिया है । न्यास का जो मामला है, पर्यटन विभाग के लोग जमीन लें और बनाने के लिए राम मन्दिर की चर्चा हो, राम मन्दिर बनाने में विपक्ष बाधक नहीं है, लेकिन जिस तरह से मन्दिर के पुजारियों को हटाया जा रहा है, मन्दिर को तोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया सही नहीं है । अगर विधायकों की सुरक्षा नहीं करायेंगे तो हमारे सारे विधायक खतरे में होंगे । अभी माननीय छोटे लाल यादव पर कातिलाना हमला हुआ था, लेकिन आज तक उनको शैडो नहीं मिला । 307 की रिपोर्ट दर्ज हुई । वह यहां के राज्य मंत्री रह चुके हैं । लेकिन आज तक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी । माननीय अंगद यादव का जो शैडो था, वह मारा गया और उनको स्वयं भी डर है कि किसी समय उन पर हमला न हो जाय । माननीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि हम इनसे निपट लेंगे, शायद माननीय स्वामी नाथ यादव का प्रश्न था और हम एक दूसरे से निपटने के लिए कहेंगे, तो सदन का गौरव गिरेगा । 14 करोड़ आबादी के 425 विधायक यहां पर बैठे हुए हैं । मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रश्नकाल को स्थगित करके हम लोगों की बात सुनें ताकि आगे की कार्यवाही हो सके ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन यह था कि इन सारे विषयों को प्रश्न काल के समाप्त होने पर लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आज सम्पूर्ण विपक्ष इस पर चिंतित है । अभी माननीय नेताओं ने बहुत सी बातें कही हैं और मुख्य मंत्री से बात भी हुई है । विश्वनाथ सिंह पर हमला हुआ, अंगद यादव जी के शैडो को मार दिया गया और उनको खतरा उत्पन्न हो गया है, सांसद रसीद मसूद पर हमला हुआ है । इन्हीं 6-7 दिनों में यह सारी घटनायें हो गयी हैं । सत्र चल रहा है और विधान सभा की बैठक होनी थी, इसके

बावजूद भी मंदिरों को तोड़ा गया और इस कारण प्रदेश की 13 करोड़ जनता रोष में है । मंदिरों के तोड़े जाने का मसला, विधायकों की सुरक्षा का मसला और इसी तरह के तमाम मसले जो हैं, वह बहुत ही गम्भीर हैं । इसलिए इन पर पहले आप चर्चा करा दें । अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी ने कहा, माननीय कैलाश नाथ यादव जी ने कहा और माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि प्रश्नकाल को स्थगित करके इन मसलों पर पहले चर्चा करा दी जाये, तो आप पहले चर्चा करा दें । इससे और अधिक क्या हो सकता है ?

श्री राम लखन-

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नरेश अग्रवाल और कैलाश नाथ यादव जी ने अपने विचार व्यक्त किये और यह अपेक्षा की कि आप प्रश्नकाल को स्थगित कर के इन मुद्दों पर चर्चा करा दें । यह बहुत गम्भीर मुद्दे हैं । विधायकों की सुरक्षा का सवाल है, अंगद यादव की सुरक्षा का सवाल है, उनके शैडो को मारा गया । उनका शैडो जब पुलिस-स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाने जा रहा था तो उसे मारा गया है, उस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । उनका रिश्तेदार मारा गया और उनकी जान का खतरा बना हुआ है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आप पहले इन पर चर्चा करा दें ।

श्री ऊदल-

माननीय नेता विरोधी दल ने और अन्य माननीय नेताओं ने अभी अपने विचार व्यक्त किये । जिन प्रश्नों को आपके सामने उठाया गया है, वह बहुत ही गम्भीर प्रश्न हैं । नियमावली के अन्तर्गत आपको अधिकार है कि प्रश्नों को स्थगित कर सकते हैं और इससे बड़े महत्वपूर्ण मसलों पर जो कि विधान सभा में कभी सामने पर नहीं आये हैं, विधायकों की सुरक्षा का सवाल है, उनकी जान खतरे में है और उन पर हमले हो रहे हैं । बहराइच में 9 लोगों को मार दिया गया । अंगद यादव का मामला है, रसीद मसूद का मामला है और कई लोगों पर हमले हुए हैं । मैं समझता हूं कि इतने गम्भीर मामले विधान सभा के सामने कभी भी नहीं आये हैं इसलिए आप प्रश्नकाल को निलम्बित करें और इन पर चर्चा करा दें और आज एक ऐतिहासिक कार्य करें और लोगों को सुनें और सरकार पक्ष को भी सुनें और सरकार आज प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था खतरे में है, साम्प्रदायिक भावनायें काफी चरम सीमा पर हैं और सरकार हर क्षेत्र में असफल हुई है । आपसे निवेदन है कि आप नियमों को सस्पेंड करें और इन पर चर्चा करा दें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

आपने नियम 56 और 311 की सूचनाओं को जोड़ने के लिए कहा है, तो मेरा निवेदन है कि यह तो दोनों अलग-अलग हैं । एक साथ कैसे ले सकते हैं ? नियम 56 कार्य-स्थगन प्रस्ताव है । नियम 311 नियमों का निलम्बन है । दोनों को एक साथ जोड़ना नियमावली के विरुद्ध है ।

श्री दीनानाथ यादव-

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यह केवल विधायकों पर हमले का ही सवाल नहीं है, माननीय अंगद यादव के भाई और साढ़ू पर हमले किये गये । इसको उन्होंने लिखकर दिया है । इसमें पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं । आप इस पर चर्चा करा दें ।

मान्यवर, सारी की सारी धमकी मुझे उसने दे दिया और कहा कि मेरे पास अर्द्धसैनिक बल है, पी0ए0सी0 है, फोर्स है, मैंने इसलिए इसका जिक्र कर दिया, मैं कहना नहीं चाहता था, हमारे सूबे की हालत बहुत गम्भीर हो गयी है और हम विधायकों को चलना फिरना मुश्किल हो गया है । मान्यवर, रसीद मसूद पर हमला हो जाता है, बहराइच में 9-9 लोगों की हत्या हो जा रही है, अयोध्या में भूमि अधिग्रहण किसी चीज के लिए हो रहा है और काम कुछ और कराया जा रहा है । एक तरफ हम लोगों पर हमला हो रहा है, सूबे का वातावरण सम्प्रदायिक बनाया जा रहा है, ऐसी सूरत में मेरी आपसे 100-100 बार गुजारिश है कि सभी नियमों को निलम्बित करके सबसे पहले जो नेता विरोधी दल ने सवाल उठाया है, उस पर चर्चा की जानी चाहिए और उसके बाद सदन की आगे की कार्यवाही चलनी चाहिए ।

श्री अंगद सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जान पर आज खतरा बना हुआ है, इसमें बड़े-बड़े अफसर लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है यह सरकार लगी हुई है कि मैं कैसे जीत गया, जो यादव खटिया पर नहीं बैठने वाला है, वह आज कैसे जीत कर आ गया,कैसे विधायक बन गया ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी रक्षा करें, आपके सिवा और कौन मेरी रक्षा कर सकता है, आप मेरी रक्षा करें ।

श्री अध्यक्ष-

सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि जो विषय उठाया गया है ....

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, यहां पर माननीय नेताओं ने अनेक विषय उठा दिये सरकार भी एक-एक विषय पर उत्तर देना चाहेगी । मैं समझता हूं कि जो प्रश्नोत्तर काल है यह यथावत् चालू रहे और फिर यह आपका अपना अधिकार है कि किस सूचना पर लोगों को आप बुलाते हैं जिस सूचना पर आप बुलवायेंगे उसमें कहने का पूरा मौका होगा और शासन को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका होगा । मैं कोई भी चीज छिपाना नहीं चाहता हर चीज जो होगी उसको सदन में लाने की कोशिश करूंगा । अभी एक साथ इतने प्रश्न खड़े कर दिये गये हैं कि अगर उन पर चर्चा करने लग जायं तो प्रश्नकाल चला जायेगा । माननीय नेताओं से मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण है । जो कुछ आपने कहा है उनका उत्तर मैं शासन की ओर से अभी सुरक्षित रख रहा हूं जब दुबारा फिर उठायेंगे तो एक-एक इश्यू पर उत्तर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रश्नकाल के महत्व को देखते हुए और इसके बाद जो कार्यसूची में विषय हैं वह बहुत कम समय वाले हैं ।

(श्री निजामुद्दीन, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री अंगद यादव सिंह द्वारा एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी और आपने जो कहा है ...(व्यवधान)

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री निजामुद्दीन तथा कुछ अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये )

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, अंगद यादव का शैडो मारा गया और इनकी भी जान का खतरा बना हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं विचार करूंगा, सब पर विचार होगा ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

प्रश्नकाल के तत्काल बाद आप इन मसलों को सुन लें उसके बाद अन्य कार्यवाही हो ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल के तत्काल बाद, मैं आपके सामने रख रहा हूं केवल कुछ तो मुद्दे ऐसे हैं जो पटल पर रखने हैं उसमें 5-5 सेकेण्ड का समय लगना है कुछ सूचनाएं सचिव देंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट लग जायेगा ।

श्री लाल जी वर्मा-

जो मुद्दे उठाये गये हैं पूरी तरह से नियम 3।। में आते हैं । यह देश को बांटने की साजिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 56 में पहली सूचना प्रस्तुत हुई है, उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा ।

# प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

## सामाजिक वानिकी योजना के सम्बन्ध में जानकारी

**।. -श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी योजना इस प्रदेश में कब से चल रही है और इसके कब तक चलने की सम्भावना है ? इस योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा इससे जनता को क्या लाभ हुआ ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

प्रदेश के मैदानी जनपदों में विश्व बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी प्रायोजना वर्ष ।979 से कार्यान्वित की जा रही है और इस योजना के मार्च, ।993 तक चलने की सम्भावना है ।

इस योजना पर दिसम्बर, ।99। तक कुल रुपया 270.।8 करोड़ का व्यय हुआ है तथा इस योजना के अन्तर्गत सड़क, नहर, रेलवे लाइन, ग्राम समाज तथा निम्नीकृत वन भूमि पर विविध प्रजातियों का रोपण करके ग्रामीण जनता को ईंधन, चारा, पत्ती तथा लघु प्रकाष्ठ की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति हुई है तथा उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं-।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना ।993 तक चलनी है, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव करेंगे कि ।993 के बाद भी उस योजना को चालू रखा जाय विश्व बैंक के माध्यम से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इसे चालू रखने की कृपा करेगी ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यह योजना सितम्बर, ।985 में प्रारम्भ हुई थी, दिसम्बर 90 तक चलनी थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकताओं पर बल दिया है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष एक-एक वर्ष इस योजना का विस्तार किया जा रहा है । मार्च, 92 तक उसकी स्वीकृति है और मार्च, 93 तक की मिल जाने की प्रत्याशा है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

रुपये के अवमूल्यन के कारण विश्व बैंक ने इस योजना को 93 तक चालू किया, यदि ऐसा है तो क्या कोई प्रस्ताव शासन के माध्यम से भारत सरकार को करना चाहते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को देखते हुए क्या इसको विश्व बैंक को भिजवाने का कोई प्रस्ताव पेश कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या वित्तीय संसाधनों को देखते हुए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसका आने वाली योजनाओं में जारी रखा जाय ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जैसा आपको मालूम है रुपये के अवमूल्यन का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, केन्द्र के पास है और वह इसको समय-समय पर करते रहते हैं । प्रदेश में सामाजिक वानिकी की आवश्यकता है और सरकार इसके प्रति सचेत है । जैसा माननीय सदस्य ने 1993 के बाद योजना चलाये जाने का सुझाव दिया है, तो इसका परीक्षण करा लेंगे, इसका सकारात्मक परीक्षण कराने की दिशा में प्रयास करेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैं इस सदन के सामने फर्जी आंकड़ों के कुछ अंश रखना चाहता हूं और मंत्री जी से जवाब चाहता हूं । सामाजिक वानिकी के अंतर्गत जो पेड़ लगते हैं उनकी दूरी होती है एक-डेढ़ मीटर, पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ पेड़ लगाये गये जिसके लिए जमीन की आवश्यकता हुई 10 लाख वर्ग मीटर ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

पिछले कितने वर्षों की बात कर रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल-

पिछले 10 वर्षों की बात कर रहा हूं ।

श्री कल्याण सिंह-

इसमें हमारा तो 8-10 महीने का ही कार्यकाल रहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

उत्तर प्रदेश के पास 2,94,061 वर्ग मीटर जमीन है । मैं जानना चाहता हूं कि जितने पेड़ लगे हैं उसके लिए अतिरिक्त भूमि कहां से आयी ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यह अनुपूरक प्रश्न उठता ही नहीं है ।

श्री ऊदल-

क्या इस योजना की कोई समीक्षा करवायी है जब तक कि कितने पेड़ लगवाये गये उसमें कितने जीवित हैं ? इन्होंने बताया कि रेलवे लाइनों के किनारे वनीकरण की योजना सामाजिक वानिकी में है, दो मार्गों पर लखनऊ सुल्तानपुर से जौनपुर और वाराणसी-फैजाबाद-लखनऊ जहां तीन-तीन बार इस तरह की योजना बनायी गयी क्या इसकी भी समीक्षा की गयी कि सरकार ने वहां कितने पेड़ लगवाये हैं उसमें कितने जीवित हैं ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी क्या आपने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न सुल्तानपुर आदि से सम्बन्धित है वह इस प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, चूंकि मंत्री जी ने रेलवे लाइने के किनारे वनीकरण का जिक्र किया है, इसलिए मैंने यह पूछा यह इसी से सम्बन्धित है, इसका उत्तर दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रथम चरण में वृक्षों की जो संख्या थी, वह 15 करोड़ के लगभग है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष कितने वृक्ष लगाये गये उसके लिए कितनी -कितनी भूमि अधिगृहीत की गयी और उत्तर प्रदेश के पास कितनी भूमि की उपलब्धता है और इसके लिए कितनी आवश्यकता है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से प्रश्न पूछा है उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, सामाजिक वानिकी में जो पेड़ लगाने के नियम बनाये गये हैं उसमें यह है कि इस हिसाब से इस किस्म के पेड़ लगाये जायें क्या यह सही है कि इस किस्म के पेड़ लगाने के आदेश है या सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया है जिससे कि समाज की जलौनी लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके और वन क्षेत्र को आच्छादित किया जा सके ताकि पर्यावरण भी बचाया जा सके । क्या इस तरह के कोई आंकड़े माननीय मंत्री जी के समक्ष आये हैं और उन्होंने इसकी समीक्षा करायी है । क्या यह भी सही है कि महालेखाकार ने अपनी 1985-86 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वन विभाग ने इन किस्म के पेड़ों को नहीं लगाया बल्कि ऐसे पेड़ लगाये जा रहे हैं जिनका उपयोग चारा और जलौनी लकड़ी के लिए न होकर टिम्बर के लिए उपयोग है जिसको कि वन विभाग को अपने धन से लगाना चाहिए ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, यह सही है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के पीछे जो लक्ष्य था वह पर्यावरण में सुधार, ईंधन तथा चारे की उपलब्धता, गांव का सामाजिक संतुलन, प्रकाश तथा विभिन्न प्रजातियों की उपलब्धता भी बनी रहे । क्योंकि जितनी लकड़ी

की आवश्यकता आज है प्रकाश के लिए लकड़ी के लिए, इतनी उपलब्धता नहीं है इसलिए सामाजिक वानिकी का विस्तार किया जा रहा है वृक्ष लगाये जा रहे हैं उसमें चारे की उपलब्धता है जलौनी लकड़ी की उपलब्धता है माननीय सदस्य ने जो कहा, यह कहना बहुत तर्कसंगत नहीं है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का तो उत्तर अभी आया ही नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पेड़ सड़कों के किनारे लगाये जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो बाड़ बनायी जाती है, प्राय: यह देखने में आया है कि वह एक महीने के अन्दर ही समाप्त हो जाती है, तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई नीति सरकार ने बनायी है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, सभी स्थानों पर बाड़ नहीं लगायी जाती है और न लगा पाना सम्भव है । इसमें वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी । जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम उसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार को नियुक्त करते हैं जो उनकी देख-रेख करता है तो इस तरह से हम उन पेड़ों को जीवन दे रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मानयवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1976 से प्रारम्भ हुए सामाजिक वानिकी परियोजना में सरकारी आंकड़ों के अनुरूप जैसा कि अभी बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 113.94 करोड़ पेड़ लगाये जा चुके हैं तो क्या माननीय मंत्री जी हमारा इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि 113.94 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी (ख) इस भूमि पर लगे हुए पेड़ों की संख्या क्या है तथा इसमें जनता को क्या लाभ होगा । (ग) इस संदर्भ में अप्रवासी भारतीयों ने वर्ष 1989 में एक पत्र लिखा था कि वह प्रति वर्ष 125 डालर उत्तर प्रदेश सरकार को देंगे तो इस तरह से इसमें विश्व बैंक की सहायता की आवश्यकता कहां रह जायेगी क्योंकि 25 करोड़ डालर का प्रस्ताव दिया था अप्रवासी भारतीयों ने.....

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न बहुत ही विस्तीर्ण है इस पर सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

तो मान्यवर, मेरे प्रश्न के प्रथम अंश का उत्तर ही दिलवा दें कि 113.94 करोड़ वृक्ष को लगाने में कितने भूमि की आवश्यकता हुई और जो चालू वित्तीय वर्ष में 113,94 करोड़ वृक्ष लगाये गये हैं उसमें से कितने वृक्ष जीवित हैं ?

श्री श्याद अली-

मान्यवर, मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी तक आपको तो अनुमति नहीं दी है । अभी माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । माननीय मंत्री जी अगर आपके पास सूचना है तो कृपया माननीय अवस्थी जी के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जब से हमारी सरकार आयी है तब से एक हैक्टेयर में दो हजार वृक्ष लगाये जा रहे हैं और जो यह आंकड़े दिये गये हैं वह माननीय अवस्थी जी की सरकार के हैं । हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है उसी के अनुरूप एक हैक्टेयर में दो हजार वृक्ष लगाये जा रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जा रही है । यदि किसी प्रकार की अनियमितता हो तो हमें बतायें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में हमारा नाम लिया और सरकार की भी बात कही । मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि व्यक्तियों से सरकारें नहीं चला करतीं । यहां पर प्रश्न व्यवस्था का है और आप स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करें । मान्यवर, मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप किया गया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैंने कोई आक्षेप नहीं किया है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ-

मान्यवर, यदि इनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो क्या इसके लिए मैं दोषी हूं ? आप इस प्रश्न को स्थगित करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग एक-एक करके बोलें, मैं सभी को मौका दूंगा ।

(श्री दलवीर सिंह के बिना अनुमति बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । अभी आप बैठ जायं ।

श्री दलवीर सिंह-

( × × × )

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसके लिए आप अलग से प्रश्न करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जो ग्राम समाज की भूमि है, सड़कों, रेल लाइनों, नहरों की भूमि है, जो ग्राम समाज के अन्तर्गत आती है, जिन्हें वृक्षारोपण के लिए लिया गया है, क्या सरकार द्वारा उन्हें ग्राम समाज का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है यदि हां तो कब तक दे देंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, प्रश्न फिर से दुहरवा दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव समाज, रेल लाइनों, सड़कों, नहरों की जो भूमि है, जिसे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए लिया गया है, क्या उसे उन गांवों को देने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है और उसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, अब तक जो व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत जो ग्राम समाज की भूमि है, उस भूमि के बारे में जब ग्राम सभा से अनापत्ति मिलती है और उनका प्रस्ताव मिलता है, उस समय वन विभाग सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां पर वृक्षारोपण करता है और 3 वर्ष तक उसके सिंचन, उसके विकसित होने की पूरी व्यवस्था करता है, उसके बाद वह सभी लगाये गये वृक्ष ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं और उस पर उनका मालिकाना हक होता है । यही व्यवस्था है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह सत्य से परे है । सड़कों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे व नहरों के किनारे जो भूमि ग्राम समाज के अंतर्गत आती है, क्या वह उन्हें दी जायेगी ? यह प्रश्न मैंने पूछा था ।

श्री अध्यक्ष-

सभी भूमि के बारे में उन्होंने उत्तर दे दिया है । अब मैं आगे का प्रश्न लेता हूं ।

## प्रदेश में चल रहे सात फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कर उनके संस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

**2-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 के जनपद वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, मुगलसराय, प्रतापगढ़ व बुलन्दशहर में सात फर्जी

---

नोट:- ( × × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विश्वविद्यालय कार्य करते हुए छात्रों को डिग्री प्रदान कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि सभी विश्वविद्यालय 1956 के विश्वविद्यालय आयोग कानून का उल्लंघन करके गठित किये गये, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदेश सरकार से इन विश्वविद्यालयों को तुरन्त बन्द करने तथा उनके संस्थापकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे किन्तु इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

जी हां,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

जी हां ।

प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं है ।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे मूल प्रश्न के प्रथम दो भागों को तो एडमिट कर लिया परन्तु बाद का जो प्रश्न का हिस्सा था, उसे अपनी नीति के अनुसार उन्होंने छिपा दिया और उत्तर सही नहीं दिया । मेरा पहला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सात फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, इनके फर्जीपन की सूचना सरकार को किस वर्ष प्राप्त हुई और तब से अब तक सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? दूसरा, इन फर्जी विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक कितनी डिग्रियां बांटी गई हैं और उन डिग्रियों से कितने लोगों को रोजगार मिला है ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न का दूसरा भाग बहुत व्यापक है । पहले भाग का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने उत्तर में ही बताया है कि समाचार-पत्रों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 17 फरवरी, 1989 को उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया । तत्काल शासन की ओर से कार्यवाही भी की गई । मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-3 सन 1956)द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की स्थापना की गई थी । उक्त अधिनियम की धारा-2 के अनुच्छेद (एफ) एवं धारा 3 के अनुसार इस समय देश में तीन प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आयोग की स्थापना से इस मूल प्रश्न का कोई संबंध नहीं है । प्रश्न यह पूछा गया कि आपको सूचना कब प्राप्त हुई ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायत मिली थी । तब से सरकार कार्यवाही कर रही है । जो कार्यवाही की गई है, उसे मैं बता देना चाहता हूं । अधिनियम की धारा 23 में यह उपबन्धित है कि उक्त श्रेणी की संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था अपने नाम के साथ "यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय)" शब्द नहीं जोड़ सकती, परन्तु जो संस्थायें अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अपने नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग कर रही थी, वे उक्त अधिनियम के लागू होने की तिथि के ठीक दो वर्ष तक, अर्थात् 4 नवम्बर, 1958 तक अपने नाम के साथ जोड़े गये विश्वविद्यालय शब्द को बनाये रख सकती थीं । स्पष्ट है कि 5 नवम्बर, 1958 के पश्चात् अन्य किसी भी संस्था को "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ करने का अधिकार नहीं था ।

श्री अध्यक्ष-

धारा-23 में क्या अधिकार हैं । यह आप बता रहे हैं । आप यह बतायें कि सूचना मिलने के बाद आपने क्या कार्यवाही की ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जिन 7 फर्जी विश्वविद्यालयों की चर्चा यहां पर हो रही है और उनके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की ? उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं । पहला, नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो काम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर है । इससे 22 संस्थायें सम्बद्ध हैं । चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में विचारार्थ है, इसलिए इस पर कार्यवाही स्थगित रखी गई है । दूसरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ है । यह भी मुन्सिफ, प्रतापगढ के न्यायालय में विधाराधीन है । अतः इस प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा कोई अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

3-नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी अचलताल, अलीगढ़ इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी । जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था के संचालक श्री श्याम सुन्दर शर्मा ने तथ्यों को धोखा देकर उक्त संस्था खोली थी और उसका पंजीकरण किसी तरह करा लिया था । श्री शर्मा के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की गयी और उन्हें जनवरी, 1990 में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और आवश्यक जांचोपरान्त फरवरी, 1990 में स्थानीय न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रेषित कर दिया गया है । अब यह संस्था नहीं चल रही है ।

4-महिला ग्राम विद्यापीठ (विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद इस संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की गयी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्था को निर्देशित किया गया था कि अपने नाम के साथ सम्बद्ध विश्वविद्यालय शब्द को निकाल दें

तथा उपाधियों को बंद कर दें । इस आदेश के अनुपालन में इस संस्था ने अपने पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 1990 द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराया है कि उन्होंने भारत सरकार के निर्देशानुसार मई, 1989 से 'विश्वविद्यालय' शब्द को हटा दिया है और डिग्री देना बंद कर दिया है ।

5-गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग- इसके बारे में जांच की गयी जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने सूचित किया कि इस तरह की कोई संस्था की जानकारी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह-

पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष-

पूरक प्रश्न के उत्तर को कैसे पढ़ा हुआ मान लें ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, छठा है वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय- वाराणसी:-इसके सम्बन्ध में भी कार्यवाही की गयी और 16 दिसम्बर, 1974 से इसे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973) द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों का समेकन एवं संशोधन किया गया और उसके द्वारा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 को निरस्त करते हुए इसका नाम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी कर दिया गया इस तरह वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विलुप्त हो गया । (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है प्रदेश में 7 फर्जी महाविद्यालय चल रहे हैं इसकी जानकारी सरकार को 89 में प्राप्त हो गयी । तो आज तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसके बाद से कितने विद्यालयों ने डिग्रियां दी और उन डिग्रियों पर कितनों को सरकारी नौकरी मिली ?

श्री अध्यक्ष-

मेरी बात सुन लें । प्रदेश और देश में इस तरह से पढ़ने वालों की कमी नहीं है और तथाकथित महाविद्यालय फर्जी सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं । इस प्रश्न पर मैं एक घण्टे की चर्चा करवा लेता हूं ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

## शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा निर्वाह भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*1.-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि बढ़ती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना वर्ष 1992-93 में है ? क्या सरकार बेरोजगारों को निर्वाह भत्ता देने पर भी विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या शिक्षित युवा शक्ति के रचनात्मक उत्पादक उपयोग का कोई ऐक्शन प्लान नई सरकार ने तैयार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाना फिलहाल संभव नहीं है ।

वर्ष 1992-93 की योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से संबंधित सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित की जा रही है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सवाल बड़ा साफ है कि बढ़ती बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना वर्ष 1992-93 में है । जब सरकार सत्ता में आई थी तो उसका नारा था कि हर हाथ को काम देंगे । श्रीमन्, यह प्रश्न नीतिगत है और सवाल का जो उत्तर आया है उसमें लिखा है वर्ष 1992-93 की योजना में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से संबंधित सूचना विभिन्न विभागों से एकत्रित की जा रही है ।

मान्यवर, हमने पूछा है कि क्या शिक्षित युवा शक्ति के रचनात्मक-उत्पादक उपयोग का कोई ऐक्शन प्लान नई सरकार ने बनाया है । मान्यवर, नई सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई नई नीति बनाई है ? उसके बारे में जानकारी हमने चाही थी । आपने उत्तर दिया है कि दफ्तरों से सूचनाएं मंगवा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगार जो करोड़ों की तादात में हैं उनको रोजगार देने के सम्बन्ध में, नई सरकार की कार योजना क्या है ? यह नीतिगत मामला है ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इसमें 25 सितम्बर, 1991 को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म दिवस में प्रदेश के अन्दर रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाने की दर से पांच

योजनाएं घोषित की गई हैं । यह योजनाएं हैं पशु विकास की स्वरोजगार योजना, बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना, सघन मिनी डेरी योजना, चर्म वस्तु उत्पादन एवं विपणन योजना तथा न्यू मांडल चरखा स्वरोजगार योजना । ये योजनाएं शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए स्वतः रोजगार योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है । इस योजना को वित्तीय वर्ष 1991-92 में भी चलाया गया । जिसका लक्ष्य प्रदेश के लिए 16,600 लाभार्थियों के वित्त पोषण का रखा गया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, शिक्षित बेरोजगार हैं और जो योजनाएं लागू की गई हैं ...

(व्यवधान)

यह उत्तर संगत नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा पहले भी होता रहा है । जो दल भी सत्ता में आया है, उसने युवा वर्ग को साथ लेने के लिए चाहे वह रोजगार में हो या बेरोजगार हों, प्रभावी नारे दिये हैं । यह नीतिगत प्रश्न है । पिछली सरकार ने भोंड़ा जवाब दिया है ।

(व्यवधान)

मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कह रहा हूं । अगर आपके पास इतनी बुद्धि होती तो मेरे जवाब से आप मतलब निकाल लेते । मैंने कहा है कि पिछली सरकार ने भोंड़ा जवाब दिया है । मान्यवर, यह बुद्धिहीन लोग तो ऐसे नारे देकर सत्ता में आ गये हैं जिसका भाड़ा अपने आप फूट जायेगा । मान्यवर, मैं तो यह जानना चाह रहा था कि यह जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको अगर यह काम नहीं दे सकते हैं तो उनको कोई भत्ता देने की स्कीम है ? यदि हां, तो हां कहें । नहीं है तो नहीं कर दें । हां ना का सवाल है क्यों कि यह नारा देकर आपने जनता से वोट लिया है ।

एक सदस्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इन्होंने आरोप लगाया है । बुद्धिहीन कहा है ।

श्री अध्यक्ष-

यह असंसदीय नहीं है । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

मोहम्मद आजम खां ने प्रश्न पूछा है । उसका उत्तर नहीं चाहते आप ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, 31 दिसम्बर, 1990 को रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या 31 लाख 18 हजार 928 थी ।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले श्री आजम खां के प्रश्न का उत्तर दे दें । इन्होंने पूछा है कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की कोई योजना है या नहीं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बेरोजगारों को यदि 100 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है तो वह 31 करोड़ 13 लाख 92 हजार 8 सौ रुपये प्रतिमाह होगा । जो किसी तरह से संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

योजना है या नहीं और योजना के अन्तर्गत देना संभव है या नहीं यह दो अलग बात है । आपकी योजना है या नहीं और योजना में है या नहीं यह अलग बात है, तो दोनों में अन्तर समझने की चेष्टा करें । योजना है या नहीं ? यह बता दें ।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस तरह की कोई योजना नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

प्रदेश की जनता को धोखा देने के आरोप में मैं इसके विरुद्ध सदन का अपने दल के सदस्यों के साथ त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री विजय सिंह राणा-

यह प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इसलिए मैं भी इस सदन का, अपने दल के सदस्यों के साथ त्याग करता हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

इन्होंने बेरोजगारों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई है इसलिए मैं भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं । (व्यवधान)

(श्री हृदय नारायण दीक्षित ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री स्वामी नाथ यादव-

यह बेरोजगारों को भत्ता देने में सक्षम नहीं है इसलिए मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री स्वामी नाथ यादव ने सदन का त्याग किया )

**शिक्षा जगत में ट्यूशन की प्रवृत्ति को समाप्त करने हेतु नीति की जानकारी**

*2-श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिवपाल सिंह (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति को (करने या सहयोग करने) बिना जमानती अपराध माना गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा जगत में ट्यूशन करने जैसी प्रतिबद्धता की प्रवृत्ति को समूल समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई नीति बनाने पर विचार करेगी जिससे छात्रों के अभिभावकों को दोहरे आर्थिक भार से बचाया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

जी हां ।

इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा (6) (छ) के अधीन बने विनियमों के अध्याय-तीन के विनियम 63, 64 तथा 65 में प्राविधान उपलब्ध हैं ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

**वर्ष 1991 में बिक्री-कर विभाग द्वारा, कतिपय फर्मों द्वारा किए गए करापवंचन के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग**

*1-श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री माम चन्द्र (अनुपस्थित)-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 1991 तक बिक्री-कर विभाग के करापवंचन कार्यवाही के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ रुपये का टर्नओवर का मामला पकड़ा गया है ? क्या उनसे विभाग ने लगभग सात लाख का जुर्माना भी वसूल किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन फर्मों का नाम बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन फर्मों के लाइसेंस को निरस्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

बिक्रीकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा अप्रैल, 1991 से जुलाई, 1991 तक की अवधि में 401 सर्वेक्षण/अभिग्रहण करके लगभग 38 करोड़ 45 लाख रुपये के टर्नओवर के मामले पकड़े गये हैं ।

विभाग द्वारा उक्त मामले में कोई जुर्माना वसूल नहीं किया गया है । जुर्माना/जमानत केवल उन्हीं मामलों में जमा कराया जाता है जहां रोड/रेल चेकिंग के दौरान हिसाब-किसाब के बाहर का माल पकड़ा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**(सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 1992 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न)**

## कतिपय राज्यों की तर्ज पर अनुसूचित जातियों के हाथ से बनी चप्पलों पर बिक्रीकर समाप्त करने की मांग

*1. -श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों की तर्ज पर उ0प्र0 सरकार अनुसूचित जातियों के हाथ से बनी चप्पलों पर बिक्रीकर खत्म करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि हाथ से चप्पल बनाने के लिए जरूरी इनपुट्स (रबरशीट चमड़ा, रेक्सीन, बफ आदि) पर हपले से ही 8 से 12 प्रतिशत तक बिक्रीकर देय है ? यदि हां, तो इन्हीं वस्तुओं से तैयार चप्पलों पर फिर से बिक्रीकर व सरचार्ज लेने का क्या औचित्य है ?

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (हरद्वार दुबे)-

जी नहीं ।

(2) उक्त इनपुट्स पर 4% अथवा अधिक दर से बिक्रीकर लगता है तथापि निर्माताओं, को कच्चे माल के क्रय पर धारा-4-ख में रियायती दर से क्रय की सुविधा दी गयी है । मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माता कच्चे माल को 4 प्रतिशत को रियायती दर से प्रपत्र-3-ख के विरुद्ध क्रय करने के लिए अधिकृत हैं ।

(3) कच्चा माल तथा उक्त से निर्मित वस्तु दोनों भिन्न-भिन्न मदों के अन्तर्गत कर योग्य होने के कारण उन पर अलग से कर देयता होती है । उक्त नीति निर्मित होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू है । अधिकांश प्रदेशों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, देश के कई भागों में बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि जगहों पर चप्पल बनाए जाते हैं वहां बिक्रीकर खत्म कर दिया गया है । बिक्रीकर खत्म करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के प्रपत्र में साफ-साफ थी, लेकिनइस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि "जी नहीं" चप्पल बनाने

वाले ज्यादातर लोग कमजोर वर्ग के होते हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए इस पर बिक्रीकर खत्म करने पर विचार करेगी क्योंकि चप्पल बनाने में इनपुट्स लगते हैं और चप्पल बनाने में जो सामग्री काम आती है उस पर बिक्रीकर पहले से लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखकर क्या चप्पलों पर से बिक्रीकर समाप्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री हरद्वार दुबे-

मान्यवर, वर्तमान में सरलीकरण योजना के अन्तर्गत इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

बिक्रीकर समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं । यह प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है ।

श्री हरद्वार दुबे-

मान्यवर, बिक्रीकर समाप्त करने का प्रश्न नहीं है ।

दूसरी बात मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि गुजरात, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में चप्पलों पर बिक्रीकर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आगरा में भी चप्पलें बनतीं हैं ।

श्री हरद्वार दुबे-

आगरा में चप्पल बनती हैं । नरेश जी जब लोक सभा का फार्म भरने गये थे तो उनको प्राप्त भी कर लिया था ।

मान्यवर, बंगाल, हिमांचल प्रदेश, पंजाब में 7 प्रतिशत बिक्रीकर है । राजस्थान में 35 रुपये तक के पेयर पर कर से छूट है लेकिन उससे अधिक कीमत की चप्पलों पर 10 प्रतिशत टैक्स है । इसी तरह से मध्य प्रदेश में 50 रुपये तक की पी0वी0सी0 के जूतों चप्पलों पर छूट है, उससे अधिक कीमत की चप्पलों व जूतों पर 12 प्रतिशत टैक्स है । हमारी सरलीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत इस पर हम विचार कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मूल प्रश्न यह है कि रा-मटीरियल पर टैक्स लिया जाता है और जब चप्पल बन जाती है तो उसके बाद फिर उस पर टैक्स लिया जाता है । प्रश्न को शायद गम्भीरता से नहीं लिया गया है और मंत्री जी ने सरकार का छपा हुआ जवाब पढ़ लिया है । मान्यवर, पूछा गया है कि या तो रा-मटीरियल पर से टैक्स

समाप्त कर दें या फिर चप्पलों पर से टैक्स समाप्त कर दें । कोई एक टैक्स समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ?

(ता0 प्र0 सं0-2 पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने मना कर दिया है, उनका कहना है कि सरलीकरण पर विचार किया जा रहा है ।

**जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत सीधी भर्ती के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली बनाकर पेंशन व अन्य सुविधायें प्रदान करने की मांग**

*2-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत सीधी भर्ती के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु सेवा नियमावली बनाकर इन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन व अन्य देय सुविधाएं प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)-

प्रश्नगत कर्मिकों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सेवा नियमावली का प्रख्यापन शासन के विचाराधीन है जिसके प्रख्यापित होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, प्रदेश में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों का गठन 1979 में किया गया था । लगभग 12 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं हुआ है जिससे इनमें कार्यरत कर्मचारियों को अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं । आई0ए0एस0 सुझाव देते हैं कि इसको स्थगित रखा जाय जाबकि आई0ए0एस0 लोगों के लिए नियमावली 1948 में लागू कर दी गयी थी । मैं जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण कब तक कर दिया जायगा ?

श्री हरवंश कपूर-

मान्यवर, जब से वर्तमान सरकार शासन में आयी है तब से कर्मचारियों की सेवा निमयावलियों का निस्तारण किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता

से कार्यवाही चल रही है और शीघ्रातिशीघ्र इसका निस्तारण कर दिया जायगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है और जितनी जल्दी हो सकेगा इसका निस्तारण कर दिया जायगा । इसमें अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि वह विचार के बिन्दु क्या-क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष-

सेवा नियमावली के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । विचार विन्दु तो प्रश्न में ही दिये हुए हैं कि अन्य कर्मचारियों की भांति पेंशन व अन्य सुविधायें दी जायं, यही तो विचार के बिन्दु हैं । किसी विशेष बिन्दु के बारे में अनुपूरक प्रश्न करना चाहें तो कर लें ।

एक सदस्य-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें समय सीमा क्या है ? दो दिन दो वर्ष का समय हो सकता है आप समय सीमा को निश्चित करा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

मैं समय निश्चित नहीं करा सकता ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यथाशीघ्र इसका निस्तारण कर दिया जायगा । 12 वर्ष बीत गये हैं अभी तक सेवा नियमावली का निस्तारण नहीं किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के बारे में शासन की नीति क्या है । क्या दक्षिण भारत की तरह आप करना चाहते हैं ? अन्य विभाग जैसे, प्लानिंग, एग्रीकल्चर आदि जो हैं- क्या उनमें इस विभाग को विलीन करना चाहते हैं या इस संवर्ग को बनाये रखना चाहते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ?

श्री हरवंश कपूर-

मान्यवर, वर्तमान में जो स्थिति है उसमें इनको बनाये रखने की बात है । अन्य जो प्रश्न हैं उन पर विचार कर लिया जायगा और जो भी उचित होगा, कार्यवाही की जायगी ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह दिया कि वर्तमान में ग्राम्य विकास अभिकरणों को बनाये रखने की नीति है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, खाली राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधा देने का ही सवाल नहीं है इससे जनहित भी प्रभावित हो रहा है । ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती के कर्मचारियों का नितान्त अभाव है । अधिकांश कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर आये हैं और उनका समय पूरा हो गया है लेकिन वह अपने मूल विभागों को वापस नहीं भेजे जा रहे हैं । वहां कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा नहीं है इसलिए कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्य नहीं कर रहे हैं । सी0डी0ओ0 या दूसरे अधिकारी ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं । इनको एक ज़नपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करने की क्या व्यवस्था है, यह बताने का कष्ट करें ?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मुख्य प्रश्न यह है कि शासन की नीति क्या है ग्राम्य विकास अभिकरणों के संबंध में ? माननीय राणा जी और माननीय गांधी जी बहुत दिनों तक अभिकरण के सदस्य रहे हैं जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें परिवर्तन करने के बारे में अभी शासन का कोई फैसला नहीं है, वर्तमान रूप में ही रखा जायगा । दूसरी बात जो विसंगति है, माननीय गांधी जी ने बतायी, दुखद है । इतने वर्ष होने के बाद भी उनकी सेवा नियमावली न बनना दुख की बात है । इससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । इसीलिए शासन ने वर्तमान नीति बनायी है कि आठ महीने में अनेकों विभागों की सेवा नियमावली बनायी है । इसकी भी सेवा नियमावली लगभग बनकर तैयार है । इसमें अनावश्यक विलम्ब बिलकुल नहीं किया जायगा । तीसरे जो कहा गया कि क्या ट्रान्सफर किया जायगा, उनको जानकारी है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पंजीकृत संस्था है । उनकी सेवा नियमावली प्रख्यापित होने के पूर्व क्या-क्या चीजें हैं, यह बताना जनहित में न होगा, गोपनीय है, लेकिन आज की स्थिति में ट्रान्सफर संभव नहीं है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या कोई समिति गठित कर रहे हैं ?

(उत्तर नहीं आया)

**वाराणसी महानगर में शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध कम स्थान को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थाओं में दूसरी पाली आरम्भ करने के सम्बन्ध में जानकारी**

*3-श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी महानगर में शिक्षार्थियों के अनुपात में शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अत्यन्त कमी है ? क्या उक्त

समस्या के समाधन हेतु शिक्षण संस्थाओं में दूसरी पाल प्रारम्भ करने तथा आवश्यक संख्या में शिक्षकों को नियुक्त किये जाने पर सरकार अविलम्ब विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां, कतिपय शिक्षा संस्थाओं में स्थानों की कमी है ।

उक्त समस्या के समाधान हेतु कतिपय कार्यवाहियां की गई हैं, जैसे हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की वित्त विहीन मान्यता, जूनियर कक्षाओं में छात्र संख्या कम होने पर उतने अनुभागों की संख्या कम करके उसके समतुल्य अनुभाग हाईस्कूल स्तर पर खोलने तथा विज्ञान/गणित विषयों में आवश्यकतानुसार नवीन पद सृजित किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष -

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है ।

*4 - श्री राम आसरे वर्मा -

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

**सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में फिर से बिक्रीकर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग**

*5 - श्री नरेश अग्रवाल -

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि व्यापारियों के विरोध के कारण प्रदेश की पिछली सरकार ने नए बिक्री कर सर्वेक्षण पर शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी ? क्या यह सत्य है कि इस रोक के कारण प्रति वर्ष कई करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में फिर से बिक्रीकर सर्वेक्षण करने के आदेश जारी कर दिए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरद्वार दुबे -

आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आयुक्त बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश द्वारा कर निर्धारक अधिकारियों को व्यापारियों का "रूटीन सर्वेक्षण" करने से मना किया गया है ।

जी हां, उक्त के कारण राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । करापवंचन की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

बिक्रीकर विभाग की प्रवर्तन इकाइयां अभी भी करापवंचन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर सर्वेक्षण करती हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन्, एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है तरह-तरह के आरोप, प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार पर लगाती है कि योजनाओं की कटौती करके धन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं । दूसरी तरफ प्रदेश सरकार का सोर्स, आफ इन्कम सेल्स टैक्स और आबकारी है । मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को कैसे आदेश आयुक्त बिक्री-कर ने किये हैं और उसके जारी करने का क्या कारण था ? दूसरे जिस तारीख को आदेश जारी किये थे, उसके पहले प्रतिवर्ष, रूटीन सर्वे से कितनी आमदनी होती थी और बाद में जो आमदनी कम हुई उसको कहां से पूरा करेंगे ?

श्री हरद्वार दुबे-

मान्यवर, दिनांक 21-9-85 के आदेश में आयुक्त, बिक्री-कर द्वारा शासन से विचारोपरान्त सभी कर निर्धारक अधिकारियों को केवल सामान्य सर्वेक्षण न करने हेतु निर्देशित किया गया है । माननीय सदस्य उस समय सदन में सत्ता में थे । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य का है उसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष-

आपने पूछा है कि सर्वेक्षण से कितनी आमदनी हुई ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सन् 84 रूटीन सर्वे से कितनी आमदनी होती थी और जो कमी आयी उसे सरकार कहां से पूरा करेगी, मेरा बहुत ही सीधा सा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष-

यह तो स्वतंत्र प्रश्न है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, या तो मंत्री तैयार होकर आया करें, नहीं तो ऐसे जबाव देंगे तो हमारे प्रश्न पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सरकार 1985 में जो आदेश हुए थे, उनको सही मान रही है ? यदि नहीं, तो रूटीन सर्वे के आदेश कब तक जारी कर देंगे ?

श्री हरद्वार दुबे-

मान्यवर, अभी भी सर्वेक्षण हमारे विभाग के तीन विभागों द्वारा किया जाता है । जब शिकायत मिलती है, उसके आधार पर विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा सचल दल द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है । रूटीन सर्वेक्षण के लिए अभी विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी लिखित रूप में तारीख मांग लेंगे तो हम बता देंगे ।

**अपनी सम्पत्ति दान देकर अपने नाम विद्यालय स्थापित करने के प्रतिबंध को हटाया जाना**

*6-श्री नन्द राम-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग अपनी सम्पत्ति दान में देकर अपने नाम से विद्यालय स्थापित कराना चाहते हैं, क्या उन पर पिछली सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था ? क्या इस प्रतिबंध को हटाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द राम-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो अपनी सम्पत्ति को विद्यालय के नाम से दान देते हैं और सिर्फ इसलिए कि उनका नाम रहेगा और उस दान देने पर पूर्व सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है । तो अब यह राम राज्य की सरकार पूर्व सरकार का प्रतिबन्ध हटाने का कष्ट करेंगी ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होती है और उसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान रहा है, तो उसके नाम से विद्यालय अब तक नहीं खोले जाते रहे हैं । मान्यवर, अब यह है कि यदि कुल अनावर्तक व्यय का जो विद्यालय पर आता है, यदि उसमें 50 प्रतिशत किसी व्यक्ति का रहता है, तो अपवाद स्वरूप राजकीय विद्यालय खोला जा सकता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, जो राष्ट्रीय महापुरुष हैं, उनके नाम पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण किया जावेगा ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं ।

## प्रदेश में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल व इण्टर मीडिएट विद्यालयों की संख्या की जानकारी

*7-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने इण्टरमीडिएट व हाई स्कूल वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं ? क्या शिक्षा की समानता के लिए इन विद्यालयों को वित्तीय सहायता देने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसी स्थिति में सरकार मान्यता पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या हाईस्कूल वित्त सहित तथा इण्टर की मान्यता वित्त विहीन देने से एक ही विद्यालय में असमानता पैदा हो रही है ? यदि हां, तो इसे दूर किये जाने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री राजनाथ सिंह-

इण्टर के 5।। तथा हाई स्कूल के 473 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण ।

जी नहीं ।

इससे शैक्षिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज हैं, जो हाई स्कूल तो वित्त सहित हैं और इण्टरमीडिएट वित्त विहीन हैं ? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि एक ही संस्था में एक अध्यापक हाई स्कूल तक शिक्षा दे रहा है, वह तो वेतन पा रहा है, लेकिन इण्टरमीडिएट में वही जो लेक्चरर की पोस्ट पर शिक्षा दे रहा है, वह वेतन विहीन हो रहा है । एक अध्यापक दीन स्थिति मे है और एक अध्यापक वेतन पा रहा है, तो क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है कि हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट, दोनों को समान रूप में देखें ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि 5।। जो हमारे इण्टर स्तर के विद्यालय हैं, उसमें कितने ऐसे विद्यालय हैं जो कि हाई स्कूल स्तर तक अनुदान सूची में हैं, इसकी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है । मैं माननीय सदस्य को इससे अवगत करा दूंगा । लेकिन यह जानकारी सदन को दे देना चाहता हूं कि 60 फीसदी से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं, जोकि हाई स्कूल स्तर की अनुदान सूची में हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, दूसरा सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है ।

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न किया है, मान्यता जो दी जाती है, वह वित्त विहीन दी जाती है, इस शर्त के आधार पर दी जाती है कि वह वित्त विहीन वर्ग को चलाने के लिए जो भी वित्त पोषण की आवश्यकता होगी, वह प्रबंधतंत्र करेगा, शासन के ऊपर इसकी बाध्यता नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यह जो कह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं कह रहे हैं ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सम्भव नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि प्रबन्धतंत्र उनका वेतन देखता है, इसलिए आप वित्त विहीन मान्यता देते हैं और इसी कारण जो प्रबन्धतंत्र है अध्यापकों का शोषण करता है, तो आपने इसके लिए कोई व्यवस्था की है । मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि ....

श्री राम लखन वर्मा-

मान्यवर, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । 12-20 हो गया है और आप प्रश्नों को ही चला रहे हैं । इससे दूसरे महत्वपूर्ण कार्य रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

राणा जी आपके ही साथी हैं । मैंने शुरू में ही कह दिया था कि यह अंतिम प्रश्न है । 2 मिनट और लगेंगे । या तो हम प्रतिदिन इसी कड़ाई के साथ कार्य करें । श्री राणा जी आप अपना प्रश्न कर लें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि शिक्षा की समस्यायें किस तरह से बढ़ रही हैं । उनका प्रमुख कारण यह है कि हाई स्कूल और इण्टर कालेजों का विस्तार नहीं किया जा रहा है और छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है इसलिए वित्तीय पोषण के बिना उनको चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्या माननीय मंत्री जी वित्त विहीन पोषण व्यवस्था को समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह-

मान्यवर, वित्त विहीन मान्यता दिये जाने से निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, लेकिन वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, शासन इस स्थिति में नहीं है कि इसको समाप्त किया जा सके ।

(प्रश्नों का समय समाप्त हुआ)

## उ0प्र0 राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद की तालाबंदी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*8-श्री राम लखन-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21 जून, 1990 को तत्कालीन विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर के नियम 56 के प्रस्ताव पर सदन में सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य कताई मिल-अकबरपुर-फैजाबाद की तालाबंदी को गैर कानूनी करार दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कताई मिल की तालाबन्दी समाप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गैर कानूनी तालाबन्दी की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उप श्रमायुक्त फैजाबाद द्वारा दिनांक 7 जून, 1990 को औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम-2 के तहत तालाबंदी/हड़ताल निषिद्ध किया गया था ? यदि हां, तो तालाबन्दी का औचित्य क्या है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

तालाबंदी/हड़ताल को कानूनी या गैर कानूनी करार देने का अधिकार सक्षम न्यायालय को ही है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन माननीय मंत्री जी द्वारा नियम-56 के प्रस्ताव पर विधान सभा में मेसर्स उ0प्र0 राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद की तालाबंदी पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त किए गए थे । तत्कालीन श्रम मंत्री जी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जो भी श्रम कानून इस सम्बन्ध में लागू होते हैं उनको कड़ाई से लागू किया जायेगा । इसलिए तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी के बयान का अर्थ समग्र रूप से लिया जाय न कि वाक्यों का विच्छेद करके ।

यह कताई मिल अभी तक बन्द है । प्राप्त सूचना के अनुसार तथा कथित तालाबंदी संबंधी मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

यह कहना सही नहीं है कि इस मिल में कथित तालाबंदी/हड़ताल को उप श्रमायुक्त द्वारा निषिद्ध किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9-श्री विजय सिंह राणा-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

---

नोट:-नत्थी 'घ' तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

**जनपद आजमगढ़ में जिला योजना की बैठक पुनः बुलाए जाने की मांग**

*10-श्री सुखदेव प्रसाद-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में जिला योजना की बैठक में जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार किया है, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह गौर ने की थी ? यदि हां, तो क्या जनपद के जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार के बाद भी जिला योजना की बैठक की गई है ? क्या बैठक में योजनाओं की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि बैठक नहीं हुई, तो क्या पुनः बैठक बुलाई जायेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति आजमगढ़ की बैठक दिनांक 29 सितम्बर, 1991 को सम्पन्न हुई । बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व समिति के कतिपय सदस्य उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कर चले गये थे । समिति की बैठक में जनपद की जिला योजना 1992-93 के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया । अतः पुनः बैठक बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जिला वाराणसी के ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम दादूपुर में पशु अस्पताल का निर्माण**

*11-श्री ऊदल-

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान दादूपुर ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी में पशु अस्पताल का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह)-

ब्लाक बड़ागांव (वाराणसी) में स्थान दादूपुर (धौकलगंज) में पशु चिकित्सालय स्थापित नहीं है । अतः इस स्थान पर भवन निर्माण कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*12-श्री विजय सिंह (सोनभद्र)-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

*13-डा0 दिनेश जौहरी-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**गढ़वाल मण्डल में वर्ष 1990-91 में आबकारी निरीक्षकों द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब एवं कृत कार्यवाही**

*14-श्री मातवार सिंह कण्डारी-

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कुल कितने आबकारी निरीक्षक सेवारत हैं ? वित्तीय वर्ष 1990-91 ई0 में इनके द्वारा कुल कितनी अवैध शराब पकड़ी गई है ? क्या यह सत्य है कि कोटद्वार, जनपद-गढ़वाल

के आबकारी निरीक्षक द्वारा अवैध शराब बनाने तथा शराब का अवैध व्यापार चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इनके द्वारा वर्ष 1991 में कुल कितनी अवैध शराब वहां पकड़ी गई ? क्या भाजपा की कोटद्वार नगर शाखा द्वारा इस मामले की जांच करायी जायेगी ?

आबकारी, परिवहन तथा पूर्त धर्मस्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)-

वर्तमान में गढ़वाल मण्डल में 9 आबकारी निरीक्षक कार्यरत हैं ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 में कार्यरत आबकारी निरीक्षकों द्वारा कुल 2827 लीटर 305 मि0ली0 अवेध शराब बरामद की गई । कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल में नियुक्त आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध अवैध शराब बनाने तथा शराब का अवेध व्यापार चलाये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

आबकारी निरीक्षक कोटद्वार द्वारा वर्ष 1991 मतें कुल 620 लीटर 508 मि0ली0 अवैध शराब बरामद की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**परिवहन विभाग मुख्यालय, लखनऊ में स्वीपरों के मृतक आश्रितों को सेवा में लेने की मांग**

*115-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग मुख्यालय लखनऊ के परिपत्र सं0-4616 सी0ई0एन0टी0/89/75 मृ0आ0/जनरल/89 दिनांक 24-10-90 के बिन्दु में अंकित निर्देशों के अनुसार स्वीपर के मृतक आश्रितों को सेवा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने मृतक आश्रित हैं जिन्हें अभी तक सेवा नहीं मिल पाई और क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

फिर भी ऐसे 22 मृतक आश्रित हैं जिन्हें अभी तक सेवा नहीं मिल पायी है । इनमें से स्वीपर संवर्ग के 8 मृतक आश्रितों को औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने के कारण तथा 14 मृतक आश्रितों को पद रिक्त न होने के कारण सेवायोजित नहीं किया जा सका है ।

**जनपद फैजाबाद में अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र में आयोजित श्री राम कार सेवा में सरकार द्वारा लगाए गए वाहनों एवं उन पर आए खर्च की जानकारी**

*116-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-7-91 तथा 21-7-91 और 22-7-91 को जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित श्री राम कार सेवा समिति एवं विश्व हिन्दू परिषद् के आयोजन में अतिथियों की

लखनऊ से फैजाबाद तथा फैजाबाद में रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन से अयोध्या तक पहुंचाने और अतिथियों के प्रयोजन में रहने के लिए शासन की ओर से कितने और कौन-कौन से वाहन लगाये गए थे तथा इन वाहनों पर 3 दिन में कुल कितने का व्यय भार सरकार पर आया ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम से अनुबंधित प्राइवेट बसों का अनुबंध समाप्त कर देने के कारण उत्पन्न स्थिति को सामान्य बनाने की मांग**

*।17-डा0 बृजभान यादव-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम से अनुबंधित प्राइवेट बसों का अनुबंध समाप्त कर दिए जाने के बाद जनता को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा अनुबन्ध समाप्त होने के बावजूद भी वहीं बसें अवैध रूप से चल रही हैं ? इस स्थिति को क्या सरकार सुधारेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 19-8-87 की 575 निजी बसों से अनुबंध समाप्त किया गया था, जिसका प्रतिकूल प्रभाव बस सेवाओं पर न पड़े इसके लिए उसके बाद से अब तक निगम के बस बेड़े में 1443 नई बसें सम्मिलित की जा चुकी हैं ।

अवैध संचालन को रोकने के लिए कठोर एवं प्रभावी कदम उठाये जाने के निर्देश दिए गये हैं ।

**प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माध्यमिक स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं को स्वीकृत आर्थिक सहायता**

*।18-श्री खालिद गौरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार ने चुनाव से पूर्व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में माध्यमिक स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त स्वीकृत धनराशि संबंधित संस्थाओं को प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## सरकार की पूर्व घोषित नीति के अनुरूप शराब बंदी की मांग

*19-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आये दिन जहरीली शराब मिलावट वाली शराब को पीकर मरने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी पूर्व घोषित नीति के अनुरूप सरकार शराब बंदी का आदेश लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में उल्लिखित भावना के अनुरूप प्रदेश शासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं तथा अल्कोहल आदि के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन तथा आबकारी अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी प्रवर्तन की है । मद्य-निषेद्य नीति को प्रमुखता देते हुए राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि समुचित कानून बनाकर, उनके प्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण द्वारा मादक वस्तुओं की बिक्री को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाय ।

अवैध मद्य-निष्कर्षण सुरा मिश्रित दवाओं के अवैध व्यापार, मदिरा की तस्करी तथा जहरीले पेयों से जनस्वास्थ्य को होने वाली हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जा रही है । प्रदेश के अनेक धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्य-निषेद्य लागू है व पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंशिक मद्य-निषेध लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## जनपद गोण्डा की तुलसीपुर तथा बलरामपुर शुगर मिल द्वारा प्रदूषण प्लान्ट लगाना

*20-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तुलसीपुर शुगर मिल/बलरामपुर शुगर मिल, जनपद गोण्डा द्वारा प्रदूषण प्लान्ट न लगाने के कारण मिल के गंदे पानी से नक्की नाला/स्वांव नदी का जल प्रदूषित हो रहा है और नाले व नदियों के किनारे की भूमि ऊसर हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद बांदा में पैलानी घाट के तिराहे पर राजकीय बस स्टाफ की मांग

1-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पैलानी घाट पर राजकीय बस स्टाप तिराहे पर बनाया जायेगा जिससे यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

पैलानी घाट पूर्व से ही प्रार्थना स्टापेज है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2-श्री अकबर-

(दिनांक 9-3-92 को अता0प्र0 सं0 103 द्वारा उत्तरित)

### श्रीमती माया, भूतपूर्व प्रवक्ता, समाज शास्त्र, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नौतनवां महाराजगंज की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

3-श्री अकबर-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन श्रम एवं सेवायोजन मंत्री के पत्रांक 219/दिनांक 23-1-91 जो कि श्रीमती माया भूतपूर्व प्रवक्ता, समाज शास्त्र, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नौतनवां, महराजगंज की नियुक्ति के संबंध में है उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

तत्कालीन माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का पत्र दिनांक 22-1-91 प्राप्त हुआ है ।

महिला शाखा में सीधी भर्ती के कोटे में प्रवक्ता समाज शास्त्र के पद की रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण कोई नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

### जिला आबकारी अधिकारी गोरखपुर द्वारा किए जा रहे भ्रष्ट आचरण के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4-श्री अकबर-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी आयुक्त उ0प्र0 को प्रदत्त अधिकार जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर श्री एस0एन0 सिंह को प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर श्री एस0एन0 सिंह ने शराब की दुकान मे0 मनीराम के नाम से लाइसेंस

दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त शराब की दुकान ग्राम सिक्टोर में, सरदार नगर शराब की दुकान सरैया में गुलरिहा शराब की दुकान लगड़ी गुलरिहा में किस नियम के तहत लाइसेंस देकर चलायी जा रही है ? क्या सरकार उक्त भ्रष्ट आचरण के लिए उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

यह सही नहीं है कि मनीराम के नाम से शराब की दुकान का अनुज्ञापन तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, गोरखपुर श्री एस0एन0 सिंह द्वारा दिया गया, मनीराम के नाम खराब की दुकान का अनुज्ञापन पूर्व में कई वर्षों से दिया जाता रहा है ।

सिक्टौर, मनीराम दोनों लगे हुए ग्राम हैं और इन दोनों में मानीराम प्रमुख स्थल है । अतः शराब की दुकान का अनुज्ञापन यद्यपि मानीराम के नाम से स्वीकृत है किन्तु यह दुकान कई वर्षों से राजस्व ग्राम सिक्टौर की सीमा में ही चल रही है । इसी प्रकार ग्राम सरैया, में सरदार नगर प्रमुख स्थल है तथा ग्राम लंगड़ी गुलरिहा को बोलचाल की भाषा में गुलरिहा के नाम से जाना जाता है । अतः उक्त नामों की दुकानों के अनुज्ञापन इन स्थानों पर ही कई वर्षों से चल रहे हैं ।

उक्त अनुज्ञापन राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वीकृत किये गये एवं संचालित किये जा रहे हैं । अतः उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है अतएव उक्त अधिकारी के खिलाफ किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद मऊ में तरण इण्टर कालेज, कुण्डा कुचाई के प्रधान लिपिक को बहाल करने की मांग**

5-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में तरण इण्टर कालेज, कुण्डा कुचाई नाम का विद्यालय है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय के प्रधान लिपिक दिनांक 1-6-89 से निलम्बित है ? यदि हां, तो निलम्बन का क्या कारण था ? उस पर कौन-कौन से आरोप प्रबन्धतंत्र द्वारा लगाए गए थे ? क्या यह सही है कि इण्टरमीडिएट ऐजूकेशन ऐक्ट के अनुसार प्रबंधतंत्र के निर्णय से किसी कर्मचारी को 26 माह तक निलम्बित नहीं रखा जा सकता है ? यदि हां, तो क्या प्रधान लिपिक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से बार-बार अनुरोध करने पर अब तक प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या शासन स्तर से प्रबंधतंत्र के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करके प्रधान लिपिक को बहाल करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

उल्लिखित विद्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक 31-5-89 से निलम्बित है । इनको दुराचरण, अनुशासनहीनता, कर्तव्यों की उपेक्षा, वित्तीय अनियमितता बरतने, अपराधिक कृत्य एवं संदिग्ध सत्यनिष्ठा के आधार पर निलम्बित किया गया था । यद्यपि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रबन्धक को प्रकरण के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं तथापि शासन स्तर से भी शिक्षा निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारियों को लिखा जा रहा है कि वे मामले का शीघ्र निस्तारण कराकर निर्णय लें ।

**जनपद बलिया के मनियर क्षेत्र में चलने वाले कुटीर उद्योगों पर लगाए गए बिक्री-कर को समाप्त किया जाना**

6-श्री मारकण्डेय-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग में बिक्रीकर लगा है? यदि नहीं, तो बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया मनियर में कुटीर उद्योग जिसमें औरतों के सुहाग की श्रृंगार वस्तु टिकुली बनायी जाती है, पर बिक्री कर लिए जाने का औचित्य क्या है ? क्या कुटीर उद्योग में लिया जा रहा बिक्रीकर बन्द किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(1) कुटीर उद्योग को पृथक से बिक्रीकर से मुक्त नहीं किया गया है । वर्तमान विधिक व्यवस्था के अनुसार ऐसे निर्माता व्यापारी जिनके द्वारा प्रदेश में निर्मित माल की एक लाख रुपया वार्षिक तक की बिक्री की जाती है, उन पर बिक्रीकर अधिनियम में निर्धारित किसी प्रपत्र का प्रयोग न किया गया हो और निर्माण कार्य में प्राप्त बाहर से आयातित किसी माल का प्रयोग न किया गया हो ।

(2) बलिया जनपद के सिकन्दरपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नोटीफाइड एरिया मनियर में टिकुली के किसी निर्माता से कोई बिक्रीकर नहीं लिया जा रहा है ।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

(4) उक्त के प्रकाश में लागू नहीं होता है ।

(5) किसी विशेष कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त का परीक्षण करते हुए शासन द्वारा निर्णय लेने पर विचार किया जा सकता है ।

**श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक द्वारा गोण्डा वन प्रभाग के वनाधिकारियों के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही**

7-श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 अक्टूबर, 1991 से 30 अक्टूबर, 1991 के बीच तथा 25 नवम्बर, 1991 से 10-12-91 तक कितने शिकायती पत्र

श्री घनश्याम शुक्ल, विधायक, गोण्डा ने गोण्डा उत्तर वन प्रभाग गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध तथा इस प्रभाग के रेंज अधिकारियों के विरुद्ध उन्हें तथा सचेव वन प्रमुख वन संरक्षक को दिए हैं ? शिकायतें क्या थी ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां, उक्त अवधि में माननीय श्री घनश्याम शुक्ला, सदस्य, विधान सभा के अनेकों शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उत्तरी गोण्डा वन प्रभाग में भ्रष्टाचार, अवैध कटान तथा दो वन रेंजरों को शासन के निर्देशों के उपरान्त भी उन्हें स्थानान्तरित स्थान पर योगदान देने हेतु अवमुक्त न किये जाने की शिकायतें की गई हैं । प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर गहन रूप से उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

8-श्री बाला प्रसाद -

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोण्डा में वर्ष 1980 से कार्यरत दो अवर अभियन्ताओं को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना**

9-श्री बाला प्रसाद -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड, गोण्डा में वर्ष 1980 से आज तक श्री रवीन्द्र चौधरी, अवर अभियन्ता श्री वी0 पी0 सिंह, अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या वर्ष 1980 से आज तक कई बार उनका स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया गया और हर बार स्थगित कर दिया गया है ? क्या कुछ समय तक दूसरे जनपदों में रहकर वे पुनः गोण्डा में ही वापस आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण अन्यत्र करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं ।

वर्ष 1980 से श्री रवीन्द्र चौधरी अवर अभियन्ता, गोण्डा का स्थानान्तरण चार बार किया गया । तीन बार उनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये लेकिन चौथी बार स्थानान्तरण दिनांक 26-5-90 का अनुपालन करते हुए जनपद फैजाबाद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 22-6-90 को कार्यमुक्त किया गया एक वर्ष से अधिक समय तक जनपद फैजाबाद में कार्य करने के पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता परिमण्डल फैजाबाद के आदेश दिनांक 29-6-91 के क्रम में गोण्डा जनपद में दिनांक 10-7-91 को योगदान किया ।

श्री वी0पी0 सिंह, अवर अभियन्ता गोण्डा में दिनांक 28-3-84 से कार्यरत थे । इनका स्थानान्तरण अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल फैजाबाद के आदेश दिनांक 24-4-89 द्वारा जनपद सुल्तानपुर के लिए किया गया लेकिन अधीक्षण अभियन्ता के आदेश दिनांक 12-7-89 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए उनके स्थानान्तरण को स्थगित कर दिया गया ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में निर्धारित नीति के अनुसार विचार किया जायेगा ।

**जनपद बाराबंकी के ग्राम जेबली, के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किए गए धन के आय-व्यय की जाचं**

10-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-जेबली, विकास खण्ड-सूरजगंज, जनपद बाराबंकी के विकास हेतु जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1988/89/90/91 में वर्षवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है ? ग्राम प्रधान द्वारा वर्षवार कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं तथा प्रत्येक कार्य पर कितना-कितना धन व्यय हुआ है ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव में विकास संबंधी कोई कार्य न कराकर, फर्जी तरीके से समस्त सरकारी धनराशि का गबन करके, अपना मकान तथा जमीन खरीद ली गई है ? यदि हां, तो क्या दोषी ग्राम प्रधान को निलम्बित करके उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

पंचायत निर्वाचन सूची वर्ष 1988 के अनुसार जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज में "जेवली" नाम की कोई भी ग्राम सभा स्थित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उन्नाव जिले के ब्लाक हिलौली के अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा किये गये वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर दण्डित करने की मांग**

11-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में उन्नाव जिले के ब्लाक हिलौली के अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा धन आहरण और तमाम वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-91, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य शिकायती बिन्दु क्या हैं ? उनकी जांच किसने की तथा दोषी को क्या दण्ड दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

पत्र में शिकायती बिन्दु निम्नवत् है:-

"ग्राम सभा बक्सपुर विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम वक्सपुर में एक कुआं का निर्माण आर0ई0एस0 द्वारा होना था, किन्तु अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है अभी अधूरा पड़ा है । जे0ई0, आर0ई0एस0 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण दिखाकर दिनांक 23-3-91 को रुपये 2800 निकाल लिया है ।

खण्ड विकास अधिकारी हिलौली से जाचं कराई गई । शिकायत निराधार पाई गई । उक्त ग्राम सभा में किसी कूप का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा नहीं होना था और न अवर अभियन्ता द्वारा इस कार्य हेतु कोई धनराशि आहरित की गई । अतः दण्ड का प्रश्न नहीं उठता ।

**राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ की प्रोजेक्ट परीक्षा वर्ष 1991 में की गई अनियमितताओं की जांच**

12-अब्दुल ए0 सलाम-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में पार्ट टाइम अन्तिम वर्ष के 5 छात्रों की प्रोजेक्ट की परीक्षा, 1991 में की गयी गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ को छात्रों द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 15-10-91 पर क्या कार्यवाही गयी ? क्या इस पत्र में लगाये गये सभी आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो क्या पूर्वोक्त प्रोजेक्ट परीक्षा 1991 पुनः करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री राजनाथ सिंह-

विधायक श्री बसन्त लाल गुप्त एवं श्री राम कुमार शुक्ल के पत्रों के साथ प्राप्त छात्रों के कथित शिकायती पत्र को सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया । सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों को परिषद् की परीक्षा समिति जो इस मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम है, के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसने प्रकरण पर निर्णय लिया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता

**जनपद मऊ के ब्लाक फतेहपुर के ग्राम रामपुर में जवाहर रोजगार योजना की जांच रिपोर्ठ की जानकारी**

13-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 23-8-90 को ग्राम रामपुर ब्लाक फतेहपुर मंडाव जनपद मऊ के जवाहर रोजगार

योजना की जांच हेतु कोई पत्र दिया गया था ? क्या प्रश्नकर्ता को रामशंकर मालवीय अनुसचिव ग्राम विभाग अनुभाग 4 द्वारा दिनांक 10-1-91 के पत्र द्वारा यह सूचना दी गयी थी कि इसकी जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 10-1-91 के परिपेक्ष्य में परगनाधिकारी, घोसी जनपद मऊ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जाचं करायी गयी । प्रथम दृष्टया जांच से अनियमितता का कोई मामला नहीं बनता है ।

**जनपद मऊ के शहीद इण्टर कालेज, मधुबन को मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल गोरखपुर द्वारा स्कूल संचालन का आदेश पारित करने की परिस्थिति की जानकारी**

14-श्री श्रीराम सोनकर तथा श्री हरि नारायण-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबंधक शिवानन्द मल एवं प्रबंध समिति शहीद इण्टर कालेज मधुबन जनपद मऊ को मान्यता होने के बावजूद भी उपशिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर ने धारा (3-3) का प्रयोग कर प्रबंध समिति के अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुए, एकल संचालन का आदेश क्यों पारित किया है ? क्या सरकार उपशिक्षा निदेशक सप्तम मण्डल गोरखपुर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

रिट याचिका संख्या-11551/91 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह आदेश दिये थे कि प्रबन्धकीय कार्यकलापों के लिए मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक उचित आदेश दे सकते हैं । इन आदेशों के अनुपालन एवं परिपेक्ष्य में विद्यालय के खातों का एकाकी संचालन उल्लिखित पत्र द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राजकीय महाविद्यालय, उत्तर काशी में वर्ष 89 में आडिट पार्टी द्वारा प्राचार्य पर रुपये 20,000 का गबन करने के आरोप पर कृत कार्यवाही**

15-श्री हरि नारायन-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी में जुलाई 89 में निदेशालय की आडिट पार्टी ने आडिट करके प्राचार्य द्वारा 20,000 रुपये के गबन किये जाने का उल्लेख किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं ।

आडिट पार्टी ने प्राचार्य द्वारा 20,000 रुपये का गबन किये जाने का उल्लेख नहीं किया है बल्कि महाविद्यालय के कतिपय प्राध्यापकों को सीमान्त एवं आवास भत्ते के अनियमित भुगतान तथा कतिपय अन्य कर्मचारियों द्वारा कुछ धनराशि का गबन कर लिये जाने का उल्लेख अवश्य किया है ।

जिन प्राध्यापकों को सीमान्त तथा आवास भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ उनसे वसूली करने के आदेश दिये गये परन्तु इस आदेश के विरुद्ध संबंधित प्राध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया है ।

आडिट पार्टी द्वारा वर्णित अनियमितताओं के सम्बन्ध में महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि या तो वह व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें अथवा धनराशि को जमा करें ।

।6-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (मिर्जापुर)-

(दिनांक 27-2-92 को अता0प्र0सं0 ।7। द्वारा उत्तरित)

।7-श्री अकबर-

(दूसरे मंगल में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद फर्रुखाबाद की बस स्टेशन छिबरामऊ में कार्यरत दो सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके आश्रितों को सेवा में लिए जाने की मांग**

।8-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ जनपद फर्रुखाबाद बस स्टेशन के श्री गुरुचरन एवं महेश चन्द नामक सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश के तहत नियमानुसार मृतक आश्रितों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां । श्री गुरु चरन एवं श्री महेश चन्द, सफाई कर्मचारियों की क्रमशः दिनांक ।-3-88 व ।6-।2-।989 को हो गई है ।

जी नहीं । रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण उक्त मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है ।

**जनपद मैनपुरी रोडवेज बस स्टेशन पर कार्यरत उलाफत नामक सफाई कर्मचारी की मृत्यु के कारण उनके आश्रित को नियुक्ति प्रदान करने की मांग**

।9-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस स्टेशन, मैनपुरी में उलाफत नामक सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी है ? यदि हां

तो क्या शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रित की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

जी नहीं । पद रिक्त न होने के कारण उक्त मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं हो सकी है ।

**रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में कार्यरत टीचिंग स्टाफ के विवरण की जानकारी**

20-श्री बच्चा पाठक-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की इंजीनियरिंग, रुड़की के टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट वेलफेयर संगठन में प्रत्येक में कितने अल्पसंख्यक कितने अनुसूचित जाति ओर जनजाति, कितने पिछड़े वर्गों के और कितने अन्य अध्यापक हैं ? क्या प्राक्टोरियल स्टाफ में इन वर्गों के अध्यापकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

रुड़की विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल अध्यापकों का विवरण:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अल्पसंख्यक | 16 |
| 2 | अनुसूचित जाति | 101 |
| 3 | अनुसूचित जनजाति | - |
| 4 | पिछड़ा वर्ग | 05 |
| 5 | अन्य | 433 |
| | योग „ | 455 |

स्टूडेंट वेलफेयर संगठन में कार्यरत अध्यापक:-

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अल्पसंख्यक | 04 |
| 2 | अनुसूचित जाति | - |
| 3 | अनुसूचित जनजाति | - |
| 4 | पिछड़ा वर्ग | 01 |
| 5 | अन्य | 34 |
| | योग .. | 39 |

जी नहीं ।

प्राक्टोरियल स्टाफ का गठन किसी वर्ग/जाति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है ।

**रुड़की विश्वविद्यालय के छात्र ऋतुराज सिंह को कतिपय छात्रों द्वारा यातनाएं दिए जाने के कारण अपराधी छात्रों को दण्डित करने की मांग**

2।-श्री बच्चा पाठक-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ।3/।4 रात्रि तथा ।4 नवम्बर, ।99। के अपराह्न रुड़की इंजनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की के छात्र ऋतुराज सिंह (बी0ई0 द्वितीय वर्ष-इलेक्ट्रिकल) को वहीं के छात्र संजय शर्मा, संजय तिवारी तथा अन्य ने काटले भवन छात्रावास में कमरा बन्द करके शारीरिक यातनायें दी, झूठ आपराधिक स्वीकारोक्तियां लिखवाईं व टेप रिकार्ड की और सुसाइड नोट भी लिखवाया ? यदि हां, तो क्या इस घटना की सूचना पुलिस को दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अपराधी छात्रों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री राजनाथ सिंह-

रुड़की विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ऋतुराज सिंह द्वारा ।4 नवम्बर, ।99। की रात्रि लगभग 9-30 बजे विश्वविद्यालय के अधिकारियों को मौखिक रिपोर्ट दी गयी कि तीन छात्र श्री संजय शर्मा, संजय तिवारी, ऋषि कपूर ने काटले भवन छात्रावास में कमरा बन्द करके ऋतुराज सिंह को शारीरिक यातनाएं दी, झूटी अपराधिक स्वीकारोक्ति लिखवायी, टैप रिकार्डिंग की और सुसाइड नोट लिखवाया ।

जी नहीं ।

रुड़की विश्वविद्यालय के नियमानुसार दो छात्र या छात्र समूहों के मध्य मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने का विकल्प संबंधित छात्र को ही दिया जाता है ।

विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा प्राथमिक तहकीकात के फलस्वरूप संबंधित तीनों छात्रों को ।0 दिन के लिए निलम्बित कर उन्हें छात्रावास छोड़ने का आदेश दिया गया ।

**जनपद बांदा में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनवाए गए प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की जानकारी**

22-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में ग्रामीण अभियन्ता सेवाबोध को प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु धनराशियां वर्ष ।980 में दी

गयी थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण हुआ और कितने अपूर्ण है ? कब तक सभी भवन निर्मित हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, वर्ष 1980-81 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बांदा को 7.05 लाख रुपया की धनराशि प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु दी गई थी ।

कोई नहीं ।

स्वीकृत सभी भवन पूर्ण हो गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद उन्नाव के ब्लाक हिलौली में स्वीकृत सभी कुओं के निर्माण कराए जाने की मांग**

23-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न कर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव के हिलौली ब्लाक में ऐसे कितने कुएं स्वीकृत हैं जो अब तक अर्द्धनिर्मित/निर्माणधीन अपूर्ण स्थिति में है ? यह कुएं कब तक बन जायेंगे ? निर्धारित समय में कुएं न बना पाने के लिए दोषी उत्तरदायी लोगों पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम-बख्शपुर की अनुसूचित जातियों की बस्ती का पेयजल कूप कब स्वीकृत हुआ था और अब तक न बना पाने के लिए दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह-

विधान सभा क्षेत्र पुरवा उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में स्वीकृत कुओं में से ग्राम बक्शपुर के एक कूप के अतिरिक्त कोई भी कुआं अर्धनिर्मित/निर्माणधीन/ अपूर्ण स्थिति में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बक्शपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती में ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 1987-88 में विकास खण्ड स्तर पर विकास कर मद की अवशेष धनराशि से कूप निर्मित कराया गया है । इस मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्लास्टर का कार्य तथा गिर्री लगाना शेष है । गांव सभा के प्रस्ताव के अनुसार अवशेष कार्य को ग्राम सभा द्वारा पूरा कराया जाना प्रस्तावित है अतएव किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थ नगर द्वारा गांधी आदर्श विद्यालय बढ़नी का चार्ज कथित प्राचार्य को ताला तोड़ कर दिए जाने के कारण संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

24-शिव लाल मित्तल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रभारी जिला

विद्यालय निरीक्षक को किसी इण्टर कालेज के कार्यालय का ताला तोड़कर चार्ज तथा कथित प्राचार्य को देने का अधिकारी है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्राभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर ने गांधी आदर्श विद्यालय, बढ़नी का चार्ज ताला तोड़वाकर कथित प्राचार्य को कार्यभार ग्रहण कराया है ? क्या प्रबन्धक द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह -

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 7434/91 में पारित आदेश दिनांक 26-9-91 के अनुपालन में गांधी आदर्श विद्यालय बढ़नी, के प्रधानाचार्य का चार्ज श्री विक्रम पाठक को दिलाये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर ने संस्था के प्रबंधक को आदेश दिये थे । प्रबंधक द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन न करने तथा चार्ज दिलाने में आनाकानी करने के फलस्वरूप दिनांक 26-10-91 को प्रशासन के सहयोग से स्थानीय पुलिस व विद्यालय के अध्यापकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की उपस्थिति में ताला तोड़कर श्री विक्रम पाठक को प्रधानाचार्य का चार्ज दिलाया गया । अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद स्थित मिश्री लाल आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा में प्राइमरी विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड तथा नया वेतनमान दिया जाना**

25-श्री लाल जी वर्मा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इण्टरमीडिएट कालेज से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को सेलेक्शन ग्रेड तथा नया वेतनमान वर्ष 1986 से दिये जाने का शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद स्थित मिश्री लाल आर्य कन्या इण्टर कालेज, टाण्डा में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को यह सुविधा मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फर नगर में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत ट्रेडों का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की मांग**

27-श्री हरेन्द्र सिंह-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरनगर में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत हैंड कम्पोजिंग, डी0टी0पी0 प्रिंटिंग मशीनमैन, जिल्दसाजी ट्रेड स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब तक प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ? इन्हें प्रारम्भ करना कब तक प्रस्तावित है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां । साज-सज्जा का क्रय एवं भवन निर्माण के बाद ही प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

**जनपद बांदा में वर्ष 1989 से 91 तक आई0आर0डी0 योजना में डीजल पम्प हेतु स्वीकृत ऋण, लाभार्थियों को दिया जाना**

28-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में वर्ष 1989, वर्ष 1990 एवं वर्ष 1991 में आई0आर0डी0 योजना में डीजल पम्प सेट हेतु ऋण दिया गया है और कितने लोगों को? क्या इन लाभार्थियों को अनुदान दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या इन लाभार्थियों को अनुमन्य अनुदान शीघ्र दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां, वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में आई0आर0डी0 योजनान्तर्गत कुल 1287 लाभार्थियों को डीजल पम्प सेट हेतु ऋण दिया गया है ।

जी हां ।

डीजल पम्प सेट हेतु कुल 1287 लाभार्थियों को दिये गये ऋण के सापेक्ष 1242 लाभार्थियों को अनुदान दिया जा चुका है । अवशेष 45 लाभार्थियों को अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद बांदा अन्तर्गत पाठा क्षेत्र में विकास योजनाओं की हेराफेरी के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

29-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत कर्वी/मऊ सम्भाग के पाठा क्षेत्र के विकास में उपेक्षा एवं जिला नियोजन समिति के निर्णयों में योजनाओं की हेराफेरी किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 21-9-90 कमिश्नर, झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

कर्वी/मऊ सम्भाग के पाठा क्षेत्र के विकास में उपेक्षा अथवा जिला नियोजन समिति के निर्णयों में परिवर्तन नहीं किये गये हैं ।

30-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

**क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0रा0प0 निगम क्षेत्र फैजाबाद के प्रति यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा अशिष्ट व्यवहार किये जाने की जांच**

3।-श्री हरदेव सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 रा0प0 निगम, क्षेत्र फैजाबाद ने यू0पी0 रोडवेज इम्पलाइज यूनियन क्षेत्र फैजाबाद के पांच पदाधिकारियों पर आरोप लगाया था कि उनके निवास स्थान पर जाकर अशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया ?यदि हां, तो इस आरोप की उप प्रधान प्रबन्ध (संचालन) उ0प्र0 रा0 परिवहन निगम, लखनऊ को फैजाबाद भेजकर जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ? जांच पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0रा0 परिवहन निगम क्षेत्र फैजाबाद को भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आधार पर स्थानान्तरण**

32-श्री हरदेव सिंह-

क्या परिवहन मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0रा0 परिवहन निगम, क्षेत्र फैजाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच हेतु उन्हें स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम जी त्रिपाठी, प्रान्तीय अध्यक्ष, यू0पी0 रोडवेज इम्पलाईज यूनियन, बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ ने एक पत्र यूनियन, बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ ने एक पत्र दिनांक 22-6-9। को संयुक्त प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम, लखनऊ को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी नहीं । वरन् श्री राम जी त्रिपाठी का एक पत्र तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद श्री अजय सिंह के विषय में प्राप्त हुआ था ।

जांच की कार्यवाही गतिशील है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सुल्तानपुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग**

33-श्री बच्चा पाठक-

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा अभियां कलां, जादीपुर बरुई, पन्ना टिकर, हनुमान गंज, ब्लाक भदैया, जनपद सुल्तानपुर को जवाहर योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई ? उस धनराशि में से कितना-कितना धन विभिन्न मदों में खर्च किया गया ? कच्ची सड़क निर्माण में कार्यरत मजदूरों का नाम, पिता का नाम, पता, कार्य का दिन व मजदूरी कितनी दी गई ? कितने घन फुट मिट्टी की सड़क बनाई गयी व सड़कों की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है ? खड़ंजा बिछाने में ईंटों की संख्या, किस्म, दाम प्रति हजार ईंट क्या है ? ईंटों को बिछाने में मिस्त्री को कितने दिन के कार्य की कुल कितनी मजदूरी दी गयी ? कितनी धनराशि अवशेष है तथा इसे किस कार्य में खर्च किया जायेगा ? क्या शासन ब्लाक के अधिकारियों से टेक्निकल जांच करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

34-श्री समीउल्ला खां-

(3रे मंगलवार में अता0प्र0 सं0 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद उन्नाव में कुएं, सड़कों एवं पुलियों का निर्माण समय पर न कराने वाले खण्ड विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

35-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में खण्ड विकास अधिकारियों/ब्लाकों को पेयजल कूप, सड़क, पुलिया बनाने का दायित्व वर्ष 89-90 व 90-91 में सौंपा गया था ? यदि हां, तो वर्ष 89-90 के भीतर निर्धारित काम न पूरा कर पाने के लिए कितने खण्ड विकास अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? वर्ष 90-91 के लिए निर्धारित व 89-90 का अवशेष निर्धारित अवधि में पूरा न कर पाने के लिए कितने लोग दोषी पाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि अनुसूचित जातियों के लिए कुआं व पुलिया मार्च, सन् 90 या इसके पूर्व की स्वीकृति के बावजूद अब तक किन-किन विकास खण्डों में नहीं बन सकी हैं ? दोषी पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

36-श्री राम आसरे वर्मा-

(माननीय उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

37-श्री ऊदल-

(तीसरे मंगलवार में अता0 प्र0सं0 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

38-श्री राम आसरे वर्मा-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

39-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

**डी0ए0वी0 हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बांदा में उर्दू शिक्षकों को भर्ती करने की मांग**

40-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि डी0ए0वी0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांदा में शिक्षक के अभाव में उर्दू विषय के छात्रों की भर्ती चालू वित्तीय वर्ष में नहीं की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन कक्षाओं में उर्दू विषयों के शिक्षकों का अभाव है ? क्या सरकार द्वारा निकट भविष्य में उर्दू शिक्षकों की कमी पूरी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

उल्लिखित विद्यालय में चालू वित्तीय वर्ष में उर्दू विषय के छात्रों की भर्ती की गयी है । दिनांक 30-6-91 को उर्दू प्रवक्ता के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उर्दू विषय का अध्यापन कार्य अन्य अध्यापकों से कराया जा रहा है । उर्दू विषय के प्रवक्ता की भर्ती हेतु अधियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को दिनांक 9-9-91 को भेजा जा चुका है ।

**राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा में बी0ए0 की कक्षाओं में उर्दू की कक्षाएं चालू करने की मांग**

41-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा में बी0ए0 में लगभग 25 छात्राओं के उर्दू पढ़ने पर इच्छुक होने व प्रश्नकर्ता के कुलपति को पत्र लिखने के बावजूद उर्दू की कक्षायें नहीं चलायी जा रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उर्दू के क्लास राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा में शीघ्र चलायी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

कुल सचिव, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा में उर्दू पढ़ने की इच्छुक छात्राओं का उल्लेख करते हुए उर्दू विषय की मान्यता की भांग की गई हो ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

**जनपद लखीमपुर खीरी व गोण्डा के वन प्रभागों में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नियमों का उल्लघंन**

42-श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 जून, 1990 से आज तक लखीमपुर खीरी उत्तर वन प्रभाग/दक्षिण वन प्रभाग तथा गोण्डा उत्तर वन प्रभाग/ दक्षिण वन प्रभाग में किस-किस रेंज में किन-किन व्यक्तियों को फलदार वृक्षों की पातन अनुमति ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गयी है ? पातन अनुमति दिये गये वृक्षों की मोटाई क्या थी ? क्या इसमें ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह-

लखीमपुर खीरी तथा गोण्डा जनपद के प्रश्नगत वन प्रभागों में ग्रामीण संरक्षण अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 5 जून, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक जिन व्यक्तियों को फलदार वृक्षों के पातन की अनुमति दी गयी है, उसका पूर्ण विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार उसे कभी भी देख सकते हैं ।

केवल दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में ऐसे तीन मामले हैं जिसमें उक्त अधिनियम के उल्लंघन के लिए उनसे नियमानुसार क्षतिपूर्ति की वसूली की गयी है । अन्य प्रभागों में उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

**गोण्डा वन प्रभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्य लक्ष्य के अनुसार न कराये जाने से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही की मांग**

43-श्री बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 1 नवम्बर, 1991 से 20 नवम्बर, 1991 के बीच में तथा नवम्बर, 1991 से 11 दिसम्बर, 1991 तक कोई शिकायती पत्र गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के प्रभागीय वनाधिकारी तथा इस प्रभाग के रेंज अधिकारियों के विरुद्ध वृक्षारोपण का कार्य लक्ष्य के विरुद्ध पूर्ण न कराने के

संदर्भ में उनको तथा सचिव, वन एवं प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी को दिया है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां, प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्रों पर गहन रूप से उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

44-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

**इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, लखनऊ में प्रवक्ता पद हेतु चयन में अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही**

45-श्री सुरेन्द्र सिंह -

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का, प्राविधिक शिक्षा मंत्री को सम्बोधित पत्र, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी,लखनऊ में दिनांक 23-2-91 को प्रवक्ता (सिविल इंजीनियरिंग) के पद पर हुए साक्षात्कार में की गयी गड़बड़ी एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्रांक 280। ओ0एस0डी0, दिनांक 23-9-91 को, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ? क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या यह नियुक्तियां रद्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो जांचोपरान्त कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गयी । इसलिए नियुक्तियां रद्द नहीं की गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा के कतिपय मार्गों पर चल रही अनधिकृत बसों को बंद कराया जाना**

46-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में, बांदा से कर्वी, बांदा से बबेरू, बांदा से मौदहा, बांदा से जसपुरा, बांदा से जौहरपुर व बांदा से चिल्ला मार्गों में कुल कितनी प्राइवेट बसों के परमिट कितने दिनों के लिए स्वीकृत हैं ? उन पर कुल कितनी बसें इस समय चल रही हैं ? क्या अनधिकृत रूप से चलने वाली बसों को सरकार बंद करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

बांदा-कर्वी, बांदा-जसपुरा, तथा बांदा-चिल्ला मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं, और इन मार्गों पर प्राइवेट बसों के प्रति कोई परमिट स्वीकृत नहीं किये गये हैं । बांदा से बबेरू, बांदा-मौदहा, तथा बांदा-जौहरपुर मार्गों पर क्रमशः 10,4 तथा 10 प्राइवेट बसों के प्रति 5 वर्ष की अवधि के लिए स्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत हैं ।

बांदा-बबेरू, बांदा-मौदहा तथा बांदा-जौहरपुर मार्गों पर वर्तमान में क्रमशः 6,4 तथा 4 प्राइवेट बसें चल रही हैं ।

अनाधिकृत रूप से चलने वाली बसों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही विभाग द्वारा निरन्तर की जा रही है । गत एक वर्ष में इन मार्गों पर कुल 361 वाहनों के चालान किये गये तथा 38 वाहन थाने में बंद किये गये ।

**जनपद बांदा के कर्वी कस्बे में बस सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु उप डिपो खोलने की मांग**

47-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट (कर्वी) में प्रतिदिन लगभग एक सौ राजकीय बसों की सेवा उपलब्ध है तथा हर माह अमावस्या के मेले के दौरान वहां राजकीय परिवहन की कई बसें चलती हैं ? यदि हां, तो क्या बस सेवाओं को बेहतर बनाने की दृष्टि से कर्वी में उप डिपो खोलने की व्यवस्था शासन द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जनपद बांदा के अन्तर्गत चित्रकूट, कर्वी में प्रतिदिन लगभग 85 सिंगल फेरे चलती हैं ।

प्रत्येक अमावस्या मेला पर यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बस सेवायें चलायीं जाती हैं । केवल दीप-मालिका मेले में कई सौ बसें चलाई जाती हैं ।

निगम द्वारा 1991-92 के बजट में कर्वी में डिपो कार्यशाला स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक व्यय का प्राविधान किया गया है । भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही गतिशील है, जिसके अन्तर्गत भूमि के मूल्य की 20% राशि का भुगतान भी भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा को किया जा चुका है ।

भूमि व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर डिपो निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## नील गायों के आतंक विषयक पत्र पर की गयी कार्यवाही

48-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नील गायों के आतंक विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र की अग्रिम कार्यवाही के रूप में मुख्य मंत्री के पत्र पत्रांक एम-।व/।2-।45/9।, दिनांक 28-8-9। पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

नील गायों द्वारा कृषि फसलों की क्षति पहुंचाने की समस्या के निराकरण के उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

## जनपद उन्नाव के असोहा विकास खण्ड मुख्यालय पर समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन के बारे में

49-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खण्ड मुख्यालय पर ।0 सितम्बर, 9। को क्षेत्र के लगभग ।200 किसानों-युवकों ने युवा समाजवादी जनता पार्टी के विधान सभा क्षेत्र अध्यक्ष, महामंत्री व जिला समाजवादी जनता पार्टी के महामंत्री आदि के नेतृत्व में दिन भर का धरना देकर जिलाधिकारी को सम्बोधित एक ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन में ऐसी कितनी मांगें थीं, जिनका समाधान बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय प्राविधान के ही जिला स्तर पर किया जाना सम्भव था ? उनमें कितनी मांगों/समस्याओं का निस्तारण हो चुका है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

छः मांगें थीं, जिनका समाधान बिना अतिरिक्त वित्तीय प्राविधानों के पूर्ण हो सकता था । उनमें से पांच का निस्तारण हो गया है ।

## जनपद बांदा की गांव सभाओं की भूमि के वृक्षों की नीलामी में गांव सभा के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना

50-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद बांदा की गांव सभाओं की भूमि में वन विभाग द्वारा वन लगाये गये हैं और उनकी नीलामी की कार्यवाही वनराजि अधिकारी द्वारा संबंधित गांव सभा में न करके जिला के प्रखण्डों की जाती है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त नीलामी की कार्यवाही में गांव सभाओं के प्रतिनिधि नहीं रखे जाते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या भविष्य में होने वाली नीलामियों में गांव सभाओं के प्रतिनिधि रखे जायेंगे ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां, जनपद बांदा के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा गांव समाज की लगभग 4635 हेक्टेयर भूमि पर अब तक वृक्षारोपण कार्य कराये गए हैं परन्तु इन वृक्षारोपण क्षेत्रों की नीलामी वनराजि अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है ।

ग्राम समाज की भूमि पर लगाए गए वृक्षारोपण का हस्तान्तरण सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को कर दिया जाता है । तत्पश्चात् इन वन क्षेत्रों की सूखी, गिरी-पड़ी लकड़ी आदि का निस्तारण ग्राम प्रधान एवं ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है । चूंकि नीलामी नहीं की जाती है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

51-52-श्री राम प्रसाद सिंह -

(6ठे गुरुवार में अता0प्र0सं0 202-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**ग्राम्य विकास से सम्बन्धित दीन दयाल उपाध्याय योजना की जानकारी**

53-श्री हृदय नारायण दीक्षित -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम्य विकास की कोई दीनदयाल उपाध्याय योजना नई सरकार ने प्रारम्भ की है ? यदि हां, तो योजना क्या है ? उसे राज्य के कितने जिलों में लागू किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां, नई सरकार ने ग्राम्य विकास की दीनदयाल विकास योजना प्रारम्भ की है ।

इस योजना के अन्तर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाकर लम्बी अवधि के लिए रोजगार सृजित कराये जायेगें । इस योजना में सरकार सेवायोजक नहीं बनेगी, बल्कि प्रेरक की भूमिका निभायेगी । इस योजना का कार्यान्वयन प्रदेश के सभी जिलों में किया जाना है ।

योजना के संबंध में विस्तृत टिप्पणी संलग्न है ।

अभी तक 7 योजनाएं स्वीकृत की गयी है । इनका आच्छादन प्रदेश के 43 जिलों में है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 135-137 पर)

**जनपद रायबरेली की ग्राम सभा विफला मऊ में हरिजन कालोनियों के निर्माण में घटिया सामान के प्रयोग पर दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

54-श्री तेजभान सिंह -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा विफला मऊ, परगना, तहसील व ब्लाक डलमऊ, जिला रायबरेली में कितनी हरिजन कालोनियों का निर्माण किया गया है ? क्या उक्त लाभार्थियों में पृथ्वी पाल, सुरसती पत्नी श्याम लाल आदि भी हैं ? क्या इनसे प्रधान व कर्मचारियों ने अतिरिक्त धन की उगाही की है तथा

इसमें घटिया सामानों का उपयोग हुआ है ? क्या इसकी जांच किसी जिला स्तर के अधिकारी से करा कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह -

वर्ष 1989-90 में 2 तथा वर्ष 1990-91 में 2 कुल 4 हरिजन आवासों का निर्माण कराया गया है ।

जी हां ।

जी नहीं । ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है ।

निर्मित आवासों में प्रयुक्त ईंटों की क्वालिटी प्रथम श्रेणी की है । कहीं-कहीं पर द्वितीय श्रेणी की ईंट पायी गयी हैं, जिनकी मात्रा बहुत ही कम है ।

मामले की जांच करायी जा चुकी है । निर्माण में दोषी पाये जाने के कारण सम्बन्धित ग्राम्य पंचायत अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

55-श्री तेजभान सिंह -

(3रे मंगलवार में अता0प्र0सं0 199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**बुन्देल खण्ड के विकास हेतु, उत्तरांचल के बराबर धनराशि दिए जाने की मांग**

56-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देल खण्ड विकास हेतु केवल साढ़े सात करोड़ रुपये ही चालू वित्तीय वर्ष में दिये गये हैं ? जबकि उत्तरांचल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये दिये गये हैं ? क्या अग्रिम वर्ष में उत्तरांचल क्षेत्र के बराबर बुन्देल खण्ड जो अत्याधिक पिछड़ा है, को भी विकास हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उत्तरांचल क्षेत्र के बराबर बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्तरांचल क्षेत्र हेतु केन्द्र से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है ।

**आगरा पश्चिम में बालिका विद्यालय का खोला जाना**

57-श्री किशन गोपाल-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आगरा पश्चिम की अधिकांश छात्रायें वहां बालिका विद्यालय के अभाव में और दूसरे विद्यालयों में प्रवेश न मिलने के

कारण शिक्षा ग्रहण न करने हेतु मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या इन छात्राओं के जीवन को विद्यायुक्त बनाने हेतु आगरा पश्चिम में गरीबखाना अस्पताल, जो कि क्षतिग्रस्त है, के स्थान पर एक बालिका विद्यालय बनाने का आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना न होने के कारण ।

58 - श्री बलराम यादव -

(3सरे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 62 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**उपायुक्त, बिक्रीकर, अलीगढ़ परिक्षेत्र द्वारा बिक्रीकर अधिकारियों को आवासीय भवनों का आवंटन**

59 - श्री भगवती प्रसाद शुक्ल -

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उपायुक्त (शासकीय), बिक्रीकर, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ द्वारा माह अगस्त/सितम्बर, 91 में कुछ आवासीय भवनों का आवंटन अलीगढ़ परिक्षेत्र के बिक्रीकर अधिकारियों को किया गया है ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों को आवासीय भवनों का आवंटन किया गया है, उनके नाम क्या हैं ? क्या इनसे वरिष्ठ बिक्रीकर अधिकारियों को आवासीय भवनों का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस अनियिमतता के लिए सरकार सम्बन्धित उपायुक्त (शासकीय) के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी तथा किस तिथि तक ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वरिष्ठ अधिकारियों की उपेक्षा करके कनिष्ठ अधिकारियों को विभागीय आवासीय भवन आवंटित करने में सरकार को कितने राजस्व की हानि उठाने पड़ रही है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

जी हां ।

श्री एच0एन0 तिवारी एवं श्री श्रीकृष्ण क्रमशः बिक्रीकर अधिकारी, खण्ड-5 अलीगढ एवं बिक्रीकर अधिकारी एवं राज्य प्रतिनिधि प्रभारी, अलीगढ़ को आवासीय भवनों का आवंटन किया गया ।

जी नहीं ।

भवनों का आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धान्त के आधार पर किया गया । उक्त सिद्धान्त के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों को भवन के आवंटित न किये जाने में कोई अनियमितता नहीं की गयी । अतः उपायुक्त (शासकीय) के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आवंटित किये गये भवनों का स्टैंडर्ड रेट निर्धारित है । अतः किसी राजस्व हानि होने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

**जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी में जूनियर हाई स्कूलों की कतिपय इमारतें पूर्ण कराया जाना**

60-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, अकौ, जूनियर हाई स्कूल, भदोहयू एवं जूनियर हाई स्कूल, साधुवा के निर्माण के लिए प्रत्येक को 1,75,000 रुपये स्वीकृत हुआ था ? क्या उक्त धन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बांदा को वर्ष 1987-88 में दिया जा चुका है ? यदि हां, तो अभी तक उनके भवन निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिकारी दोषी हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कब तक भवनों का निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । प्रति भवन 1,57,000.00 रुपये स्वीकृत हुआ था ।

कुल 15 जूनियर हाई स्कूलों के लिए 1.57 लाख रुपये प्रति स्कूल की दर से धन प्राप्त हुआ था, जिससे लागत वृद्धि के कारण कुल 10 भवन बन सकते हैं । अतः इनके लिए धन शेष नहीं रहा ।

जी नहीं ।

धनराशि उपलब्ध होने पर निर्माण करा दिया जायेगा ।

**जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी में कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण**

61-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला तीरधुमाई, प्राइमरी पाठशाला चांदी, प्राइमरी पाठशाला नादी चौरा, ब्लाक पहाड़ी वर्ष 1984 से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्राइमरी पाठशालाओं को स्वीकृत धनराशि ग्रा0अ0 सेवा विभाग को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? क्या जमा की गई स्वीकृत धनराशि पर ब्याज मिला है ? यदि हां, तो कितना ? क्या निर्माण न कराये जाने के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा के कर्मचारी दोषी हैं ? यदि हां, तो कौन और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

प्राइमरी पाठशाला, तीरधुमाई एवं प्राइमरी पाठशाला, चांदी का कार्य जून, 91 में पूर्ण कराया जा चुका है एवं प्राइमरी पाठशाला नादीतौरा मई, 90 से निर्माणाधीन है । इस भवन को मार्च, 92 तक पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है ।

जी हां ।

प्राइमरी पाठशाला, तीरधुमाई एवं प्राइमरी पाठशाला चांदी के लिए नवम्बर 84 में एवं प्राइमरी पाठशाला नादीतौरा के लिए फरवरी, 89 में धनराशि प्राप्त हुई है ।

जी नहीं । धनराशि राजकीय कोष में रही ।

जी हां ।

प्रथम दृष्टया श्री सूर्यबली यादव, अवर अभियन्ता दोषी पाये गये हैं । उनके स्पष्टीकरण मांगे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी के ग्राम गडोली में प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण**

62-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी अन्तर्गत ग्राम गडोली में प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा वर्ष 1980-81 से किया जा रहा है, अभी अपूर्ण है ? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या उक्त प्राइमरी पाठशाला भवन शीघ्र पूर्ण होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह -

जी नहीं, भवन निर्माण जुलाई, 91 में पूर्ण हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ण हो चुका है ।

**राज्य परिवहन निगम डिपो, बांदा द्वारा संचालित बसों में अपेक्षित सुधार**

63-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन डिपो की कितनी बसें सुचारु रूप से चल रही हैं ? क्या यह सही है कि बांदा डिपों की अधिकतर बसें खराब ही बनी रहती हैं या रास्ते में खराब हो जाती है ? यदि हां, तो बांदा डिपो की बसों की दशा ठीक न होने का क्या कारण है ? क्या बांदा डिपो की बसों में शीघ्र अपेक्षित सुधार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या बांदा डिपो को शीघ्र ही दस नई बसें उपलब्ध करायी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

66 बसों का संचालन किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

परिवहन की आवश्यकतानुसार ही बसों की व्यवस्था की जायेगी ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर में कार्यरत श्री तेज प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी का स्थानान्तरण**

64-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जनपद के बड़ोखर विकास खण्ड के श्री तेज प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी का स्थानान्तरण विकास खण्ड, तिन्दवारी कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री तेज प्रताप सिंह अभी भी विकास खण्ड बड़ोखर में ही तैनात हैं ? क्या विकास खण्ड बड़ोखर में दस ग्राम विकास अधिकारियों के स्थान पर इस समय ग्यारह ग्राम विकास अधिकारी हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या इससे सरकार को, एक ग्राम विकास अधिकारी के वेतन का भुगतान अतिरिक्त करना पड़ रहा है ? जिससे सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो वहां ग्राम्य विकास अधिकारी की संख्या अकारण बढ़ाने का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी नहीं । श्री तेज प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकास खण्ड तिन्दवारी में कार्यरत हैं ।

जी नहीं । विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द में वर्तमान में निर्धारित संख्या में 10 ग्राम विकास अधिकारी ही कार्यरत हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को अवैध कटान के सम्बन्ध में प्राप्त कराये गए पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

65-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1327/91 श्री शिव चन्द्र यादव, फारेस्ट गार्ड, सुमेरपुर द्वारा अवैध वनों का कटान कराने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा नियम विरुद्ध ग्रीन कार्ड की सुविधाएं प्राप्त करने की शिकायत**

66-श्री राम सेवक सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य श्री लाल बहादुर सिंह ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत विशेष वेतन वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या इनके तीन लड़के राजेन्द्र सिंह, विजय और अमित हैं ? यदि हां, तो क्या इन्हें नियमानुसार विशेष वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए ? क्या शासन राजकोष से अनियमित भुगतान के विरुद्ध दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कबं तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**राजकीय इण्टर कालेज, कदौरां जनपद जालौन के सेवानिवृत्त जमादार श्री जमुना दास की पेंशन व्यवस्था**

67-श्री शिव चरण प्रजापति-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना दास, सेवानिवृत्त चौकीदार, राजकीय इण्टर कालेज, कदौंरा, जनपद जालौन की पेंशन शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा नये वेतनमानों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी गयी है ? यदि हां, तो किस संदर्भित आदेश द्वारा ? यदि नहीं, तो कब तक पेंशन पुनरीक्षित कर दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा लिए गए यात्रा भत्ते में अनियमितता बरतने की शिकायत**

68-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम विकास मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव के जिला विकास अधिकारी द्वारा वर्ष 90-91 में लिए गए यात्रा भत्ता व उनकी यात्राओं में साम्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिन तिथियों के लिए उक्त वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रा भत्ता लिया है उन्हीं तिथियों में वे अपने कार्यालय में भी रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वर्ष 90-91 के पूरे जिले के लिए प्राप्त यात्रा भत्ता और कान्टिजेन्सी आदि के आवंटन को भी उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा समय से सभी विकास खण्डों को भेजा गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय आवंटन जिला केन्द्र पर किस माह प्राप्त हुए और ब्लाकों को कब प्राप्त हुए ? सरकार द्वारा उक्त सभी प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह-

जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा कथित रूप से यात्रा भत्ता लिये जाने में अनियमितता किये जाने के विषय में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जाचं की जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । प्रश्न के उत्तर के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद फिरोजाबाद के ए0के0 इण्टर कालेज, शिकोहाबाद के अध्यापकों को वेतन भुक्तान न किए जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही**

69-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए0के0 इण्टर कालेज, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद के अध्यापकों का वेतन भुगतान नहीं किए जाने की सूचना सरकार को भेजी गई है ? यदि हां, तो क्या जीव विज्ञान के प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह का वेतन भुगतान न किए जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र दिनांक 4 दिसम्बर, 91 मुख्य मंत्री को लोक शिकायत अनुभाग-3 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं और 2 साल तक वेतन न दिए जाने की गम्भीर अनियमितताओं की जांच किससे करवाई गयी हैं ? क्या उस पत्र में जिला विद्यालय निरीक्षक पर भी आरोप लगाये गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वेतन भुगतान का त्वरित आदेश देते हुए उक्त विद्यालय के सभी प्रकरणों की जांच शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से करवायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह-

श्री कृष्ण कुमार सिंह का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 4-12-91 मुख्य मंत्री सचिवालय लोक शिकायत अनुभाग-3 को सम्बोधित तथा शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ है ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल को इस प्रकरण की जांच करने के आदेश दिये गये हैं । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

**श्री मोहन लाल, निवासी पलिया कला, जिला खीरी की भूमि, विकास खण्ड कार्यालय निर्माण हेतु अधिग्रहण करने के कारण मुआवजे की मांग**

70-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 347/90, दिनांक 25-9-90 के जिला विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी को श्री मोहन लाल पुत्र भगवानी दीन, पलिया कलां, खीरी की भूमि विकास खण्ड कार्यालय निर्माण हेतु लेने एवं मुआवजा उन्हें न मिलने विषयक प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । जिला विकास कार्यालय, लखीमपुर खीरी में ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उप वन संरक्षक, पूर्वी अल्मोड़ा के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर कार्यवाही तथा स्थानान्तरण की मांग**

71-श्री पूरन चन्द्र-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा उनको अगस्त, 1991 में उप वन संरक्षक, पूर्वी अल्मोड़ा के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ? कब तक उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 10-9-91 की जांच करायी जा रही है

प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 10-9-91 की जांच करायी जा रही है।

**पूर्वी वन प्रभाग जनपद अल्मोड़ा का उप वन संरक्षक का कार्यालय बागेश्वर में स्थानान्तरित करने की मांग**

72-श्री पूरन चन्द्र-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी वन प्रभाग जनपद अल्मोड़ा का उप-वन संरक्षक का कार्यालय बागेश्वर में स्थानान्तरित करने हेतु उनको प्रश्नकर्ता द्वारा दिए गए पत्र अक्टूबर, 1991 पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?
यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

उप वन संरक्षक, पूर्वी वन प्रभाग जनपद अल्मोड़ा का कार्यालय बागेश्वर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर शासन द्वारा विचार किया गया । उक्त कार्यालय को अल्मोड़ा से बागेश्वर स्थानान्तरित करने का औचित्य नहीं पाया गया ।

73-श्री राम आसरे वर्मा-

(माननीय उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया)

**जनपद बांदा के विकास खण्ड, जसपुरा में इन्दिरा आवास योजना व निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में कालोनियों का निर्माण पूर्ण कराया जाना**

74-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में वर्ष 1989-90 व 1990-91 में इन्दिरा आवास योजना व निर्बल आवास योजना द्वारा ग्राम सभा तनगामऊ, पडोहरा, रामपुर, मवईघाट, गडरिया नरजिता में शासनादेशानुसार नक्शा के अनुसार कालोनियों का निर्माण करा दिया गया है ? कितनी कालोनियों का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है तथा कितनी अपूर्ण हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में ग्राम पडोहरा में 10 व वर्ष 1990-91 में ग्राम पडोहरा में 10, ग्राम मवईघाट में 10 आवास बनने थे, जिनमें से ग्राम पडोहरा के 10 आवास वर्ष 1989-90 एवं 10 आवास वर्ष 1990-91 के शासनादेश/नक्शे के अनुसार पूर्ण करा दिये गये हैं । ग्राम सभा मवईघाट के 10 आवास वर्ष 1990-91 के निर्माणाधीन है।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में ग्राम पडोहरा में 1, रामपुर में 19, मवईघाट में 1, गडरिया में 8, नरजिता में 2 आवास नक्शे के अनुसार पूर्ण करा दिये गये हैं । ग्राम सभा तनगामऊ में 3, पडोहरा में 4, रामपुर में 1, मवईघाट में 2 नरजिता में 3 आवास निर्माणाधीन है । वर्ष 1990-91 में ग्राम पडोहरा में 6, गडरिया में 6, नरजिता में 6 आवास पूर्ण है तथा ग्राम सभा रामपुर में 1 आवास अपूर्ण है । उक्त अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु जिलाधिकारी, बांदा को निर्देश दे दिये गये हैं ।

**जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ द्वारा श्री शिवा नन्द मल्ल को प्रबन्धक पद की मान्यता दिए जाने के बावजूद प्रबन्ध समिति का अतिक्रमण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

75-श्री राम सेवक सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित आदेश दिनांक 11-9-91 तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मऊ ने श्री शिवानन्द मल्ल को पत्रांक सं04332/प्र0सं0/91-92 दिनांक 4-10-91 द्वारा प्रबन्धक पद की मान्यता प्रदान की है ? उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर ने बिना निरीक्षण किये शिक्षा संहिता की धारा (3-3) का प्रयोग करते हुए पत्रांक आ0/7512/91-92, दिनांक 16-10-91 को एकल संचालन द्वारा आदेश पारित कर प्रबन्ध समिति का अतिक्रमण कर लिया है ? क्या विभाग उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि करेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

रिट याचिका संख्या-11551/91 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह आदेश दिये थे कि प्रबन्धकीय कार्यकलापों के लिए मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक उचित आदेश दे सकते हैं । इन आदेशों के अनुपालन एवं परिपेक्ष्य में विद्यालय के खातों का एकाकी संचालन उल्लिखित पत्र द्वारा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

76-श्री बच्चा पाठक-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1988, 30 दिसम्बर को श्री राम पियारे सुमन, सांसद ने कोई पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को उनके पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1988 अ0शा0 पत्र संख्या 1935/आ0लि0 फतेहपुर ककडिल्ला विद्यालय के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बतायेंगे कि सांसद द्वारा लिखे गये तथ्यों की कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**शाहजहांपुर डिपो की रोडवेज बसें तहसील निघासन तक चलवाने की मांग**

77-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1437/91 दिनांक 10-10-91 शाहजहांपुर डिपों की रोडवेज बसें तहसील निघासन में चलवाने विषयक मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

पत्र में वर्णित मार्ग पूर्णतः अराष्ट्रीकृत है तथा इन पर निजी बसों का संचालन निगम के सीमित संसाधनो तथा अराष्ट्रीय मार्गों पर निगम की बस सेवा न चलाने की नीति के कारण इन सेवाओं का संचालन/विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है ।

78-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरतगंज, बाराबंकी के छात्र मुनेश्वर दयाल के अंक पत्र में विषयों का फेर बदल करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही**

79-श्री अनिल कुमार-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुनेश्वर दयाल पुत्र फेरी लाल अनुक्रमांक 169944 राजकीय उच्चतर माध्यमेक विद्यालय, सूरतगंज (बाराबंकी) परीक्षा केन्द्र से वर्ष 1991 में व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित हुए थे ? क्या उक्त छात्र ने जिन विषयों में परीक्षा दी थी उन विषयों का उल्लेख जारी किये गये अंक पत्र संख्या 00131817 में है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गलत अंक पत्र जारी

करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

जी हां ।

सम्बन्धित छात्र द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अर्थशास्त्र विषय उपहृत किया था जिसके कारण अर्थशास्त्र विषय अंक पत्र में मुद्रित हुआ ।

आवेदन पत्र में अर्थशास्त्र विषय भरने की त्रुटि छात्र द्वारा स्वयं की गई थी और परीक्षा नागरिक शास्त्र विषय में दी । अतः किसी अन्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जिला मऊ के विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी**

80-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊनाथ भंजन, जनपद मऊ के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 21-6-90 को प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिया था, जिसे उनके स्तर से वन सचिव को दिनांक 22-6-90 को भेजा गया ? क्या यह सच कि श्री आर0पी0 सक्सेना, वन रक्षक, लखनऊ, श्री अशोक सिंह, वन रक्षक, वाराणसी एवं श्री ज्ञान चन्द्र मिश्र, वन रक्षक, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर ने संयुक्त रूप से की थी ? क्या लोगों द्वारा जांच करके शासन को जांच रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब तथा शासन द्वारा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

श्री रमेश चन्द्र, तत्कालीन प्रभागीय निदेशक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच श्री जी0सी0 मिश्रा, वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, गोरखपुर एवं श्री आर0बी0 सक्सेना, वन संरक्षक, प्रशिक्षण सेल, सामाजिक वानिकी, लखनऊ द्वारा की गई है, जो क्रमशः 14-8-91 व 3-1-92 को प्राप्त हुई । जांच आख्या अभी शासन के विचाराधीन है ।

81-श्री राम प्रसाद सिंह -

(6ठे गुरु में अता0 प्र0सं0 204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद बांदा के राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बबेरू में प्रधानाध्यापिक की नियुक्ति**

82-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय बबेरू में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मार्च, 1986 से चालू है

तथा विद्यालय खलने की तिथि से स्नातक वेतनक्रम की शिक्षिका प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या वहां प्रधानाध्यापिका का पद सृजित नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उक्त पद सृजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो स्नातक वेतनक्रम की शिक्षिका को इतने लम्बे समय तक प्रभारी रखे जाने का क्या औचित्य है ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

पद सृजित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा हुआ है । आयोग द्वारा चयनोपरान्त संस्तुत अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर नियमित प्रधानाध्यापिका को नियुक्ति की जायेगी ।

83-श्री राम ललित चौधरी-

(3सरे मंगलवार में अता0 प्र0सं0 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद महाराजगंज में सिसवा तथा निचलौल क्षेत्र को दुग्ध पट्टी घोषित किया जाना**

84-श्री शिवेन्द्र सिंह -

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में सिसवा निचलौल में दूध अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को दुग्ध पट्टी घोषित करेगी एवं उसका सर्वेक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र शेखर सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद आगरा में कस्बा खन्दौली में राजकीय इण्टर कालेज तथा ऐतमादपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज स्थापित किया जाना**

85-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय जनता की मांग पर जनपद-आगरा के कस्बा -खन्दौली पर राजकीय इण्टर कालेज तथा ऐतमादपुर पर राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त स्थानों पर राजकीय कालेजों की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधे राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की योजना न होने के कारण ।

**जनपद उन्नाव में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित दूध को उन्नाव तक ले जाने की व्यवस्था**

86-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित दूध को उन्नाव केन्द्र तक ले जाने के लिए प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव में वर्ष 89-90 एवं 90-91 में दूध की गाड़ी की व्यवस्था की ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में गाड़ी का मार्ग क्या था और इससे कितनी दुग्ध सहकारी समितियां लाभान्वित होती रहीं ? क्या यह सच है कि उक्त गाड़ी का मार्ग अब घटा दिया गया है, जिससे दुग्ध सहकारी समिति बहवा (शिवदीनखेड़ा) आदि को कठिनाइयां होने लगी हैं ? यदि हां, तो पूर्ववत् व्यवस्था बनाये रखने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह -

जी हां ।

पुरवा क्षेत्र गाड़ी का मार्ग निम्नवत् था.

"उन्नाव अवशीतन केन्द्र- कालूखेड़ा-मौरावां-भलौना-मौरावां-पुरवा-सरसौं-पुरवां विछिया-उन्नाव अवशीतन केन्द्र ।

उक्त मार्ग में वर्ष 1989-90 में 25 दुग्ध सहकारी सोमितयां लाभान्वित हो रही थी वर्तमान में 38 दुग्ध सहकारी समितियां लाभान्वित हो रही हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा में हटाए गए राजकीय बालक विद्यालय कुर्रही को पुनः वहीं पर स्थापित करने की मांग**

87-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद में कुर्रही में राजकीय बालक विद्यालय हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस विद्यालय का सामान कुर्रही मे ही सुरक्षित रखा है ? यदि हां, तो क्या इस विद्यालय को पुनः शीघ्र कुर्रही चलाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार शिक्षा दिए जाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

निम्न कारणों से:-

(1) ग्रामवासियों द्वारा 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के आश्वासन के बावजूद भी भूमि उपलब्ध न कराना ।

(2) विद्यालय में डकैती का पड़ता ।
(3) कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का न मिलना ।
(4) तात्कालिक व्यवस्था हेतु विद्यालय भवन अति न्यून होना ।
जी हां ।
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
जी नहीं ।
योजना न होने के कारण ।

**लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक राजकीय बस संचालन से सम्बन्धित दिए गए पत्र पर कृत कार्यवाही**

88-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 260/90 दिनांक 5-3-90 जो लखनऊ से लखीमपुर, ढखेखा चौराहा, निघासन से दुधवा नेशनल पार्क राजकीय बस चलवाने विषयक है उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

लखीमपुर खीरी, शारदानगर निघासन, पलियांकला होते हुए लखनऊ दुधवा पार्क के लिए बस संचालन की मांग के परिपेक्ष्य में, लखीमपुर से दुधवा तक के अराष्ट्रीयकृत मार्ग के लिए अस्थयी परमिट प्राप्त कर निगम द्वारा बस सेवा संचालित की गई जिसे सन्तोषप्रद आय न होने के कारण दिनांक 16-2-91 से बंद कर दिया गया ।

89-श्री यदुनाथ सिंह-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**श्री बी0आर0 मेहरोत्रा, सेवानिवृत्ति सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण द्वारा दायर रिट याचिका एवं कृत कार्यवाही**

90-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बी0आर0 मेहरोत्रा सेवा निवृत्त, सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण ने शासन से न्याय न मिलने के फलस्वरूप सेवा सम्बन्धी एक रिट याचिका संख्या-7410/1991 माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में दायर की है ? यदि हां, तो उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा निश्चित अवधि में शासन द्वारा प्रति-शपथ-पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त रिट याचिका में अभी तक शासन द्वारा प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध शासन का कौन-कौन

अधिकारी दोषी है ? क्या शासन उक्त प्रकरण में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में दोषी अधिकारी के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

न्यायालय ने शासन से निर्देश प्राप्त करने के लिए स्थायी अधिवक्ता को सप्ताह का समय दिया था । प्रति शपथ पत्र दाखिल करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी । प्रति शपथ पत्र दिनांक 10-3-92 को माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कर्वी, जनपद बांदा में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की मांग**

91-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कर्वी में प्रवक्ताओं व एल0टी0 ग्रेड अध्यापकों के कितने स्थान कब से रिक्त हैं ? क्या इनकी पूर्ति के प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रवक्ता के 5 पद वर्ष 1989 से रिक्त हैं । एल0टी0 वेतनक्रम में कोई पद रिक्त नहीं है ।

जी हां ।

प्रवक्ता नियमावली के प्रख्यापन होने के उपरान्त पदोन्नति द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी ।

**जनपद आगरा की ऐतमादपुर विकास खण्ड के बरहन से बुर्ज नल्थू मार्ग पर लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना**

92-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की ऐतमादपुर विकास खण्ड के बरहन से बुर्जनत्थू बाया खेड़ी, कुरगवां नगला सिरजी मार्ग जिस पर अर्थ वर्क 1977-78 में ही पूरा हो गया था, अब तक लेपन स्तर तक का कार्य न होने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक इस मार्ग के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

श्री कल्याण सिंह-

आगरा जनपद की ऐतमादपुर विकास खण्ड बरहन से बुर्ज नत्थू वाया खेड़ी कुरगवां, नगला सिरजी मार्ग हेतु अभी तक लेपन स्तर तक का कार्य स्वीकृत नहीं है ।

वर्ष 1977-78 के पश्चात् इस मार्ग पर 3.80 किमी0 की दूरी में इण्टरकोट स्तर तक का कार्य कराया गया है, जिस पर 1.38 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

**जनपद आगरा की ऐतमादपुर तहसील में बनवाए गए मार्गों पर खर्च की गई धनराशि की जानकारी**

93-श्री चन्द्र भान मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की ऐतमादपुर तहसील में ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा द्वारा वर्ष 1989-90 व वर्ष 1990-91 में किन मार्ग पर अर्थ वर्क तथा पुलिया निर्माण के कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या किये गये कार्यों की जांच किसी प्राविधिक उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

विवरण संलग्न है ।

किसी विशिष्ट शिकायत के अभाव में जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 138 पर)

**खण्ड विकास अधिकारी बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा इन्दिरा आवास योजना एवं वायो गैस योजना एवं मार्गों की झूठी रिपोर्ट शासन को भेजे जाने की शिकायत**

94-श्री श्याम नारायण-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी, बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर ने अपने खुसरेहा विकास खण्ड के कार्यकाल में वर्ष 1989-90 में शासन को इन्द्रा आवास निर्बल वर्ग आवास बायोगैस स्कीम सम्पर्क मार्गों तथा पुलियों के आज भी अधूरा रहने के बावजूद, कार्यपूर्ति दिखाकर शासन को झूठी सूचना देकर गुमराह किया है ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध झूठी सूचना देने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

95-श्री श्याम नारायण-

(3सरे मंगलवार में अता0 प्र0सं0 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड बांसी स्थित ग्राम सभा हरैया में बनवाये जा रहे प्राइमरी पाठशाला भवन में प्रयुक्त सामग्री के पूर्ण विवरण की जानकारी**

96-श्री श्याम नारायण-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास खण्ड बांसी, जनपद सिद्धार्थ नगर स्थित ग्राम सभा हरैया के प्राइमरी पाठशाला भवन का निर्माण विकास खण्ड बांसी द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उनमें प्रयुक्त सामग्रियों को कहां-कहां से कितने मूल्य में खरीदा गया है ? उसी ग्राम सभा स्थित पुराने प्राइमरी पाठशाला में प्रयुक्त ईंट, छड़, लकड़ी एवं दरवाजे आदि का पूर्ण ब्यौरा क्या है ? क्या वे सामान सुरक्षित रखे गये हैं अथवा वैधानिक तरीकों से निर्माण में प्रयुक्त किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**आनर्स प्राप्त वन रेंजरों को स्टेट फारेस्ट सर्विस फोर्स का प्रशिक्षण**

97-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या 3-54/83-एफ0आर0वाई0आर0ई0 के परिपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने आनर्स प्राप्त वन रेंजरों को स्टेट फारेस्ट सर्विस फोर्स (डिप्लोमा फोर्स) में प्रशिक्षण हेतु भेजा है ? यदि नहीं, तो उन्हें न भेजने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण हेतु उन्हें कब तक भेजेंगे ?

श्री कल्याण सिंह-

वन सेवा नियमावली में स्टेट फारेस्ट सर्विस कोर्स (डिप्लोमा कोर्स) में आनर्स प्राप्त वन रेंजरों के प्रशिक्षण हेतु प्राविधान न होने के कारण किसी भी आनर्स प्राप्त वन रेंजर को प्रशिक्षण हेतु भेजना सम्भव नहीं है ।

**जनपद मऊ में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड तथा साइन्स अध्यापकों की नियुक्ति**

98-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अंतर्गत मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड तथा साइन्स अध्यापकों के अलग-अलग विद्यालयों में कुल कितने स्थान रिक्त हैं ? छात्रों के भविष्य को देखते हुये शासन द्वारा उन पर नियुक्ति कब तक की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जनपद मऊ में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड तथा साइन्स अध्यापकों के रिक्त स्थानों की संख्या ज्ञात की जा रही है ।

रिक्त स्थानों पर नियुक्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**उ0प्र0 में मार्च, 1991 में शिक्षा विभाग श्रेणी दो में की गई प्रोन्नति में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जाना**

99-श्री राम ललित चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 1991 में जो 70 जिला उप विद्यालय निरीक्षक, अतिरिक्त जिला उप विद्यालय निरीक्षक तथा प्रधानाचार्य राजकीय दीक्षा विद्यालय की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति की गई है, उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

मार्च, 1991 में अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों सहित जिला उप विद्यालय निरीक्षकों, अपर विद्यालय उप निरीक्षकों तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की जो 200 पदोन्नतियां श्रेणी दो में की गईं, उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पात्रता क्षेत्र में उक्त जाति के अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका ।

**उ0प्र0 में जून, 1991 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की प्रोन्नतियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किया जाना**

100-श्री राम ललित चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जून, 1991 में जो 81 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की राजपत्रित पदों पर पदोन्नति की गई है क्या उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101-102-श्री यदुनाथ सिंह -

(3 रे मंगलवार में अता0प्र0सं0 202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

103-श्री यदुनाथ सिंह -

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।)

**मेसर्स साधन सहकारी, लिमिटेड ग्राम कसनही जिला जौनपुर के नियोजकों से जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा वसूली**

104-श्री दीनानाथ सिंह यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र-वाराणसी के कार्यालय से प्रेषित वसूलयाबी प्रमाण-पत्र संख्या 10927/बना प्र0-पी0डब्लू0 44/85, दिनांकित 21-7-1988 में वांछित धनराशि मु0 6,666 रुपया और दूसरे वसूलयाबी प्रमाण-पत्र संख्या 16259/बना प्र0-11-बी0वि0 74/88 दिनांक 28 नवम्बर, 1988 में वांछित धनराशि 17,688 रुपया की वसूली मेसर्स साधन सहकारी समिति लि0 ग्राम कसनही पोस्ट-निजामुद्दीनपुर, जिला जौनपुर के नियोजकों से जिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा कर ली गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वसूली कार्यवाही के बारे में स्थगन आदेश दिये जाने के कारण अभी तक वसूली सम्भव नहीं हो सकी है ।

**राजकीय बालिका इण्टर कालेज उरई, (जालौन) में व्यायाम शिक्षिका के पद समाप्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

105-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, उरई (जालौन) में गत 4 वर्षों से व्यायाम शिक्षिका का पद समाप्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि व्यायाम की शिक्षिका के उक्त तकनीकी पद पर किसी सामान्य विषय की शिक्षिका की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार ने इसके लिये संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

व्यायाम शिक्षिका के नाम पर पृथक से कोई पद संस्था में सृजित नहीं है। पूर्व व्यायाम शिक्षिका के अन्यत्र स्थानान्तरित हो जाने के कारण उक्त पद की पूर्ति किसी सामान्य शिक्षिका का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बरेली महानगर के चारों ओर जाने वाले मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट वाहनों में ओवर लोडिंग समाप्त किया जाना**

106-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि बरेली महानगर से चारों ओर जाने वाले मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट वाहनों में भारी संख्या में सवारियों को भरा जाता

है, जिससे दुर्घटना होने का बहुत डर रहता है ? यदि हां, तो इसे रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

बरेली महानगर से चारों ओर से जाने वाले मार्गों पर चलने वाले प्राइवेट वाहनों में कभी-कभी ओवरलोडिंग देखने को मिलती है । ओवर लोडिंग की रोकथाम हेतु बरेली के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सख्त कार्यवाही की जाती है । प्रश्नगत मार्गों पर दिनांक 1-1-91 से 31-1-92 तक ऐसे वाहनों के 235 चालान किये गये हैं जिससे 33 वादों का निस्तारण किया गया और जिसके फलस्वरूप रुपये 11,420 शमन शुल्क के रूप में वसूल किया गया एवं धारा 53 के अंतर्गत एक मामले में 28 दिन के लिये पंजियन निलम्बित किया गया ।

**बरेली कैण्ट के पुराना शहर क्षेत्र स्थित बालजती स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज को मान्यता दिये जाने की मांग**

107-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बरेली कैन्ट के पुराना शहर क्षेत्र स्थित बालजती स्कूल इण्टरमीडिएट कालेज को मान्यता देने के लिये काफी दिनों से मांग हो रही है ? यदि हां, तो अभी तक इसे मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह-

संबंधित विद्यालय के वर्ष 1984 की परीक्षा से मान्यता हेतु आवदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय में दिनांक 12-9-91 को प्राप्त हुये ।

मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने विचारोपरान्त प्रकरण को अस्वीकृत कर दिया है।

108-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

(4 थे सोमवार में अता0प्र0सं0 209 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

**नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में जांच व आडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाना**

109-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स इण्टर कालेज, बाराबंकी में दिनांक 1-5-90 से दिनांक 30-6-90 के मध्य की गई जांच व आडिट के आधार पर अपर शिक्षा निदेशक (महिला) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने पत्र दिनांक 7-11-90 द्वारा कोई आदेश (नोटिस) प्रबन्धाधिकरण को दिया है ? यदि हां, तो क्या उनके आदेशों का कार्यान्वयन किया गया ? क्या इसके बाद फैजाबाद के मण्डलीय अधिकारियों ने प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1991 की धारा 16-घ की कार्यवाही करने की संस्तुति शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

से की है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति करने की कार्यवाही किस स्तर पर कितने समय से लम्बित है ?

श्री राजनाथ सिंह-

उल्लिखित विद्यालय को अपर शिक्षा निदेशक (महिला) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16 घ (2) के निर्देश पत्र दिनांक 7-11-92 द्वारा दिये गये हैं । प्रश्नगत विद्यालय को अधिनियम की धारा 16 घ (3) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिनांक 24-1-92 को दी जा चुकी है । प्रबन्धतंत्र से उत्तर दिनांक 13-2-92 को प्राप्त हुआ है, जो क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षणाधीन है ।

110-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

(दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त)

**श्री रमेश चन्द्र मिश्रा पूर्व उप निबन्धक, मऊ के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1989-90 में दर्ज टिप्पणी के आधार पर उचित कार्यवाही किया जाना**

111-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, पूर्व उप निबन्धक मऊ/मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने वर्ष 1989-90 में धोखा-धड़ी झूठ व अदालत को गुमराह करने संबंधी कोई टिप्पणी अपने निर्णय में लिखी है ? यदि हां, तो विभाग ने उस टिप्पणी पर क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि उपरोक्त निबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नकर्ता को जानबूझकर बदनाम करने का भी आरोप लगाया था ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच करके उक्त उप निबन्धक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

कार्यवाही विचाराधीन है ।

शीघ्र ही आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

**चित्रकूट जनपद बांदा में परिवहन निगम का डिपो खोलने की मांग**

112-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट (बांदा) में परिवहन निगम का डिपो खोलने हेतु चयनित भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा 4 (1) के प्रकाशनार्थ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ? चित्रकूट डिपो की पूर्ण स्थापना बसों व स्टाफ सहित कब तक करा दी जायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

परीक्षण किया जा रहा है ।

भूमि का अधिग्रहण किये जाने के निर्णय के उपरान्त यथास्थिति अनुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

**अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

।।3-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ता, बांदा को पत्र संख्या ग-नं0-3094।3/, दिनांक 28-।।-9। द्वारा अनियमितताओं के संबंध में लिखा था ? क्या सरकार पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें अनियमितताओं का उल्लेख नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा दिसम्बर, ।99। में मुख्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही**

।।4-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दलित शिक्षा आन्दोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा दिसम्बर, ।99। में विधान सभा के सामने कोई आन्दोलन/धरना हुआ था ? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की मुख्य मांग क्या थी ? क्या सच है कि आन्दोलनकारियों ने आन्दोलन के पूर्व मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन भी दिया था ? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष ।99। में एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

।।5-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्ष ।99। में एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष में कितने छात्रों का प्रवेश किया गया है और कुल कितनी सीटें थीं ? क्या यह सच है कि माह नवम्बर, 9। में जारी सूची में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या सिर्फ 6 थी ? क्या सरकार यह बतायेगी कि आरक्षण कोटे के आधार पर अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश दिलाया गया है ?

यदि नहीं, तो आरक्षण के आधार पर प्रवेश न दिलाये जाने के क्या कारण हैं ? आरक्षण के कोटे के अनुसार कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश मिलना चाहिये था इसके विपरीत कुल कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश मिला है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

58 छात्रों को प्रवेश दिया गया और कुल 60 (साठ) सीटें थीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रवेश हेतु आरक्षण कोटे के रूप में कोई संख्या निर्धारित नहीं है । प्रवेश संबंधी नियमों के अनुसार प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रवेशार्थियों को प्रवेश परीक्षा के अंकों में 10 प्रतिशत अंकों की वरीयता (वेटेज) दी जाती है ।

प्रवेश हेतु आरक्षण का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । प्रवेश परीक्षा में 10 प्रतिशत अंकों की वरीयता देने के बाद प्रवेश हेतु अर्ह पाये गये अनुसूचित जाति के 6 छात्रों को प्रवेश दिया गया ।

**लखनऊ मण्डल के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की मांग**

116-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डल के उप विद्यालय निरीक्षकों का वेतनमान अधीनस्थ जूनियर हाई स्कूल लखनऊ के प्रधान अध्यापकों से कम दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों क्या यह सत्य है कि लखनऊ मण्डल के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है जबकि गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद मण्डलों में दिया जाता है ? यदि दिया जायेगा, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

उप विद्यालय निरीक्षकों का वेतनमान रुपये 2000-3500 तथा अधीनस्थ जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों के वेतनमान रुपये 1450-2300 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, अन्य मण्डलों की तरह लखनऊ मण्डल के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को भी समय-समय पर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सरदार पटेल इण्टर कालेज रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

।।7-श्री राम सेवक सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद की दिनांक 29-7-9। को जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद द्वारा जांच की गई थी ? यदि हां तो क्या उपरोक्त तिथि की विभागीय जांच कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बांदा में प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूल के भवनों का निर्माण कराये जाने की मांग**

।।8-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में प्राइमरी पाठशाला/जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के भवन निर्माण की धनराशि का आवंटन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा को किया गया है ? यदि हां, तो वर्ष ।984 से ।990 तक कितने विद्यालय भवनों के निर्माण की धनराशि दी गई है ? इनमें से कितने बनकर पूरे हो गये हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? कितने में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है और क्यों ? क्या इसी धनराशि में से अन्य एजेंसियों द्वारा भवनों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, बांदा द्वारा विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये दी गई धनराशि को अपने पास रखने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

वर्ष ।984-85 से ।990 तक ।56 प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु ।।4.5।6 लाख एवं 53 जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु 83.22 लाख की धनराशि दी गई है ।

।।0 प्राइमरी पाठशाला एवं 26 जूनियर हाई स्कूल भवन पूर्ण हो गये हैं । ।0 प्राइमरी पाठशाला एवं ।0 जूनियर हाई स्कूल भवन अपूर्ण हैं ।

36 प्राइमरी पाइशाला भवनों एवं ।7 जूनियर हाई स्कूल भवनों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है 32 प्राइमरी पाठशाला भवनों का कार्य धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया तथा 4 प्राइमरी पाठशाला भवनों के निर्माण हेतु 3.80 लाख की धनराशि शिक्षा विभाग को वापस कर दी गई है । इसी प्रकार ।5 जूनियर हाई स्कूल भवनों का कार्य धनाभाव के कारण नहीं प्रारम्भ किया गया है ।

शेष 2 जूनियर हाई स्कूल भवनों का स्थल 1/92 में प्राप्त होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

4 प्राइमरी पाठशाला भवनों की 3.80 लाख की धनराशि शिक्षा विभाग को वापस की गई है । इन भवनों का निर्माण प्रधानाध्यापकों के माध्यम से कराया जाना है ।

भवनों के लिये स्थल न मिलने के कारण धनराशि जमा रही ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी में राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की मांग**

1119-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार जनपद बांदा में विकास खण्ड नरैनी अंतर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरैनी को स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में इसके लिये कोई प्राविधान नहीं है ।

**बलरामपुर, खरगुपुर, आर्य नगर कटरा, कानपुर मार्ग की निरस्त बस सेवाओं को पुनः चालू किया जाना**

1120-श्री राम सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर, खरगुपुर, आर्य नगर कटरा, कानपुर मार्ग की बस सेवायें निरस्त की गई हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक पुनः चलाने की सम्भावना है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग का महराजगंज, भवानी पुर, आर्य नगर, शान्ति नगर, कटरा तथा कर्नेलगंज तक का 61 कि0मी0 का भाग अराष्ट्रीयकृत है । इस मार्ग पर मई, 89 से जनता की मांग पर प्रयोगात्मक आधार पर एक सेवा चलाई गई थी, परन्तु संचालन अलाभप्रद होने के कारण उक्त सेवा का संचालन दिनांक 20-8-89 से बन्द कर दिया गया ।

निगम के सीमित संसाधनों एवं अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बस सेवा न चलाने की नीति के कारण उक्त अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर पुनः बस सेवा का संचालन करना सम्भव नहीं है ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड, जसपुरा में कुओं के निर्माण योजना में की गई अनियमितताओं की जांच कराने की मांग**

121-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत वर्ष 1990-91 व 1991-92 में किन ग्रामों में कूपों का निर्माण किया गया है ? क्या कूपों के निर्माण हेतु ओवर इस्टीमेट अवर अभियन्ताओं द्वारा बनाया जाता है ? क्या ग्राम पडोहरा, पडेरी, पिपरोदर, गोरीकला, गडरिया में कूप निर्माण दिखाकर कार्य दिवसों का विवरण दिया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या अभी भी कूपों का निर्माण प्रगति पर है जबकि कूपों की पूरी धनराशि सरकार से कार्य पूरा दिखाकर ली जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में स्वीकृत 5 सिंचाई कूपों में ग्राम पडेरी, पडोहरा एवं गडरिया का कार्य पूर्ण हो गया है एवं गौरीकला एवं पिपरोंदर दो ग्रामों में कूप निर्माण कार्य प्रगति पर है । वर्ष 1991-92 में आवंटित गौरीकला सिंचाई कूप का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

ग्राम पडोहरा, पडेरी, गडरिया में क्रमशः 413, 497, 551 मानव दिवसों का सृजन किया गया तथा गौरीकला तथा पिपरोंदर में क्रमशः 322, 280 मानव दिवसों का सृजन किया गया है ।

ग्राम पडोहरा, पडेरी एवं गडरिया में निर्मित सिंचाई कूपों का कार्य पूर्ण है, केवल गौरीकला एवं पिपरोंदर में निर्माण कार्य प्रगति पर है । इस्टीमेट स्वीकृत होने के पश्चात् ही धनराशि अभिकरण से विकास अधिकारी जसपुरा के लिये अवमुक्त की गई है एवं खण्ड विकास अधिकारी देख-रेख में कार्य कराया है जिसमें कार्य प्रारमभ होने से पहले निकाल कर व्यय किये जाने का प्राविधान है ।

उक्त कार्य का स्थलीय निरीक्षण अभिकरण के सहायक अभियन्ता द्वारा कराया गया जिसमें कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

**जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा स्वीकृत सड़कों की लम्बाई तथा उक्त पर हुए व्यय की जानकारी**

122-श्री विजय सिंह राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील फतेहाबाद के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जिला योजना के अतिरिक्त अन्य

योजनाओं में भी कुछ सड़कें स्वीकार की गई हैं ? यदि हां, तो किस-किस योजना में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया है ? इन मार्गों की कुल लम्बाई क्या है व इन पर कुल कितनी धनराशि स्वीकार की गई हैं ।

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा जिला योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में जो सड़कें वर्ष 1990-91 व 91-92 में संपादन हेतु स्वीकृत हुई हैं, का मार्गवार विवरण संलग्न है ।

(विवरण देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 189-190 पर)

**श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बकाया वेतन, बोनस एरियर का भुगतान**

123-श्री राम सेवक सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6-9-88 को श्री सरदार पटेल इण्टर कालेज, रूम खेरहट खुर्द, इलाहाबाद के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन एरियर, बोनस का बिल रुपया 40,939.30 पैसा, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा किया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त बिल से कर्मचारियों के बकाया का भुगतान हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि होगा, तो कब तक ? क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा उपरोक्त बिल के भुगतान न होने के संबंध में कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

प्रश्नगत विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बकाया वेतन एवं बोनस आदि का बिल रुपया 40,939.30 पैसे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में दिनांक 6-9-88 को जमा किया गया था जहां से वह गुम हो गया है । इस कारण भुगतान नहीं हुआ है ।

उक्त बिल के गुम हो जाने एवं भुगतान में विलम्ब होने की जांच की जायेगी और दोषी कर्मियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

124-श्री राम आसरे वर्मा -

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया ।)

**जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर के कुछ गांवों में इन्दिरा आवास योजना के निर्माण में किये गये गबन की जांच की मांग**

125-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद -

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द

के ग्राम जखौंरा, मोहनपुरवा, जमालपुर, लुकतरा, कनबारा, चटगन लामा, करहिया, महोखर, मौहदा, खैराडा, पिपरी, चकचटगन आदि में निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत शासन के मानक के अनुसार आवास का निर्माण करके लाभार्थियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों में लैट्रिन टैंक आदि योजनानुसार बनाकर कब्जा दिया गया है ? यदि हां, तो आवंटन का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? क्या सरकार काली कपासी क्षेत्र के लिये अलग से आवास के पाइल्स रैप्स फाउन्डेशन हेतु 2,000 रुपये धनराशि देती है ? यदि हां, तो कितने आवास इस योजनानुसार पुर्ण करके कब्जा दिये गये व कितने अपूर्ण हैं ? कितने इन्दिरा आवासों के बिना पाइल्स रैप्स फाउन्डेशन के ही आवास बनाकर कब्जा देकर धनराशि का गबन किया गया है ? क्या इसकी भी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?क्या दोषी खण्ड विकास अधिकारी व अवर अभियन्ता के खिलाफ मुकदमा चलाया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

वर्ष 1989-90 के ग्राम कमवारा एवं चकचटगन के निर्बल वर्ग के आवास तथा ग्राम सभा मौहदा के निर्माणाधीन आवासों को छोड़कर शेष का निर्माण मानक के अनुसार कराकर कब्जा दे दिया है ।

केवल वर्ष 1989-90 में ग्राम लुकतरा, खैराडा एवं चटगन में इन्दिरा आवासों के साथ शौचालयों का निर्माण कराया गया है । ग्राम मौहदा में शौचालय बनना शेष है । शेष के लिये शौचालयों का प्राविधान नहीं किया गया है ।

वर्ष 89-90 में लुकतरा में 8, खैराडा में 16, चटगन में 8 तथा मौहदा में 8 इन्दिरा आवासों के साथ शौचालयों के लिये 1200 रुपया प्रति शौचालय की दर से धनराशि आवंटन किया गया है ।

ऐसे क्षेत्र के लिये 1,800 रुपया प्रति आवास की दर से धनराशि दी गई है। वर्ष 1989-90 में कुल 308 आवास पुर्ण कराकर कब्जा दे दिया गया है । वर्ष 1989-90 के 61 निर्बल वर्ग आवास विवादाग्रस्त हैं एवं 2 इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

काली कपासी क्षेत्र में ऐसा कोई आवास नहीं बनाया गया इसलिये धनराशि का गबन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बरेली कैण्ट स्थित धोपा मन्दिर के उत्थान हेतु आर्थिक सहायता की मांग**

126-डा0 दिनेश जौहरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि बरेली कैण्ट स्थित ऐतिहासिक धोपा मन्दिर, जहां हजारों श्रद्धालु जाते हैं बहुत खराब हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ऐतिहासिक मन्दिर के उत्थान के लिये कुछ आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

बरेली कैण्ट स्थित धोपा मन्दिर की इमारत खराब नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद मऊ के ग्राम दुबारी से गाजीपुर तक चलने वाली बन्द बस को पुनः चालू किया जाना**

127-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के ग्राम दुबारी से जनपद गाजीपुर तक एक बस चलती थी, यदि हां, तो क्या उक्त बस को इस समय बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसे पुनः कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

उक्त सेवा से सन्तोषजनक आय न प्राप्त होने के कारण उक्त सेवा बन्द कर दी गई थी ।

वर्णित मार्ग का दुबारी से मऊ तक 39 कि0मी0 का भाग अराष्ट्रीयकृत है। दुबारी के यात्री निगम की संचालित बस से मऊ आकर, मऊ से गाजीपुर के लिए संचालित सीधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करते हैं । संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये वर्णित अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस सेवा का संचालन प्रस्तावित नहीं है।

**जनपद वाराणसी के विकास खण्ड, डीघ के गांव बनकट में इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास की छत एक माह में गिरने पर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

डा0 बृजभान यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड डीघ के अन्तर्गत बनकट ग्राम सभा में वर्ष 89-90 में निर्मित इन्दिरा आवास व निर्बल वर्ग आवास बनने के एक महीने के अन्दर ही गिरकर ध्वस्त हो गये तथा उसमें निवास करने वाली एक हरिजन महिला को गम्भीर चोट आयी ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? आहत महिला के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड डीघ की ग्राम सभा बनकट में वर्ष 1989-90 में इन्दिरा आवासों का निर्माण नहीं कराया गया है । वर्ष 1989-90 में इसी ग्राम में 4 निर्बल वर्ग ग्रामीण प्रस्तावित थे । आवास निर्माण के समय ही बरामदे की छत शटरिंग खोलते समय ध्वस्त हो गयी उसमें कोई लाभार्थी निवास नहीं कर रहा है और न किसी निवास करने वाली महिला को चोट लगी है ।

जी हां ।

मामले में दोषी पाये गये श्री योगेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

129–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद के पूर्व प्राचार्य के पुत्र एवं पुत्री द्वारा अवैधानिक तरीके से विद्यालय से प्राप्त कर रहे वेतन की जांच**

130–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद के पूर्व प्राचार्य के पुत्र एवं पुत्री बिना पद सृजन शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और अनुमोदन के अवैधानिक तरीके से कब से और किसके आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं ? क्या पूर्व प्राचार्य ने अपने पुत्र की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर जो अर्ह नहीं था अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय को फर्जी एम० एस-सी० का अंक-पत्र सत्यापित किया था ? क्या प्राचार्य का पुत्र/पुत्री उन्हीं के कालेज और उन्हीं के कार्यकाल में नियुक्त हो सकता था ? क्या इस संबंध में मंत्री जी कार्यवाही करायेंगे एवं अवैधानिक भुगतान की वापसी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद में अवैधानिक रूप से शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के अवैधानिक वेतन भुगतान की वसूली**

131–श्री राधेश्याम वर्मा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा आर० पी० कालेज, कमालगंज, फर्रुखाबाद में कितने शिक्षक एवं कितने शिक्षणेतर कर्मचारियों का फर्जी अवैधानिक भुगतान हो रहा है ? क्या इनमें उच्च न्यायालय के आदेश पर उप शिक्षा निदेशक के 1988 के निर्णय के विपरीत एक दफ्तरी का प्रधान लिपिक पद पर एवं एक रूटीन लिपिक का फर्जी भुगतान सम्मिलित है ? क्या शिक्षा मंत्री जी उक्त फर्जी अवैधानिक भुगतानों को रोककर वेतन वापसी करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद आजमगढ़ के आदर्श इण्टर कालेज, महेशपुर के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान**

।32-श्री दल सिंगार-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के आदर्श इण्टर कालेज, महेशपुर, आजमगढ़ के अध्यापकों/कर्मचारियों का वर्ष जुलाई, ।974 से अक्टूबर, ।976 तक का बढ़ा वेतन का अवशेष उनको आज तक क्यों नहीं दिया गया ? इसे कब तक दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? क्या उपरोक्त मामले को लेकर संबंधित विद्यालय के अध्यापक/कर्मचारी बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगे हैं ? क्या उनकी मांगों को मंत्री जी तत्काल पूरा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजनाथ सिंह -

उल्लिखित विद्यालय के कर्मियों का जुलाई, ।974 से अक्टूबर, ।976 तक बढ़े हुए वेतन आदि के बकाया का भुगतान नहीं हुआ है । इस प्रकरण का संज्ञान सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर द्वारा निदेशालय के संज्ञान में दिनांक 30-।2-।99। को लाया गया था । भुगतान न होने के संबंध में कारणों की जांच कराई जा रही है और परीक्षणोंपरान्त मामले में नियमान्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा दिनांक ।6-।2-।99। से लेकर दिनांक 28-।2-।99। तक के अवशेषों के भुगतान को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय पर धरना दिया गया था ।

**लखनऊ से हिलौली (उन्नाव) तक चलने वाली अनियमित बस सेवा के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही**

।33-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कैसरबाग डिपो से हिलौली जनपद उन्नाव के मध्य चलने वाली राज्य परिवहन निगम की कोई बस सेवा माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 9। में जारी हो रही है ? यदि हां, तो प्रतिदिन उक्त बस सेवा को उक्त मार्ग पर कितने किलोमीटर प्रतिदिन चलना चाहिये था और औसतन प्रतिमाह कितने किलोमीटर उक्त मार्ग पर उक्त बस सेवा प्रश्नगत महीनों में चली है ? क्या यह सच है कि उक्त बस सेवा अक्सर अनियमित रही है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

उक्त बस सेवा को प्रतिदिन 230 कि0मी0 चलना चाहिये था । उक्त सेवा सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 91 में औसतन प्रतिदिन क्रमशः 182, 140, 77 एवं 113 कि0मी0 चली ।

अनियमित रही है, परन्तु वर्तमान में यह सेवा नियमित रूप से संचालित है।

कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त सेवा अनियमित रही । इसके लिये कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रदेश के पुस्तकालयों में किताबों की खरीद में हुई कमीशन खोरी से संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही**

134-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी पुस्तकालयों में गलत किताबों की खरीद करने तथा बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी के बारे में एक प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ शिक्षा मंत्री को तारीख 11 अक्टूबर, 91 को दिया है ? क्या सरकार द्वारा पत्र में लगाये गये बिन्दुवार आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा के कस्बा कर्वी में शिक्षा विभाग के कतिपय कार्यालय खोले जाने की मांग**

135-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत कर्वी/मऊ सम्भाग के पांच ब्लाकों के प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों तथा उनके संगठनों ने दिनांक 11-12-91 को अपर जिला अधिकारी, कर्वी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करके मांग पत्र दिया है कि कर्वी/मऊ की दूरी को देखते हुए प्रशासनिक एवं सुविधा की दृष्टि से अपर जिला विद्यालय निरीक्षक, कर्वी, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कर्वी, लेखाधिकारी शिक्षा कार्यालयों को स्थापित किये जाये ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त कार्यालयों की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

136-श्री राम सरन-

(5वें शुक्रवार में अता0प्र0सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

**मान्यता प्राप्त असहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन पर लगी रोक हटाये जाने के संबंध में**

137-श्री विजय सिंह राणा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त असहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजन पर रोक लगा दी गई है तथा जिन विद्यालयों को उक्त प्रतिबन्ध लगाने से पहले ही नवीन वर्ग खोलने की अनुमति दी जा चुकी है क्या उनमें भी नियुक्ति पद पर रोक लगी है ? यदि हां, तो नवीन वर्ग के छात्रों के पढ़ाने की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई के माध्यमिक सहायता व असहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों को प्रोन्नत वेतनमान तथा नकदीकरण दिया जाना**

138-श्री खालिद गौरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के माध्यमिक सहायता व असहायता प्राप्त विद्यालयों में अलग-अलग कितने लिपिक कार्यरत हैं क्या इन लिपिकों को प्रोन्नत वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनको प्रोन्नत वेतनमान देने पर विचार करेगी ? क्या इन लिपिकों को नकदीकरण की सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**बिक्री-कर चौकी तमकुहीराज, जनपद देवरिया में लदी हुई ट्रकों का भौतिक सत्यापन**

139-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर चौकी तमकुहीराज, देवरिया से आने-जाने वाली लदी ट्रकों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है ? यदि हां, तो जनवरी, 1991 से अक्टूबर, 1991 तक कितने ट्रकों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

जनवरी, 91 से अक्टूबर, 91 तक 1,000 ट्रकों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**तमकुहीराज जनपद देवरिया में बिक्रीकर की चोरी से सम्बन्धित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही**

140-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमकुही राज, देवरिया में बिक्रीकर चोरी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री रामायण शुक्ल, महामंत्री, जिला समाजवादी जनता पार्टी, देवरिया का शिकायती पत्र दिनांक 26-11-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जी हां ।

शासन द्वारा उक्त के संबंध में आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश की जांच का आदेश दे दिया गया है ।

**जनपदह गोरखपुर के विकास खण्ड गोला के अंतर्गत आई0आर0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच**

141-श्री मारकण्डेय चन्द्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के विकास खण्ड गोला के खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) व श्री पारस नाथ राय, ग्राम विकास अधिकारी नवम्बर, दिसम्बर, 1991 से निलम्बित हैं ? यदि हां, तो इन लोगों के विरुद्ध किनकी क्या शिकायत है तथा आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त अधिकारियों के कार्यकाल के समस्त आई0आर0डी0पी0 कार्य जो गोला ब्लाक में किये गये हैं, उनकी जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

शिकायती पत्र इन अधिकारियों के नाम से न होकर जिला सहकारी बैंक, गोला के शाखा प्रबन्धक द्वारा आई0आर0डी0 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट से संबंधित रुपया 60,000 ऋण राशि बिना परिसम्पत्ति आपूर्ति कराये ही डीलर श्री सन्त प्रसाद पाठक के खाते में स्थानान्तरित कर दिये जाने विषयक थी जो माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिलाधिकारी को दिनांक 15-10-91 को भेजी गई थी ।

प्रकरण की जांच की गई तथा तीनों निलम्बित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र सक्षम अधिकारी को अनुमोदनार्थ भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(3 सरे मंगलवार में अता0प्र0सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित )

**जनपद शाहजहांपुर की ग्राम सभा सरजूपुर के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में कृत कार्य की जांच**

143-श्री बच्चा पाठक-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा सरजूपुर, जनपद शाहजहांपुर के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितना धन दिनांक 10-11-91 तक प्राप्त हुआ और इस धन का क्या सदुपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह-

ग्राम सभा सरजूपुर, जनपद शाहजहांपुर के प्रधान को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत दिनांक 30-11-91 तक मु0 79,040.66 रुपया आवंटित किया गया और उक्त धनराशि से खड़न्जा 64 मीटर, पुलिया 5, मिट्टी कार्य 608.5 मीटर, जल निकास नाला-330 मीटर व गली मरम्मत का कार्य सम्पन्न किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

144-श्री बच्चा पाठक-

(उसरे मंगलवार में अता0प्र0सं0 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद मऊ के दोहरीघाट डिपो की समस्त बसों की मरम्मत कराकर चलाने की मांग**

145-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के दोहरीघाट डिपो में कुल कितनी बसें हैं ? उनमें कितनी बसें ठीक हालत में रोड पर चल रही हैं और कितनी बसें किस कारण से खराब हैं ? क्या सरकार खराब बसों को तत्काल ठीक कराकर रोड पर चलाने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

दोहरीघाट डिपो में चालू माह में कुल 91 बसें हैं । इनमें से 78 बसें रोड पर चल रही हैं, शेष 13 बसें मेन्टीनेन्स एवं अन्य मरम्मत कार्य हेतु आफ रोड हैं। साधारणतः 8 से 10 प्रतिशत बसें हर समय मरम्मत में रहती हैं । दोहरीघाट में इस संख्या से जो अधिक बसें हैं, उन्हें मरम्मत कर चलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

146-श्री बलराम यादव-

(दिनांक 27-2-92 को अता0प्र0सं0 175 द्वारा उत्तरित )

## श्रम विभाग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पदोन्नति दिये जाने की मांग

147-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को पदोन्नति का अवसर मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्रम विभाग में चिकित्सा अधीक्षक के पद विगत कई वर्षों से विभिन्न जनपदों में रिक्त हैं ? यदि हां, तो इसकी कुल संख्या क्या है तथा पद रिक्त रहने का क्या कारण है ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

श्रमायुक्त संगठन में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ, आयुर्वेद तथा होम्योपैथ के लिये एक-एक पद चिकित्साधीक्षक, एलोपैथ, आयुर्वेद तथा होम्योपैथ का श्रमायुक्त मुख्यालय, कानपुर में उपलब्ध है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी, एलोपैथ के लिये वरिष्ठ विशेषज्ञ-67, सहायक निदेशक-5, चिकित्साधीक्षक-3, वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक-3, उप निदेशक-8, तथा संयुक्त निदेशक के 2 पद पदोन्नति हेतु उपलब्ध हैं । इस योजना में आंयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के सीमित पद होने के कारण इनके पदोन्नति के अवसर नहीं हैं ।

श्रमायुक्त मुख्यालय में चिकित्साधीक्षक, आयुर्वेद तथा होम्योपैथ का एक-एक पद रिक्त है । जनपद स्तर पर चिकित्साधीक्षक का पद स्वीकृत नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय किदवईनगर, कानपुर में चिकित्साधीक्षक का एक पर रिक्त है जिस पर सेवा नियमावली प्रकाशित हो जाने के बाद नियमित नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव है।

## जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड, बांसी के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामुदायिक विकास केन्द्र के भवन में सपरिवार नि:शुल्क रहने की शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की मांग

148-श्री श्याम नारायण-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में विकास खण्ड बांसी में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी अवैध रूप से सामुदायिक विकास केन्द्र, बांसी के भवन में सपरिवार रह रहे हैं ? क्या उन्होंने उक्त भवन में बिना शासन की अनुमति के स्थान-स्थान पर मनमाने ढंग से परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो शासन ने उक्त खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

विकास खण्ड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड परिसर में आवासीय व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण प्रमुख, क्षेत्र समित, बांसी की अनुमति से सामुदायिक विकास भवन, बांसी में सपरिवार रह रहे हैं। उक्त भवन में कहीं-कहीं अस्थाई संरचना की गई है जिसका भवन के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं है । किये गये अस्थाई संरचना को किसी भी समय हटाकर उसे पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

149-श्री श्याम नारायण-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर से कुर्सी ब्लाक के कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी बिना शासन की अनुमति से सामुदायिक भवन, बांसी में सपरिवार नि:शुल्क रहते हुये सरकार से किराया भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य के लिये क्या शासन ने खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड, बांसी में स्थित सामुदायिक विकास केन्द्र भवन में सपरिवार रह रहे हैं तथा उन्होंने अपने मूल वेतन का दस प्रतिशत भवन भाड़ा के रूप में जमा कर दिया है तथा सरकार से कोई आपत्ति भत्ता नहीं प्राप्त कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

## राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में इलेक्ट्रिक अभियंत्रण के अंशकालीन पाठ्यक्रम में फेल कर दिये जाने के कारणों की जानकारी

150-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में पिछले 10 वर्षों में पार्टटाइम इले0 अभियंत्रण से प्रोजेक्ट की परीक्षा में सम्मिलित कोई छात्र फेल नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सत्य है कि वर्ष 1991 में मात्र एक छात्र डी0के0 सिंह को परीक्षक ने इस आधार पर पास कर दिया है कि उसका दो विषयों में बैक पेपर है ? यदि हां, तो उन चार छात्रों को जो अन्य विषयों में सन्तोषजनक अंक प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पूर्वोक्त परीक्षा में परीक्षक ने किस आधार पर फेल कर दिया है ? क्या यह नियमानुसार है ?

श्री राजनाथ सिंह -

वर्ष 1982 से 1988 तक राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ में इले0 अभियंत्रण के अंशकालीन पाठ्यक्रम में कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था । वर्ष 1989 की परीक्षा में आठ छात्र तथा वर्ष 1990 की परीक्षा में नौ छात्र सम्मिलित हुये थे, जो सभी उत्तीर्ण हुए ।

जी नहीं, यह सही नहीं है कि छात्र डी0के0 सिंह को परीक्षक ने इस आधार पर पास किया है उसका दो विषयों में बैक पेपर है ।

शेष चार छात्रों को परीक्षक द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद् के नियमों के अनुसार उस परीक्षा में परीक्षित किया गया है ।

जी हां ।

**नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, जनपद वाराणसी में साइन्स कक्ष बनवाने हेतु सरकार से अनुमति की मांग**

151-श्री ऊदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में साइन्स कक्ष की कमी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 90/91 में शिक्षा विभाग, वाराणसी ने शासन के साइन्स कक्ष के लिये एक लाख रुपये का अनुदान के लिये अपनी आख्या भेजी है ? यदि हां, तो अब तक कितना अनुदान साइन्स कक्ष के लिये सरकार ने दिया है ? यदि नहीं, तो कब तक धन दे दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

152-डा0 दिनेश जौहरी-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

153-श्री बच्चा पाठक-

(5वें सोमवार के लिये स्थगित )

154,-श्री दिनेश जौहरी-

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

**जनपद बुलन्दशहर के कुबेर इण्टर कालेज, डिवाई में श्री भगवती प्रसाद शर्मा की भूगोल प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति विषयक कार्यवाही**

155-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवती प्रसाद शर्मा, कुबेर इण्टर कालेज, डिवाई, बुलन्दशहर का प्रार्थना-पत्र प्राचार्य/प्रबन्धक की संस्तुति पत्रांक 268/91-92, दिनांक 12-12-91 सहित उनको दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या तथा प्रबन्धक/प्राचार्य की संस्तुति पर श्री शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर राज्य शिक्षा मंत्री ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1991 को पत्रांक 1113/बी0आई0पी0/91 द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये गये अंश (क) और (ख) पर कार्यवाही करके प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति के आदेश पारित किये थे ? यदि

हां, तो क्या विभाग द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां, शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुआ था । विद्यालय में प्रवक्ता (भूगोल) का पद रिक्त पाया गया है । श्री भगवती प्रसाद शर्मा को नियमानुसार प्रोन्नति दिये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर को निर्देशित कर दिया गया है ।

**जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड, निन्दुरा में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की मांग**

156-श्री हरदेव सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा में राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज खोलने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी नहीं ।

क्योंकि सीधे राजकीय इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

**जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड, फतेहपुर में डिग्री कालेज खोलने की मांग**

157-श्री हरदेव सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में शिक्षा क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़े फतेहपुर विकास खण्ड में डिग्री कालेज खोलने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रति औचित्य नहीं ।

**जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद में राजकीय डिग्री कालेज की मांग**

158-श्री राधेश्याम वर्मा -

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद उच्च शिक्षा की कमी के कारण अत्यधिक पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो पूरे क्षेत्र में वहां की आवश्यकतानुसार कोई राजकीय डिग्री कालेज बनवाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

सम्प्रति औचित्य नहीं ।

**जनपद बाराबंकी के कस्बा दरियाबाद में बस स्टेशल तथा यात्री विश्राम कक्ष बनवाया जाना**

।59-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी अंतर्गत कस्बा दरियाबाद, जिसकी आबादी लगभग 40 हजार हैं व जिसमें रोडवेज की बसें आती-जाती हैं, में कोई स्टेशन न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई है? यदि हां, तो क्या परिवहन विभाग उक्त कस्बे में कोई बस स्टेशन तथा यात्रियों के बैठने हेतु विश्राम कक्ष बनवाने की योजना बना रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

परिवहन निगम में जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कस्बा दरियाबाद में बस स्टेशन तथा यात्री विश्राम कक्ष बनाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

**प्रश्नकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को दिये गये पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी**

।60-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ।9-।।-9। को प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसे सचिव, उच्च शिक्षा को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था किन्तु परीक्षणोपरान्त प्रवक्ता रसायन के अस्थाई पदों का स्थाईकरण किया जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**ग्राम्य विकास अभिकरण, देवरिया द्वारा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत जनहितकारी संस्थान तथा पूर्वांचल संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने की मांग**

।6।-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विकास अभिकरण देवरिया के प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक ।6-8-9। के एजेण्डा नं0 ।0

में ट्राइसेम योजना के लिये अभ्यर्थी स्वयं सेवी संस्थानों की जांच कराकर उपर्युक्त पाई जाने वाली संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम देने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या नई संस्थाओं की सूची में क्रम संख्या 33 पर दर्ज जनहितकारी संस्थान, भटवीया चौराहा, देवरिया तथा 36 पर दर्ज पूर्वांचल विकास संस्थान की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट के बाद इन संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम सौंपा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या बैठक दिनांक 13-8-91 के निर्णय के विपरीत कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस योजना मे किसी भी नई संस्था को लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जांच के समय जनहितकारी संस्थान भटवलिया चौराहा का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया तथा पूर्वांचल विकास संस्थान भी क्रियाशील नहीं था । अस्तु उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं सौंपा गया ।

सम्पूर्ण कार्यवाही प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में की गई है । इस योजना में पांच नई संस्थाओं को लिया गया जो जांच करने पर उपयुक्त एवं सक्षम पाई गई है ।

**जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन, उ0मा0 विद्यालय, यमुना मठ कसिली, जनपद देवरिया को चतुर्थ अनुरक्षण अनुदान दिया जाना**

162-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू रघुनन्दन उ0मा0 विद्यालय, यमुना मठ कसिली, जनपद देवरिया का चतुर्थ अनुरक्षण अनुदान संबंधी पत्र उन्हें दिनांक 3-9-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ? आज तक अनुरक्षण अनुदान न भेजने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

इस संबंध में शिक्षा निदेशक से आख्या अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बलिया के दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मनियर के प्रधानाचार्य को विभिन्न अनियमितताए बरतने के कारण दण्डित करने की मांग**

163-श्री भरत सिंह-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मनियर, बलिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितता करने एवं

फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति कराकर अवैध रूप से सरकारी धन आहरित करने के संबंध में विद्यालय के प्रबन्धक, श्री शिवानन्द तिवारी का शिकायती-पत्र मई व जून, 1991 के बीच शासन के शिक्षा विभाग में प्राप्त है? यदि हां, तो उपर्युक्त दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध उक्त जालसाजी तथा अनियमितता करने के संबंध में जांच होने के बावजूद दण्डित न करने का क्या कारण है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कंब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1164-श्री यदुनाथ सिंह-

(दिनांक 12-8-91 को अता0प्र0सं0 21 द्वारा उत्तरित )

**उन्नाव के जिा विकास अधिकारी के विरुद्ध सचिव, ग्राम्य विकास को दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही**

1165-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव के जिला विकास अधिकारी द्वारा बढ़ती जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 23-12-91 की जांच किसने की ? जांच निष्कर्ष क्या है ? उस पर कार्यवाही क्या हुई ?

श्री कल्याण सिंह-

प्रश्न में उल्लिखित माननीय विद्यालय के पत्र दिनांक 23-12-91 की जांच कराई जा रही है । अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

**लखनऊ से हिलौली (उन्नाव) तक चलने वाली बस सेवा नियमित करने की मांग**

1166-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ कैसरबाग डिपो से हिलौली (जनपद-उन्नाव) के मध्य चलने वाली राज्य परिवहन निगम की माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 91 में बस सेवा अनियमित रही है ? यदि हां, तो नियमित बस सेवा न होने के कारण क्या हैं ? क्या महीनों में प्रतिदिन का कि0मी0 का औसत क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त मार्ग की बस सेवा में कोई कन्डक्टर तैयार

क्यों नहीं होते ? क्या परिवहन मंत्री को उक्त विषय में पूरे संदर्भों से युक्त प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-91 को मिला है ? यदि हां, तो बस सेवा अनियमित करने के असली दोषी पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सत्य प्रकाश विकल-

जी हां ।

कथित माहों में यह सेवा अनियमित रही है, परन्तु वर्तमान में यह सेवा नियमित रूप से संचालित है ।

प्रश्नगत सेवा के उक्त माहों में देवा मेला एवं दीपावली वर्ष के कारण संचालन प्रभावित रहा ।

प्रश्नगत सेवा के उक्त महीनों में प्रतिदिन का औसत कि0मी0 निम्नवत् रहा:-

| | |
|---|---|
| सितम्बर, 91 | 182 कि0मी0 |
| अक्टूबर, 91 | 140 कि0मी0 |
| नवम्बर, 91 | 77 कि0मी0 |

जी नहीं ।

जांच की आवश्कता नहीं है ।

प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र दिनांक 23-12-91 को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी में वर्ष 1989-90 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण में घपले से संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

167-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा विकास खण्ड, तिन्दवारी में वर्ष 1989-90 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पपरेन्दा में आवास, पिपहररी में पन्द्रह आवास, परसौडा में दस आवास तथा निवाइच में दस आवास बनाये गये हैं ? क्या सरकार कली कपासी क्षेत्र के लिये इन्दिरा आवास हेतु प्रति आवास 2,000 रुपया पाइल्स रैप्ट फाउन्डेशन हेतु देती है ? यदि हां, तो उक्त आवास बिना पाइल्स रैप्ट फाउन्डेशन क्यों बनाये गये हैं तथा लैट्रिन प्रति आवास हेतु 1,200 रुपया प्रदान की गई जो आज भी अधूरी है ? क्या इसकी जांच की जायेगी तथा दोषी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -'

जी हां ।

सरकार द्वारा काली कपासी क्षेत्र के लिये प्रति आवास 1,800 रुपया पाइल्स व रैप्ट फाउन्डेशन हेतु धनराशि दी गई है ।

उक्त 45 आवासों में से 25 आवास ग्राम पपरेन्दा एवं पिपहरी में काली कपासी क्षेत्र में बने हैं जिनके लिये मु0 रुपया 1,800 प्रति आवास की दर से धनराशि दी गई है, उनमें रैप्ट फाउन्डेशन बनाये गये हैं । ग्राम बरसों के दस आवास एवं ग्राम निवाइच के दस आवास काली मिट्टी में नहीं हैं, उनमें रैप्ट फाउन्डेशन नहीं बने हैं ।

जी हां ।

जी नहीं, सभी लैट्रिन निर्धारित मानके के अनुसार बनाई गई हैं। जांच अवर अभियन्ता द्वारा कराई जा चुकी है। लैट्रिन ठीक पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के कतिपय गांवों में निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत नक्शे के अनुसार भवन न बनवाये जाने में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही**

168-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में 1989-90 से 31-12-91 तक ग्राम अतरहट, बछेउरा, महुई, अरसौड़ा, सामीमदनपुर, पदारथपुर, सिंहपुर, जसईपुर, सिंहपुर बम्बिया, आदि ग्रामों में निर्बल आवास योजनान्तर्गत शासनादेशानुसार नक्शे के अनुसार आवास बनाकर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अभी तक नक्शा के अनुसार कार्य पूरा न होने पर सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**इस्लामिया इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ के सेवा निवृत्त अध्यापक श्री फरीदउद्दीन अय्यूब की रुकी हुई वेतन बृद्धियों, पेशन आदि का भुगतान किये जाने की मांग**

169-श्री विजय सिंह राणा-

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री फरीदउद्दीन अय्यूब, अध्यापक इस्लामियां इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ 30 जून, 1985 में सेवानिबृत्त हुये हैं

परन्तु उनकी रुकी हुई वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड और उसका अन्तर जो उन्हें 1966 से मिलना था अभी तक नहीं मिला है और न ही बढ़े हुये बेतनमान से उनकी पेशन का ही अभी तक निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री अय्यूब को रुकी हुई वेतन वृद्धियां, सेलेक्शन ग्रेड, उसका अन्तर और पेंशन (बढ़ी हुई) दिये जाने का तत्काल आदेश देने एवं इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का आदेश करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**इस्लामिया इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ के सेवा निवृत्त हुये अध्यापकों को बढ़ी हुई पेंशन एवं एरियर का भुगतान**

170-श्री विजय सिंह राणा-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस्लामियां इण्टर कालेज, लालबाग, लखनऊ से वर्ष 1985 में कितने अध्यापक सेवा निवृत्त हुये ? क्या यह सही है कि उक्त अध्यापकों को 1986 से बढ़ी हुई पेंशन अभी तक नहीं दी गई है जबकि इससे संबंधित सभी कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के पास पुनः पेंशन निर्धारण हेतु दिये गये हैं ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों को बढ़ी हुई पेंशन एवं एरियर की धनराशि दिये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

उल्लिखित विद्यालय से वर्ष 1985 से मात्र दो अध्यापक सेवा निवृत्त हुए थे जिन्हें वर्ष 1986 से बढ़ी हुई पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। पेंशन के बकाया का भुगतान शीघ्र करने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

**जनपद गोरखपुर के कैम्पियरगंज ब्लाक में राजकीय बालिका विद्यालय खोले जाने की मांग**

171-श्री फतेह बहादुर सिंह -

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैम्पियरगंज ब्लाक, जनपद गोरखपुर में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद जालौन की तहसीलों के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कर स्टाम्प चोरी का रोका जाना**

172-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में उरई, कोंच, जालौन, कालपी तहसीलो के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के विक्रय व अनुबन्ध के दस्तावेजों के पंजीयन हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से स्टाम्प की कमी प्रदर्शित करके वर्ष 1991 के माह नवम्बर तक प्रति कार्यालयवार दस्तावेजी स्टाम्प अधिनियम की धारा-47 "अ" के अन्तर्गत जब्त की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? क्या यह सही है कि अधिकांश दस्तावेजों जिनमें शासन द्वारा निर्धारित मालियत पर स्टाम्प व पंजीयन फीस अदा की गई है परन्तु बाजारी मालियत अधिक होने के कारण सब रजिस्ट्रार ने वर्षों से उक्त कार्यालयों में प्रचलित 2 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत का भुगतान न मिलने के कारण जब्त की हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन के सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराकर स्टाम्प चोरी रोकने का उपाय करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

प्रश्नगत अवधि में स्टाम्प अधिनियम की धारा-47 "अ" के अन्तर्गत प्रश्नगत रजिस्ट्री कार्यालयों से सम्बन्धित विक्रय बिलेख सही मूल्यांकन हेतु कलेक्टर को संदर्भित किये गये हैं ।

सदंर्भित किये गये दस्तावेजों में रजिस्ट्री कार्यालय उरई के 235, जालौन के 14 कोंच के 97 तथा कालपी के 74 दस्तावेज हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई विशिष्ठ अनियमितता प्रकाश में आने पर ही जांच कराई जायगी ।

**जनपद फैजाबाद के ग्राम एकडल्लापुर से साहूपुर तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग को पूरा कराये जाने की मांग**

173-श्री रामपाल सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-एकडल्लापुर, पो0 हुसैनपुर गिरन्ट, तहसील टांडा, जनपद फैजाबाद में ग्राम एकडल्लापुर से साहूपुर तक से सम्पर्क मार्ग पर खंडंजा बिछाया जाना शासन से स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो

क्या उक्त कार्य विगत चार वर्ष पूर्व शुरू करके उक्त सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ग्राम एकडल्लापुर के पास लगभग आधा किलोमीटर सम्पर्क मार्ग को अनियमित छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग में आधा किलोमीटर कार्य न कराये जाने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त आधा किलोमीटर सड़क पर कार्य न होने के कारण वहां के ग्रामवासियों को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी वहां के ग्रामवासियों की असुविधा को देखते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग के अवशेष कार्य को अबिलम्ब पूरा करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

ग्राम एकडल्लापुर से साहूपुर तक कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है । अपितु ग्राम एकडल्लापुर से साबुकपुर तक मार्ग तक स्वीकृत हुआ था ।

इस मार्ग पर 1.405 किलोमीटर मिट्टी, 5 पुलिस तथा 1.661 किलोमीटर खड़ंजा का कार्य पूर्ण करा दिया गया है । ग्राम एकडल्लापुर के पास स्थलीय विवाद एवं न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण मिट्टी एवं सोलिंग का कार्य नहीं हो सका ।

**जनपद सिद्धार्थ नगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्टेट सेक्टर में स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाना**

174-श्री शिव लाल मित्तल -

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 में कौन-कौन सी परियोजनायें स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत ली गयीं । उनमें कुल कितनी परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ, कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं एवं कितनी अधूरी अवस्था में पड़ी हैं ? वे कब तक पूर्ण कर दी जायेंगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त -

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा खेत्र में वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में निम्नांकित पांच परियोजनायें ली गई है:-

(1) विकास खण्ड शोहरतगढ़ के कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण ।
(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना ।
(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण ।
(4) अल्प सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत गोदाम का निर्माण ।
(5) प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण ।

उक्त क्रमांक-2 एवं 4 पर अंकित परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, अवशेष तीन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है और इसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है ।

**जनपद सिद्धार्थनगर के जोगिया उदयपुर में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के वेतन भुगतान का औचित्य**

175-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के जोगिया-उदयपुर में कोई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है ? यदि हां, तो उसके प्राचार्य का नाम क्या है और उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह का वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो वेतन भुगतान का आधार क्या है ?

श्री राजनाथ सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

176-श्री कृष्ण चन्द्र-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

177-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(3सरे मंगलवार में अता0 सं-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद बांदा की तहसील अतर्रा में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की शिक्षिकाओं की नियुक्ति**

178-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के अन्तर्गत तहसील/नगरपालिका अतर्रा में चल रहे राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय तथा विज्ञान की छात्रायें हैं ? यदि हां, तो विज्ञान की शिक्षिकायें वहां न होने का क्या औचित्य है ? कब तक विज्ञान विषय की शिक्षिकाओं की नियुक्ति की व्यवस्था शासन द्वारा वहां कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

जी हां ।

एल0टी0 वेतनक्रम जीव विज्ञान विषय के पद तथा एल0टी0 वेतनक्रम विज्ञान/गणित के पद पर शिक्षिकाएं कार्यरत हैं ।

179-श्री ऊदल-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

**जनपद मैनपुरी में निर्बल वर्ग आवास योजना के लक्ष्य को पूर्ण करने की मांग**

180-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में निर्बल वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत ऋण कम्पोनेन्ट की धनराशि प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इसका लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण हुडको से प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

।3। -श्री हृदय नारायण दीक्षित-

(6ठें गुरुवार में अता0 प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद बांदा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की चयनित सूची**

।32-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की चयनित सूची वर्ष ।990 व वर्ष ।99। में तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या चयनित सूची जनपद बांदा के सांसदों एवं विधायकों को उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो कब और किसको ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

यह सूची विकास खण्डों में एवं नगर पालिका और टाउन एरियाओं में उपलब्ध रहती है । माननीय सांसद एवं विधायकों द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर उपलब्ध कराई जा सकती है ।

**जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम सभा मूड़ा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि का दुरुपयोग**

।83-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0962/9। दिनांक 6-8-9। ग्राम सभा मूड़ा बुजुर्ग, जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम प्रधान राजाराम द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित उन्हें प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

184-श्री राम आसरे वर्मा-
(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटया गया )

**जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र चायल में वर्ष 1992 में ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना में विधायक की संस्तुति न मानने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही**

185-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 92 में ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद के विधान सभा क्षेत्र-चायल हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्डपम्प क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर स्वीकृत किये गये हैं ? क्या क्षेत्रीय विधायक द्वारा दी गयी सूची में से मात्र तीन हैण्डपम्प ही स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन हैण्ड पम्पों की स्वीकृति की क्षेत्रीय विधायकों की संस्तुतियों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

विधान सभा क्षेत्र चायल हेतु वर्ष 1991-92 में ग्रामीण हरिजन पेयजल योजनान्तर्गत 27 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे, उनमें से माननीय क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति पर 10 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रसंगत प्रकरण में प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

186-श्री राम आसरे वर्मा-
(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

**शिक्षा विभाग में वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में वरिष्ठ सहायक के पद पर की गई प्रोन्नति में अनियमितता बरतने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही**

187-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 मे वरिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी पदोन्नति में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षित पदों को क्यों नहीं भरा गया है ? नवम्बर, 1987 से अब तक कितने पदों को भर दिया गया है तथा शेष पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये बगैर जो पदोन्नतियां की गयी हैं, उनमें वरिष्ठ की पदोन्नति नहीं हो पायी है ?

यदि हां, तो उस पदोन्नति के अभाव में संबंधित कर्मचारी की जो आर्थिक क्षति हुई है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

188-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया )

189-श्री किशन गोपाल-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**विकास विभाग हरदोई में लिपिक पद पर कार्यरत श्रीमती रोशन जहां की मांग को पेसमेकर सुविधा दिये जाने में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही**

190-श्री चरन सिंह -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रोशन जहां जो विकास विभाग में लिपिक के पद पर हरदोई में कार्यरत हैं, की माता को पेसमेकर की सुविधा हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से लगभग 11,000 रुपया (ग्यारह हजार रुपया ) का भुगतान पिछले सितम्बर के प्रथम सप्ताह में किया गया है जब कि उनके पिता व बड़े भाई आदि सभी मौजूद हैं और पैतृक सम्पत्ति भी शाहाबाद नगर में पर्याप्त रूप से उपलब्ध है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमती रोशन जहां की माता को पेसमेकर लगाया गया उस समय वे जिला ग्राम्य विकास अधिकरण में नियुक्त थीं ? यदि नहीं, तो अभिकरण की धनराशि का अपव्यय क्यों व किस अधिकारी द्वारा किया गया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद हरदोई के सुरसा ब्लाक में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत घपले करने वाले प्रधानों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी**

191-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी हरदोई को ब्लाक सुरसा की ग्राम सभा सिकन्दरपुर, कसरावां सुरसा आदि के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना में लाखों रुपये घपले की शिकायत माह अगस्त, 1991 में की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी हरदोई ने जांच हेतु आर0ई0एस0 हरदोई को पत्र भेज दिया था ? यदि हां, तो जांच के उपरान्त दोषी प्रधानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

जी हां । जांच खण्ड विकास अधिकारी सुरसा के द्वारा की गई ।

कार्य संतोषजनक पाया गया अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

192 - श्री यदुनाथ सिंह -

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**जनपद बांदा के निवास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम सभा कनवारा के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि**

193 - श्री विशम्भर प्रसाद निषाद -

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम सभा कनवारा को जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितनी धनराशि फरवरी, 89 से अब तक आवंटित की गयी ? किन-किन मदों में कितनी धनराशि उक्त योजना में व्यय की गयी है व कितनी धनराशि अभी शेष है ? क्या उक्त योजना में व्यय धनराशि की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के ग्राम सभा कनवारा को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत फरवरी, 1989 से अब तक कुल रुपया 339660.75 की धनराशि प्राप्त हुई है ।

उक्त योजनान्तर्गत 1989-90 से अब तक तालाब खुदाई, कूप मरम्मत, खड़ंजा निर्माण, साईफन तरी से नहर तक प्रशासनिक व्यय, निर्बल वर्ग आवास हेतु एवं सम्पर्क मार्ग पर कुल रुपये 315054.93 की धनराशि व्यय की गयी व रुपये 24605.82 की धनराशि अवशेष है ।

जी हां ।

कार्य संतोषजनक पाये गये एवं किसी भी धनराशि का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**बापू इण्टर कालेज, कोपागंज जनपद मऊ में वर्ष 1980 से अब तक की गई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा करने की मांग**

194 - श्री रमाकान्त यादव -

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बापू इण्टर कालेज, कोपागंज जनपद-मऊ में वर्ष 1980 से अब तक कितनी नियुक्तियां की गयी हैं तथा क्या उनमें शासन

द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यों एवं क्या आरक्षण कोटा पूरा कराने का आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

उल्लिखित विद्यालय में आरक्षण नीति का पालन नहीं हुआ है । प्रकरण की जांच कराई जायेगी ।

195-श्री प्रमोद तिवारी-

(5 वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**ग्राम अहिरौली शेख विकास खण्ड अमरोधा, जिला कानपुर देहात के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

196-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम अहरौली शेख विकास खण्ड अमरौधा, जिला-कानपुर देहात के प्रधान के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20-9-1971 के द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और किससे जांच कराई गई तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

**आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं बीज हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने कमीशन खोरी से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही**

197-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8-1-91 को तत्कालीन मुख्य मंत्री को आई0आर0डी0 योजना तथा किसानों के खाद बीज हेतु ऋणों पर बैंकों द्वारा खुले रूप में कमीशन खोर के संबंध में पत्र दिया है जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सचिव, ग्राम विकास को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह -

जी हां ।

प्राप्त शिकायत की जांच कराने पर शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी के मुख्यालय परिसर में अवैध निर्माण से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही**

198-श्री विक्रमादित्य पाण्डेय-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड कटेहरी में ब्लाक मुख्यालय के परिसर में एक अवैध और अनधिकृत निर्माण करके 20 अगस्त, 1991 को उस पर शिवसेना विधायक श्री पवन कुमार पाण्डेय और बजरंगबली चौबे के नाम से शिलान्यास का पत्थर लगाया गया है जिसके बारे में पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्र तिवारी ने दिनांक 27-8-91 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को लिखित पत्र भेजकर शिकायत की है ? यदि हां, तो मुख्य शिकायत और उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बदायूं की ग्राम सभा रोली में वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराए गये कार्य**

199-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या ग्राम विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा रोली विकास खण्ड उझानी जनपद-बदायूं को वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 417440 रुपया आवंटित किया गया था, तथा इसी वित्तीय वर्ष में भू-राजस्व सभा में क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या इसका व्यय नियमानुसार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

ग्राम सभा रोली विकास खण्ड उझानी जनपद बदायूं को वित्तीय वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 41744.00 आवंटित किया गया था तथा इसी वित्तीय वर्ष में भू-राजस्व में रु0 8930.00 की धनराशि ग्राम सभा को प्राप्त हुई थी ।

उक्त धन से इस ग्राम सभा में निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं:-

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | परिमाप |
|---|---|---|
| 1 | मिट्टी कार्य | 300 मीटर |
| 2 | खड़ंजा निर्माण | 210 मीटर |
| 3 | वृक्षारोपण | 300 पौधे |
| 4 | निर्बल वर्ग आवास | 3 आवास |

धन के अपव्यय का मामला प्रकाश में आया है । प्रधान ग्राम सभा रोली के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

**जनपद फैजाबाद के ग्राम सिधौना में ईंटों की सोलिंग पूरे ग्राम में लगाए जाने की मांग**

200-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सिधौना, पोस्ट सिधौना, जिला फैजाबाद में ईंटों की सोलिंग आधे ग्राम में ही लगाई गई है ? यदि हां, तो अवशेष सोलिंग का कार्य कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां ।

अवशेष सोलिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोरखपुर में वर्ष 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को बकाया मजदूरी दिलाया जाना**

201-कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए जिला योजना द्वारा स्वीकृत जवाहर रोजगार योजना से संबंधित सभी कार्य गोरखपुर जनपद में करा लिए गए और कार्य करने वाले भूमिहीन मजदूरों को उनकी मजदूरी के भुगतान कर दिए गए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसी जनपद के तीन विधान सभा क्षेत्र पिपराइच, सहजनवां व बांसगांव में कार्यवाही विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के बाद कार्य करने वाले भूमिहीन मजदूरों की मजदूरी का भुगतान 4 माह बीतने के बाद भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने तत्काल भुगतान हेतु कौन सी कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह-

जी नहीं । अभी कुछ कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं, किन्तु जिस सीमा तक कार्य कराया गया है उसके सापेक्ष मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ।

जी नहीं । मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**वर्ष 1970 से पूर्व मान्यता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी पाठशालाओं की सूची में छूटे हुए विद्यालयों को वेतन वितरण अधिनियम में लेने की मांग**

202-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट से संलग्न प्राइमरी पाठशाला जो 1970 से पूर्व से मान्यता प्राप्त हैं उनमें से शासन की सूची में कितने टूट गए हैं तथा कितने संचालित हैं ? क्या इनमें से भी कुछ विद्यालय शासन की सूची से छूट गए ? यदि हां, तो उनका नाम क्या है ? क्या छूटे हुए विद्यालयों को सरकार तत्काल वेतन वितरण अधिनियम में लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

325 बालक विद्यालय अनुदानित हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनता उ0मा0 विद्यालय बभनान जिला गोण्डा के मान्य अध्यापकों का बकाया वेतन शीघ्र भुगतान करने की मांग**

203- श्री विश्वनाथ -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता उ0मा0 विद्यालय, बभनान जिला गोण्डा के मान्य अध्यापको का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा मार्च, 1991 तक का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उन अध्यापकों के नाम क्या हैं और कितना-कितना रुपया मासिक वेतन भुगतान किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के अध्यापकों का वेतन अप्रैल, 1991 से नवम्बर 1991 तक की अवधि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह -

जी हां ।

केवल जूनियर स्तर तक के 19 अध्यापकों को मार्च, 1991 तक की अवधि का वेतन भुगतान किया गया है ।

जी हां ।

वर्ष 1990-91 में हाई स्कूलों की अनुदान सूची में सम्मिलित हो जाने के कारण ।

मान्य अध्यापकों के वेतन भुगतान की कार्यवाही हो रही है ।

कार्यवाही हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**नियम 301 की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष -

अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां -

मान्यवर मेरा 9 वां प्रश्नहै, बहुत महत्वपूर्ण है । अगर सरकार उत्तर न दे तो कम से कम उस पर एक घंटे की चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दें ।

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर मेरा भी प्रश्नों के बारे में प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष-

माननीय जौहरी जी मैं आपको अनुमति दूंगा । मैंने नोट कर लिया है । पहले सूचनायें समाप्त हो जायें ।

श्री लीला राम शर्मा-

मान्यवर, जो सूचनायें ली जाती हैं, वह लाटरी के आधार पर ली जाती हैं, जिससे गम्भीर और महत्वपूर्ण सूचनायें छूट जाती हैं और प्रदेश के सारे अंचलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है ।

श्री अध्यक्ष-

आप मेरे कक्ष में आ जायें । मैं आपसे बात कर लूंगा ।

नियम 301 के अन्तर्गत आज 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं । पहली सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग के कई अधूरे मार्गों का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत छोटे बाजारों तथा बड़ी ग्राम सभाओं में लगे पुराने बिजली के खम्भों व तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में तीसरी सूचना श्री किशन गोपाल की आगरा के कई मुहल्लों में व्याप्त गन्दगी की सफाई कराने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के कई गांवों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवी श्री ऊदल की वाराणसी में नई काशी बनाने हेतु सारनाथ से हरदुआ तक लगभग 40 गांवों की भूमि अधिग्रहीत न कर अन्यत्र नई काशी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री विजय सिंह राणा और श्री विजय पाल सिंह की आगरा में टर्मिनल रजबहा से निकाली गयी बरौली अहीर माइनर नहर की पटरियां, घुमाव और गूलें बनवाने के सम्बन्ध में और 7 वीं सूचना श्री राम ललित चौधरी की जनपद बस्ती के अन्तर्गत केन यूनियन बस्ती एवं वाल्टरगंज द्वारा अनियमित फर्जी वितरण एवं फर्जी बेसिक कोटे की जांच कराने के सम्बन्ध में है ।

(स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयीं )

**जनपद गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग के अधूरे मार्गों का निर्माण पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुरेन्द्र सिंह -

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्गों परजीपार, कटुयां, मिसरौली हवाजपुर-सिधारगर वहिरार, रेंगा, फत्तेहसराय, 3-कासिमाबाद, भागवल, गोरा, बरेसर, 4-अहमद, असावार नवावा मार्ग का निर्माण वित्तीय स्तर तक किए जाने के सम्बन्ध में करना चाहता हूं ।

उपरोक्त (।) के मार्ग में पुलिया महीनों से टूटी हुई है । उसका निर्माण कार्य नहीं किया गया है जिससे लोगों को यातायात में असुविधा है ।

उपरोक्त (2) का निर्माण अधूरा है रेंगा से सलेमुपुर तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया हे जबकि इसकी वित्तीय स्वीकृति ।980 से 82 में कर दी गयी थी, लेकिन अभियन्ताओं की शिथिलता के कारण निर्माण कार्य नहीं किया गया है । (3) के मार्ग में निर्माण कार्य अधूरा है । (4) के मार्ग में भी निर्माण कार्य कई स्थानों पर नहीं किया गया । ये सब अभियन्ताओं के कार्यों में ढिलाई के कारण हुआ है । इससे पूरे क्षेत्र की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । हजारों की संख्या में लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि ।992-93 वर्ष राज्य सेक्टर की स्वीकृति करा कर (पुलियों) अधूरे सभी मार्गों को पूरा तथा लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराया जाय जिससे उस क्षेत्र के लोगों को यातायात में सुविधा तथा न्याय मिल सके ।

**जनपद मऊ नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के बाजारों तथा ग्राम सभाओं में लगे बिजली के खम्भों व तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले छोटे बाजारों तथा बड़ी ग्राम सभाओं में बिजली के लगे पुराने खम्भों तथा तारों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं । जहां बीस वर्ष पहले खम्भा तथा तार लगे थे वह पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । ग्राम सभा दुबारी एवं

---

( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मधुबन में लगभग 20 वर्ष पहले का खम्भा तथा तार लगे हैं । पुराने तार एवं केबिल पुराने लोड के हिसाब से लगाये गये थे, अब लोड काफी बढ़ गया है जिससे पुराने तार व केबिल काम नहीं कर पा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को कई-कई दिनों तक बिजली नहीं मिल पाती है ।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी जांच तत्काल उचित कार्यवाही की जाय ।)

**आगरा के मुहल्लों में व्याप्त गंदगी की सफाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री किशन गोपाल-

(मान्यवर, आगरा पश्चिम व समस्त आगरा के अनुसूचित जाति मुहल्लों में अत्यन्त गंदगी, हैण्डपम्प स्थाई व अस्थाई खराब पड़े हैं । 15 कुओं की सफाई के नगर विकास मंत्री जी द्वारा आदेश के बाद भी व उपनगर प्रमुख द्वारा एक माह पूर्व सात कुओं की लिस्ट देने पर भी सफाई नहीं कराई गई इसके विपरीत यह लिखकर भेजा गया कि 20 हजार रुपया तक का कार्य किया जा सकेाग । 15 कुओं की सफाई में शाहगंज शिवनगर लाइन के किनारे नाला भरा पड़ा है । भीमनगर जगदीशपुरा, प्रकाशनगर, ट्रान्सपोर्ट नगर, ताल फिरोज खां, मुस्तफा क्वाटर सत्यनगर, हमीदनगर गड्डों में अत्यन्त मच्छरों के कारण जनता बीमारी की शिकार हो रही है ।

मास्टर प्लान रोड खन्दारी अनुसूचित जाति हेतु सार्वजनिक शौचालय तोड़ा गया व इय जमीन को बेचा गया केशव कुंज में पार्क की जमीन को बेचा गया । अनुसूचित क्षेत्रों के 90% सार्वजनिक शौचालय टूटे पड़े हैं । अधिकांश की सफाई तक नहीं होती ।

जल संस्थान के सामने प्राइवेट जमीन पर बनी दुकानों को सरकारी बुल्डोजर व नगर महापालिका व ए0डी0एम0 के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा निजी स्वार्थवश तोड़ा गया । अजंना सिनेगा के बराबर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराया गया व 300 रुपया प्रतिदिन वसूली की जा रही है ।

आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के गांवों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

(मान्यवर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विकास खण्ड बिछिया के ग्राम बिछिया शंकरन, घूरेखेत, जरगांव, तूरी, तारगांव, तौरा, आदि विभिन्न ग्रामों में औद्योगिक एवं ट्यूबवेल तथा अन्य हजारों विद्युत उपभोक्ता विद्युत वितरण उप केन्द्र पुरवा पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अकर्मण्यता लापरवाही के कारण पिछले दो वर्षो से बिजली आपूर्ति नहीं के बराबर होने से कनेक्शन कटवा दिया है और बचे बचाये उपभोक्ता, वह भी कनेक्शन कटवाने जा रहे हैं । इससे विद्युत परिषद् को लाखों रुपये की राजस्व की हानि होगी । बिजली लाइन साल में दो-तीन बार चोरी जाती है, उसे तीन-तीन माह तक जुड़वाया नहीं जाता, केवल लाइन खराब होने की शिकायतें होने पर 15-20 दिन तक ठीक नहीं कराया जाता, केबिल जलने, ट्रान्सफार्मर खराब होने की शिकायतों के बाद भी महीनों मरम्मत नहीं करायी जाती, महीने में 8-10 दिनों में कभी 4 घंटे कभी 6 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है । यदि जून, 91 से 11 मार्च, 92 तक की जांच उक्त गांव के उपभोक्ताओं एवं जनता से की जाय तो अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही, उदासीनता का पर्दाफास हो सकेगा यही नहीं उक्त अधिकारी व कर्मचारी इस बात पर तुले हुए हैं कि जो बचे-बचाये उपभोक्ता हैं, वह भी कनेक्शन कटवा लें ताकि हमें लाइन पर कार्य न करना पड़े इससे उपभोक्ताओं में भारी रोष असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त उपभोक्ताओं के समस्त बिल माफ करें और दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक एवं कड़ी कार्यवाही करें ।)

**वाराणसी में नई काशी बनाने हेतु 40 ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत न कर अन्यत्र निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री ऊदल-

(मान्यवर, वाराणसी में नई काशी बनाने के नाम पर सारनाथ से लेकर हरदुआ तक करीब 40 गांवों की जमीन सरकार लेने जा रही है इससे करीब एक लाख आबादी तथा हजारों एकड़ छोटे-छोटे किसानों की जीविका का साधन जमीन समाप्त होने जा रही है ।

इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार तथा माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से माग करता हूं कि इन चालीस गांवो को उजाड़ने के बजाय अन्यत्र नई काशी का निर्माण करायें ।)

---

नोट :-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

**आगरा के बरौली अहीर माइनर नहर की पटरियों, कुलाबे और गूलें बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विजय सिंह राणा-

(मान्यवर, आगरा में टर्मिनल रजवाह से वर्ष 1982 में बरौली अहीर माइनर के नाम से एक नहर नई जिला योजना में निकाली गयी थी, किन्तु बची में दो किसानों ने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर नहर का निर्माण कार्य बीच में रही रोक दिया । वर्ष 1990 में अपने ही प्रयासों से किसानों का स्थगन आदेश वापस कराया गया और नहर की पुनः खुदाई गयी । अब नहर भली-भांति चालू है

किन्तु नहर विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण नहर का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है । नहर की पटरियों कुलाबे और गूलें नहीं बनाई जा सकी है । यही नहीं नहर भी अभी तक स्वीकृत लम्बाई में नहीं खोदी गई । इससे क्षेत्रीय जनता को नहर का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जनता इस कारण तीव्र निराशा और आक्रोश व्यक्त कर रही है । वहां कभी भी विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ेगा । नहर विभाग का चालीस हजार रुपया भूमि अध्यापित विभाग पर जमा है, इसे वापस कराके इससे अधूरे कार्य तुरन्त पूरे कराये जायें ।)

**जनपद बस्ती में केन यूनियन द्वारा अनियमित पर्ची वितरण एवं फर्जी बेसिक कोटे की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम ललित चौधरी-

(मान्यवर, मैं नियम 301 के द्वारा जनपद बस्ती के केन यूनियन बस्ती एवं केन यूनियन वाल्टरगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं दोनों केन यूनियनों में फर्जी सट्टे बनाये गये हैं तथा पर्ची का अनियमित ढंग से वितरण हुआ है और हो रहा है । इस सम्बन्ध में समय-समय पर गन्ना काश्तकारों की तरफ से शिकायतें भी की गई हैं मैंने स्वयं उपरोक्त अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जांच के लिए माननीय मंत्री जी एवं उच्च अधिकारियों को लिखा है, लेकिन खेद है कि उस पर पर्ची ब्लेकमैल करने वालों तथा भ्रष्टाचार फैलाने वालों से साठ-गांठ करके लीपापोती कर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मामले को रफा-दफा कर दिया गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर मैं सरकार का ध्यान इस उद्देश्य से दिला रहा हूं कि दोनों केन यूनियनों के विरुद्ध जनता की तथा जन प्रतिनिधियों की जो शिकायतें आई हों उन पर उनकी मौजूदगी में जांच कराने का आदेश करेंगे ।)

**नियम 311 की सूचनायें**

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 की जो सूचनाएं हैं उनमें कुल 5 सूचनाएं हैं । मैं इन नियम 311 की सूचनाओं को जिस बारे में माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रकट की कि कुछ घटनाएं हैं उन पर पहले चर्चा हो जाय इसलिए पहले नियम 311 में जो सूचना

---

नोटः- ( ) यह अंश पढा हुआ माना गया ।

गई थी, मैंने उन्हें नियम 56 में स्वीकार करते हुए ज्वाइन्ट कर दिया इनको लिये जाने के पश्चात् नियम 300 की सूचनाओं का निस्तारण कर दूंगा ।

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि आपने नियम 56 और 3।। को एक साथ मिला दिया । नियम 3।। में कारण दूसरे हैं और नियम 56 में दूसरे हैं नियम 3।। में लिखा हुआ है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा" और नियम 56 में दिया हुआ है कि शलाका के आधार पर निकालेंगे लेकिन 3।। को शलाका के आधार पर नहीं ला सकते । अगर आप यह परम्परा डाल देंगे तो हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा । मेरा आपसे निवेदन है कि नियम 3।। और नियम 56 को अलग-अलग रखें जिससे नियमावली के नियमों के अन्तर्गत सदन चले और कोई अव्यवस्था न हो ।

श्री अध्यक्ष-

जिन विषयों पर नियम 3।। और नियम 56 दोनों की सूचनाएं हैं उनमें क्या करें ?

(समय 12 बजकर 25 मिनट)

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जिसमें वह आता हो उसमें ले लें, अगर एक साथ मिला देंगे तो हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा ।

श्री अध्यक्ष-

आज कुछ विषय ऐसे थे जिसमें नियम 3।। में सूचना थी और नियम 56 में भी थी इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर स्वीकार किया है और यह आज के लिए ही किया है । नियम 300 को मैं बाद में ले लूंगा । मिली हुई सूचना में पहली सूचना है अयोध्या के सम्बन्ध में, पहले मैं माननीय सदस्यों का नाम इस सम्बन्ध में पढ़े देता हूं जिन्होंने सूचना दी है माननीय श्री लालजी वर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री विजय सिंह राणा, श्री विजय पाल सिंह, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री हृदय नारायण, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री मोहम्मद आजम खां का दूसरा है, श्री हृदय नारायण जी और श्री शिव कुमार बेरिया जी इस प्रकार से मैं यह चाहूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहने के लिए अगर आप लोग आपस में निर्णय कर लें कि कौन-कौन लोग बोलें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम लखन-

मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था कि श्री अंगद जी को सुनेंगे । इसको ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं सबको लूंगा ।

श्री राम लखन-

मानयवर, मंदिर मस्जिद तो बाद है, पहले हमारे विधायक हैं, उनके जान की बात हैं, खतरे का मामला है, दो-दो लोग मार दिये गये हैं, यह बहुत ही गम्भीर विषय है, इसको ले लें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, सुबह जैसा तय हुआ था और आपने निर्देशित किया था कि सर्वप्रथम इस मामले को लिया जायेगा, अगर अलग-अलग सुनवाई करेंगे तो सारे लीडर बोल चुके हैं और इस पर आपने भी आश्वासन दिया था मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं आवश्वासन के अनुरूप कि इसको अलग-अलग ले लें । श्री अंगद जी और विश्वनाथ जी के मामले को पहले ले लें उसके बाद और ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे कोई आपत्ति नहीं है पहले माननीय अंगद जी का विषय लेते हैं फिर श्री विश्वनाथ जी का लेते हैं ।

**श्री अंगद सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, जनपद आजमगढ़ के ऊपर हुए प्राण-घातक हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अंगद सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में 19 तारीख की घटना लाना चाहता हूं । मैं अपने गृह जनपद आजमगढ़ मोहल्ला कटरा में था । मेरे मकान पर कुछ लोग हमला करने आये और जोर-जोर से बोलने लगे । मैंने अपने गनर और अपने रिश्तेदार को पुलिस चौकी भेजा । दोनों आदमी गये बदरका पुलिस चौकी पर, रास्ते में उन पर हमला किया गया और गनर को मार दिया गया और मेरे रिश्तेदार परमहंस को मार दिया गया । मेरे चचेरे भाई राम नारायण को घायल कर दिया गया । वहां आतंक का वातावरण है, सुरक्षा प्रदान करें । मृतकों के परिवार को एक-एक लाख रुपया दें और सुरक्षा प्रदान करें । अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हुआ । मेरे ऊपर खतरा हो सकता है । मेरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है, इस पर ध्यान दें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, श्री अंगद यादव जी ने अपनी बात जो बतायी है गमभीर है । मुझे इस बात का कलेश है कि इस सदन में यह हर रोज बयान देते हैं कि विधायकों के सम्मान और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जायगी । सुरक्षा की व्यवस्था की बात यह करते हैं लेकिन रोज-रोज इस तरह की घटनायें घटित हो रही हैं और और

सरकार एक ही बयान देती है कि हम इसको देखेंगे और इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है । इतनी गम्भीर घटना घटी कि होली वाले दिन एक मामले को लेकर श्री अंगद यादव जी ने अपने शैडो और रिश्तेदार को वहां भेजा । घटना में शरीक होने के लिए नहीं भेजा और न ही उसे रोकने के लिए भेजा बल्कि रिपोर्ट लिखाने के लिए भेजा । सरकार यह बात क्यों नहीं समझती है कि आज पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो रही है अपराधियों को नहीं रोक पा रही है । सामान्य नागरिक हो या विधायक हों, उनको प्रताड़ित करने के लिए सदैव तैयार रहती है । अगर यह साजिश न होती तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा था कि गोली लग गयी । यह सुनियोजित ढंग से मारा गया है । शैडो और रिश्तेदार को वहीं मार दिया गया और श्री अंगद जी ने कहा कि इनकी जान को भी खतरा है । आप यह बयान दे देंगे कि व्यवस्था करेंगे । क्या जो दो आदमी मर गये हैं उनको आप पुनर्जीवित करेंगे ? इस तरह के बयानों से सामान्य जनता का आपके ऊपर से भरोसा हट गया है और लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं । आपकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अन्तर हो गया है, जो विधान सभा में आप बात कहते है उस पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं इससे गम्भीर विषय और कोई हो ही नहीं सकता है । माननीय अंगद जी ने कहा कि उनकी जान का खतरा है उनके परिवार को खतरा है आपने उसके लिए क्या व्यवस्था करायी है यह मैं जानना चाहूंगा । जिन लोगों ने मारा है आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है आपकी चुस्त दुरुस्त पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पायी है । माननीय अंगद जी इतने सहमें हुए हैं इससे गम्भीर विषय मान्यवर और कोई हो ही नहीं सकता है आपने क्या व्यवस्था की है कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया । क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं इसकी घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी आज सदन में करें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पिछले दिनों जो यह घटना हुई . . .

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेश जी पिछली बार मैंने एक व्यवस्था दी थी कि उन्हीं लोगों को सुनूंगा जिन लोगों के सूचना पर हस्ताक्षर होंगे उनको सुनूंगा, माननीय अंगद जी ने अपनी बात कह दी ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अपने दल की ओर से बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पहले अपने-अपने विचार प्रकट किये, उन्हीं बातों को न दोहराया जाय तो सदन का समय बच जायेगा । आप बैठें । चूंकि यह एक विधायक से संबंधित है, आप बैठे, मैं आपको न अनुमति दूंगा, थोड़ा निवेदन सुन लें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, विपक्ष के एक विधायक का मामला है, विपक्ष के लोगों को तो सुन लें अपने दल की ओर से इसमें कहना चाहूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, चूंकि यह विधायक से संबंधित मामला है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी नेताओं को सुन लूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह विधायकों से सम्बन्धित नहीं होता तो कदाचित मैं यह आग्रह नहीं करता । यह एक गम्भीर मसला है पूरा सदन इससे चिंतित है और इसे गम्भीरता से लेता है । मेरा आग्रह सुन लें मैं यह चाहूंगा कि सभी सम्मानित नेताओं को दो-दो मिनट सुन लें यह केवल एक दल का मामला नहीं है केवल एक विपक्ष के विधायक का मामला नहीं है यह पूरे सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों या उधर बैठने वाले सदस्य हों, मामला है मैं चाहूंगा कि इस पर सभी नेताओं का सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

जो मैं कहने जा रहा था वही बात आपने कह दी चूंकि यह एक विधायक से सम्बन्धित मामला है सभी माननीय नेतागण को सुन लूंगा इतना केवल निवेदन है कि एक माननीय नेता जो बात कह दें दूसरे उसे दोहराये नहीं इससे सदन का समय बच जायेगा । चूंकि यह विधायक से संबधित मामला है इसलिए अनुमति दे रहा हूं ।

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पिछले दिनों सदन में एक घटना उठी, माननीय गृह राज्य मंत्री के आदेशों से बलात्कार हुआ था, कई हत्यायें हुई । मान्यवर, माननीय अंगद यादव जी से सम्बन्धित जो मामला उठा है, उ0प्र0 के डी0जी0पी0 और एस0पी0 इन लोगों ने मिलकर माननीय विधायक जी के ऊपर जान लेवा हमला करवाया इससे गम्भीर बात पैदा होती है । माननीय गृह राज्य मंत्री जी का जब मामला उठा था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसे गम्भीरता से नहीं लिया, श्रीमन् आपने गम्भीरता से नहीं लिया । जब प्रदेश के मंत्रियों से सम्बन्धित मामले की जांच कमिश्नर करेंगे और सदन में मुख्य मंत्री की इस तरह की घोषणा के माध्यम से अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा तो फिर क्या होगा इन सभी बातों के चलते माननीय अंगद यादव जी पर डी0 जी0 पी0 और पुलिस अधीक्षक ने सुनियोजित एंग से जान लेवा हमला करवाया । जब मान्यवर, नौकरशाही इस तरह से हावी होकर विधायक के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा । डी0 जी0 पी और पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाये गये हैं, इस गम्भीर मसले पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

जिस विषय को अभी माननीय अंगद जी ने कहा और अन्य लोगों ने कहा मान्यवर मैंने ही निवेदन किया था कि यह गम्भीर मसला है । सरकार का कहना है कि पूरे प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति को हमने सुधार दिया है सरकार की ओर से वायदा किया गया है कि सारे समाज की हमने भयमुक्त बना दिया है ।

मैं आज इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समाज तो भयमुक्त बना नहीं बल्कि गुण्डे और बदमाशों का राज हो गया है वे भयमुक्त हो गए हैं । माननी अंगद जी का ही यह सवाल नहीं है बल्कि सवाल इस बात का है कि जो कई लाख का जनप्रतिनिधि हो, इस सदन के अन्दर चुनकर आता हो और जो कानून बनाने की क्षमता रखता हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर पुलिस अधिकारी की साजिश से आक्रमण होता है तो यह बड़े शर्म की बात है । यह बड़ा ही दुख का विषय है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने क्षेत्र गये होंगे और उनकी उपस्थिति में दो आदमी का कत्ल हो गया, माननीय गृह राज्य मंत्री जी की उपस्थिति में मुगलसराय में कत्ल हो गया हो तो जहां पर मंत्रियों की उपस्थिति में कत्ल हो जाता है तो यह बड़े दुख का विषय है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे भोला शंकर मौर्य का मामला हो चाहे शारदा प्रसाद रावत काहो चाहे भगवानदीन कुशवाहा का हो या कृष्ण वीर सिंह किंकर का हो या अतीक अहमद का सवाल हो तो यह सारे विधायकों पर हमला

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रहा है वह भी विपक्ष के । उनके सुरक्षा की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । जिन लोगों ने आपके वोट ले लिये हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं ।

शारदा प्रसाद शुक्ला पर हमला हुआ, छोट लाल जी पर हमला हुआ वह छ. महीने तक बेहोश रहे । उन्होंने शैडो और गनर की मांग की थी । उन्हें पहले राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनके सुरक्षा की कार्यवाही की जानी चाहिए थी । अगर एक गनर या शैडो दे देते तो यह बात न होती । माननीय अंगद जी के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई उनकी हत्या करवाने की कोशिश की गयी । यह सारे के सारे अधिकारी लोगों ने चाहे अंगद जी हो, चाहे निर्बल वर्ग के हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, ने उनकी हत्या करने का जिम्मा ले लिया है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के हमलों से सुरक्षा कराइये । हम इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि अगर किसी विधायक के ऊपर आक्रमण होता है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । मगर होता यह है कि हफ्तों बीत जाता है मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है । उनका कत्ल हो जाता है । बनारस की घटना के बारे में कहना चहांगा कि वहां के एस0पी0 ने शराब के नशे में जागरण अखबार के अखबार के पत्रकारों और प्रबन्धकों को धमकी दी और शासन तंत्र के लिए अनाप-शनाप बातें कहीं । आपने उसका बनारस से ट्रान्सफर कर दिया तो स्थानान्तरण कोई सजा नहीं है उसके खिलाफ आपको कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिए । वह सारे के सारे पत्रकार एक कवि सम्मेलन में बैठे हुए थे, एस0पी0 भी वहीं थे उसके बाद यह तमाम बातें हुई । इसको भी शासन को गम्भीरता से लेना चाहिए ।

मान्यवर, मैं यह मांग करता हूं कि अंगद यादव जी के साथ जो घटना हुई, जो उसमें उनका शैडो मारा गया उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाये और मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया जाये तथा विधायकों को सुरक्षा प्रदान की जाये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । दो-दो व्यक्तियों की हत्या और विधायक को मारने की योजना यह एक ऐसा मामला है कि सरकार को तत्काल ऐसे अवसरों पर कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए । हम लोगों को स्वयं लज्जा होती है क्योंकि दर्शक दीर्घा, आफिसर्स दीर्घा व पत्रकार दीर्घा में जो लोग बैठते हैं वह लोग यही सोचते हैं कि हम विधायक तो आपना ही रोना रोते हैं ।

अगर हाउस में आने से पहले इन बातों का निपटारा सत्ता पक्ष कर देता, तो कभी भी विधायक इस हाउस में इन बातों को नहीं उठाता और यहां पर केवल जनता के हित की बात उठाता, उनके लिए ही लड़ाई लड़ता । लेकिन श्रीमन् जब विधायक ही अपनी रक्षा की मांग यहां पर आये दिन करते रहेंगे, तो जनता की रक्षा कैसे होगी ? जनता यह समझ लेगी कि जब विधायक की ज़ान ही सुरक्षित नहीं है, तो विधायक हमारी सुरक्षा कैसे करवा पायेगा ?

मान्यवर, आप भी जन प्रतिनिधि हैं, हम भी जन प्रतिनिधि हैं और यहां बैठे सारे लोग जन प्रतिनिधि हैं । मैं मुख्य मंत्री से, गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह जनता हमको अपने क्षेत्र से निकालकर फेंक नहीं देगी और कहेगी कि जब तुम्हारी ही जान सुरक्षित नहीं है, तो हमारी सुरक्षा आप क्या कर सकते हो ? मान्यवर, क्या सही है, क्या गलत है, यह अलग बात है, लेकिन डी0जी0पी और एस0एस0पी0 के इशारे पर यह हमला हुआ है और मैं आपको यह भी याद दिला हूं कि डी0जी0पी0 के विषय में मुझे स्वयं बहुत जानकारी है, उनका आचरण, उनका व्यवहार उनके कर्तव्यों के बारे मतें । मैं एक मिनट का समय लूंगा । मान्यवर, जिस समय जसवन्तनगर का उप चुनाव हो रहा था, यह डी0जी0पी0 वहां गये हुए थे, वहां पर हम सारे एम0एल0ए0, एम0पी0 समाजवादी जनता पार्टी के उनसे मिलने गये । हम लोगों ने उनसे कहा कि आप पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं और जसवन्तनगर में पुलिस द्वारा तांडव नृत्य हो रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है, आप इस पर अंकुश लगाइये, हमारी पार्टी के 500 लोगों को बंद कर दिया गया है । मैंने उनसे यह भी कहा कि क्या कांग्रेस (ई), भारतीय जनता पार्टी, बहुजन पार्टी, जनता दल या बिना किसी दल का कोई भी असामाजिक तत्व नहीं है, जिसको गिरफ्तार किया जाय, केवल समाजवादी जनता पार्टी के लोग ही असामाजिक हैं, आप इसकी जांच करें । मान्यवर, उन्होंने कहा, आप जानते नहीं हो चौधरी साहब । हम जसवन्त नगर, तिलहर बुलन्दशहर जहां उप चुनाव हो रहे हैं, सबको सिखाकर छोड़ेंगे, मैंने सबके टांग तोड़ देने का आदेश दिया है, आप लोगों ने पुलिस को नौकर समझ लिया है, जिस तरह चाहते हो, बात करते हो । मैं उनकी बात का प्रतिवाद किये बगैर वहां से हट गया, मैंने इतना जरूर कहा कि आपकी भाषा एक सिपाही, कांस्टेबिल की भाषा है और आप जन प्रतिनिधियों के सामने इस तरह की छोटी बात करते हैं, यह आपके लिए शोभा नहीं देता । इस पर उन्होंने कहाकि आप जुबान मत लड़ाइये, जिसको मीटिंग में बैठना हो बैठें, जिसकी मर्जी हो, चला जाय । मैं वहां से उठकर चला जाय । तो मान्यवर, ऐसा डी0जी0पी0 जो विधायक की हत्या की साजिश करता हो, ऐसे अमर्यादित, आचरणहीन व्यक्ति को आप किसी अन्य पोस्ट पर भेज दें और किसी मर्यादित, अनुशासनप्रिय आदमी को डी0जी0पी0 के पद पर बैठायें, यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है । मान्यवर, आपमें शक्ति हो, मुख्य मंत्री जी के काम में शक्ति हो, तो आप इस डी0जी0पी0 के खिलाफ कार्यवाही करके दिखावें, तो हम समझेंगे कि मुख्य मंत्री जी विपक्ष के साथ न्याय कर रहे हैं, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गये हैं, उनकी उचित मुआवजा, श्री अंगद के परिवार की पूरी सुरक्षा और जिन अधिकारियों का उल्लेख यहां हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का आप इन्हें निर्देश दें, यही हमारा आपसे आग्रह है ।

*श्री राम लखन-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलनेका अवसर दिया । श्रीमन् कभी-कभी आपकी पीठ से यह आदेश होता है कि नियम-311 के तहत जिनकी सूचनायें हैं, वह लोग बोलें । लेकिन श्रीमन्, यहां मामला अंगद यादव से संबंधित है और हमारे दल से संबंधित है, लेकिन हमारे विपक्ष के सम्मानित लोग घटना को मोड़ देने के लिए उतनी गम्भीरता नहीं देते हैं और दूसरी बातें जोड़ देते हैं । श्रीमन् मैं आपका ध्यान सम्पूर्ण सदन का ध्यान घटनाक्रम की ओर ले जाना चाहता हूं । श्रीमन् यह घटना 19 तारीख को होली के दिन घटी । 21 तारीख को जब मैं अपने निवास स्थान पर सुबह सोकर उठा मुझे पेपर मिला, उससे मुझे घटना की सूचना मिली मैं तत्काल आजमगढ़ सम्मानित विधायक अंगद जी के यहां पहुंचा . . .

मानयवर, मैंने उनसे जानकारी की । जानकारी करने के बाद मैंने एस0एस0पी व डी0एम0 से बात की । उन्होंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे यहां प्लान बनाकरआये थे कि मैं उसमें हस्तक्षेप करूंगा तो मेरी हत्या होगी । श्रीमन् उन्होंने बड़ी सूझबूझ से काम लिया । उन्होंने अपने गनर, साढू भाई व अपने भाई से कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं । आप लोग पुलिस चौकी में जाकर सूचना दें कि वहां कुछ लोग हुड़दंग करने वाले हैं । इनका गनर व साढू भाई पुलिस चौकी सूचना देने चले गये परन्तु पुलिस ने इसे टालमटोला करके सुना । जब हुड़दंग करने वालों को यह पता चला कि ये लोग पुलिस में सूचना देने गये थे तो वे लोग जहां घटना हुई थी वहां चले गये । इनके ऊपर एक फायर किया गया । जब इनके गनर से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहे हो हम तो पुलिस के आदमी हैं । उनका स्टेनगन पकड़ लिया गया और छीना-झपटी होने लगी । जब इनके साढू भाई ने हस्तक्षेप किया तो उनके ऊपर फायर कर दिया गया और वह वहीं धराशाई हो गये बाद में हमलावारों ने इनके गनर के ऊपर प्रहार किया और वह कहीं धराशायी हो गया । मान्यवर, जहां पर यह घटना हुई, उसके कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है । अगर पुलिस के लोग इस घटना की सूचना को गम्भीरता से लिये होते और समय पर घटनास्थल पर आ जाते तो यह घटना नहीं होती । मान्यवर, मेरे दल का यह आरोप है कि डी0जी0पी0 श्री प्रकाश सिंह जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और जो वहां का एस0एस0पी0 है वह ठाकुर है । जब डी0जी0पी0 जाकर उन्हें प्रोत्साहन देते हैं और कहते हैं कि यहां ऐसा करिये कि दूसरी बिरादरी व दल के लोग उठ न सकें । इसलिए मेरा निश्चित आरोप है कि इस घटना में डी0जी0पी0, एस0एस0 पी व सरकार का हाथ है । मेरा इस सदन के माध्यम से यह अनुरोध भी है कि जो लोग इस घटना में मारे गये हैं उनके परिवारजनों को एक-एक लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिया जाय और जिन लोगों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपये दिये जायं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् बड़े खेद की बात है कि 19 तारीख को यह घटना घटी और आज 23 तारीख है, परन्तु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । एक साधारण आदमी, जिसके यहां घटना घटी, उसे आपने गिरफ्तार किया और साधारण तरीके से जेल में रख दिया । पुलिस की लापरवाही के कारण सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है । इसलिए मैं पुनः मांग करना चाहता हूं कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय और जो मृतक हैं, उनके परिवार जनों को एक-एक लाख रुपए का मुआवजा दिया जाय और जो लोग घायल हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाय और इन लोगों की सुरक्षा व्यवसथा कराई जाय ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने इस घटना की गम्भीरता को आपके सामने रख दिया है । मैं समझता हूं कि घटना बहुत ही गम्भीर है और विधायक का मामला है । अगर विधायक ही असुरक्षित रहेंगे जैसा चौधरी साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकेंगे । जनता ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है उसे पूरा नहीं कर सकेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले इसमें डी0जी0 और वहां के एस0पी0 का भी नाम आ गया है और पुलिस की साजिश की बात आई है इसलिए यह पक्का हो रहा है कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त हरकत में नहीं आई इसलिंए जाहिर हो रहा है कि पुलिस की मिलीभगत इसमें है । यह घटना दिन में घटित हुई और एक सरकारी आदमी नगर जो सरकार ने दिया था उसकी हत्या हो गयी और उनके एक रिश्तेदार की हत्या हो गयी और कुछ लोग घायल भी हो गये तो जो घटना करने वाले लोग हैं वह आज भी घूम रहे हैं । इसलिए यह गम्भीर मामला मालूम होता है और सरकार की नियत पर भी शक होता है कि सरकार जो कहती है वह करती नहीं है । आपकी पुलिस सरकार के काबू से बाहर हो गयी है, आपके नियंत्रण में नहीं है और वह अपने कायदे कानून से भी नहीं चलती है । मैं ज्यादा समय न लेकर यही कहूंगा कि इस घटना की गम्भीरता को समझने की जरूरत है और माननीय विधायकों, माननीय सांसदों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार को वहन करनी चाहिए और पुलिस को हिदायत होनी चाहिए और पुलिस को हिदायत होनी चाहिए कि सूचना मिलने ही वह हरकत में आ जाय ताकि इस तरह की घटनायें आगे न घटित हों इसलिए इसकी गम्भीरता को आपके सामने रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) माननीय विश्वनाथ जी की सूचना इसके पश्चात् लेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय विश्वनाथ जी का भी यही प्रकरण है । दोनों को साथ ले लें तब सरकार से जवाब आये ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है विश्वनाथ जी की सूचना को भी ले लेते हैं दोनों का जवाब एक साथ हो जायेगा ।

*श्री दीना नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय अंगद जी का मामला मैं समझता हूं कि सरकार की कमजोरियों का नतीजा है । बावजूद इसके कि हम यहां पर बैठे-बैठे सुनते हैं सरकार पक्ष की ओर से बहुत गर्जन-तर्जन होता है और माननीय गुप्ता जी तो बहुत गर्जन-तर्जन करते हैं कि हम लोगों की बहुत सुरक्षा हो रही है । मैं देख रहा हूं माननीय सदस्य इधर से और उधर से माननीय सदस्यों की सुरक्षा का सवाल उठते रहते हैं एक नहीं एक दर्जन विधायकों और भूतपूर्व विधायकों का मामला उठाया जा चुका है और यह प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा रही है और माननीय अंगद जी का मामला तो इस हद तक पहुंच गया कि हमलावर, उनके मकान को घेरे हुए ढेला पत्थर फेंक रहे हैं और उनका गनर पुलिस को सूचना देने जाता है, नजदीक में ही पुलिस थाना है, मैं आजमगढ़ जाता रहता हूं । आपकी पुलिस इतनी तेज है कि थाने में लोग कह कर आ रहे हैं कि घर घेरे हुए हैं उनके पास कट्टा भी है उसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंचती है और दो लोग मारे गये । एक-एक नहीं दो-दो लोगों की हत्याएं हो जाती हैं । गनर की हत्या हो जाती है, साढ़ू की हत्या हो जाती है और चचेरा भाई घायल कर दिया जाता है तब भी पुलिस आधे घण्टे बाद पहुंचती है । मान्यवर, पुलिस हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है । सरकार हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है । यह सही है और मुझे तो पक्का यकीन है कि माननीय अंगद जी ने जो लिखकर दिया है कि एस0पी0 और पुलिस की मदद से यह हमला कराया गया । यह तो कहिए इत्तेफाक की बात है कि दरवाजा बंद करके वह अपने गनर को भेजते हैं अन्यथा उनके ऊपर भी हमला होता है । उनकी हत्या कर दी जाती । मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहूंगा इस संदर्भ में मैं इसके बारे में एकदम से गारन्टीशुदा कोई बात नहीं कहता लेकिन यह सच है कि हमलावारों में से कई लोग डी0जी0पी0 के सम्बन्धी हैं । मान्यवर, मैं पक्के यकीन के साथ कह रहा हूं कि यह सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। सदन में इस तरह के प्रसंग उठाना अपने अपमान का सवाल खड़ा करना है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप श्री अंगद की सुरक्षा का मामला हो या हमारी सुरक्षा का मामला हो । आप इसके बारे में सरकार को निर्देशित करें । महीने दो महीने के अन्दर फिर से श्री अंगद जी के ऊपर हमला होने वाला है । इसलिए आपसे निवेदन है कि जब तक आप सरकार को निर्देशित नहीं करेंगे हमारी सुरक्षा नहीं होने वाली है इस सरकार से । तीसरी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मारे गये हैं गनर और इनके रिश्तेदार हैं उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाय। सरकार को निर्देशित करें कि इस मामले को देखें और जो नामजद लोग हैं जिनके नाम रिपोर्ट लिखाये गये हैं । जिनके चेहरे अंगद जी व उनके संबंधी पहचानते हैं । उनको गिरफ्तार किया जाय और उन्हें जेल में बंद किया जाय । उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी सदन के सदस्यों के ऊपर इस तरह से हमले हो रहे हैं। जिससे यह समस्या खड़ी हो गई है कि कोई भी सदस्य निर्भीकता पूर्वक अपने काम को नहीं कर सकता है । माननीय सदस्यों की सुरक्षा का सवाल है । मान्यवर, श्री अंगद यादव जी के ऊपर जो हमला हुआ उस पर जो नेताओं ने भाव व्यक्त किये हैं उनको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता । इतना कहना चाहता हूं कि सदन की सुरक्षा की, सदन के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है । मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि वह सदन के सदस्यों की सुरक्षा में पूरी सावधानी बरतें और जो लोग मर गये हैं उन्हें एक-एक लाख रुपये का मुआवजा दे दिया जाय और जो मारने वाले हैं उन्हें तत्काल बन्द किया जाय और उन पर मुकदमा चलाया जाय । इसके बारे में सरकार से वक्तव्य दिलवाया जाय ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला चूंकि एक माननननीय सदस्य का है और इसके पहले भी इस तरह के मामले सदन में उठ चुके हैं लेकिन सरकार की मन्शा पूरी तरह से सफल हो रही है । इसमें कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है । तमाम सदस्यों के ऊपर हमले हुए कोई कार्यवाही नहीं हुई । तमाम प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है । आज माननीय सदस्य के सहयोगी मारे गये, गनर को मारा गया और सरकार चुप्पी साधे बैठी है मैं चाहूंगा, मैंने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए आपके पास पत्र लिखा है, माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी पत्र लिखा है, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा नहीं की जा रही है । तमाम धमकियां मिल रही हैं । यह विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य मारे जायेंगे । मान्यवर अगर इस मामले में कोताही बरती गई तो मेरी भी हत्या कर दी जायेगी । डी0ज0पी0 कुछ दिनों बाद माननीय अंगद जी और उनके परिवार पर पुनः आक्रण करायेंगे । मान्यवर, आप निर्देश दें कि पुलिस पर अंकुश लगाया जाए और जो लोग मारे गये हैं उनको मुआवजा दिया जाए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**श्री विश्वनाथ, सदस्य, विधान सभा, फाजिलनगर, देवरिया के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

श्री विश्वनाथ-

मान्यवर, आज मैं कोई ऐसी समस्या जो इस प्रदेश के कल्याण से संबंधित हो, गम्भीरता से संबंधित हो, उस पर बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं अगर इसलिए खड़ा होता तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता । मैं आप सबकी कृपा का आभारी हूं कि आज मेरी इस समस्या पर विचार करने का अवसर आया है । होली के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी की मुबारकबाद पाया हूं । वह दिन दूर नहीं जिस दिन आप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरा लेकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे । मैं आज उस घटना का संक्षिप्त में जिक्र करूंगा । मैं तीसरी बार इस सदन में आया हूं । आप उनसे पूछ लें जिन्होंने मुझे चुना है मैं सभ्य और सद्व्यवहारी हूं या नहीं ? और मैं आपके आदेश की सीमा में रहकर सज्जनतापूर्वक जनता का काम करके जीना चाहता हूं मैं जीवन में किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता हूं आप किसी से भी पूछ लें ।

मान्यवर, 17 तारीख की शाम को करीब साढ़े पांच बजे मैं देवरिया से फाजिलनगर जीप से आ रहा था बघौचघाट में गाड़ी से उतरा और अपने परिचितों से मिलने लगा । मान्यवर, स्थानीय बघौचघाट के थानाध्यक्ष से होली के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में और कुछ अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत की । मैंने उनसे कहा कि आप व्यस्त हैं होली करीब है आप जाइए और अपना काम करिए । तब तक मैं अपने यहां के लोगों से मिल लेता हूं फाजिलनगर में मुख्तार मिश्र मेरे क्षेत्र के रहने वाले और सुगही गांव के प्रधान हैं वह मिल गए हम उनकी चाय पीने चले गये चाय पीकर जब हम निकले तो सड़क पर वहीं प्रभुनाथ शाही, विश्वनाथ शाही और हरिद्वार राय अपने पांच-छः बदमाश किस्म के लोगों के साथ दिखे, ज्योंही मैं सड़क पर आया उन लोगों ने मुझे ललकारा और मुझ पर झपट पड़े । मैंने जीवन में पहली दफा किसी व्यक्ति के हाथ में बम देखा तो वह विश्वनाथ शाही के हाथ में देखा । वह लोग लपके और मुझ पर झपट पड़े । प्रभुनाथ शाही ने मेरा हाथ पकड़ा और झपाटा मारा और मेरे हाथ से झोला झीन लिया उसमें कुछ जरूरी कागजात थे, लोगों की दख्वास्तें थीं । कोई मेरे बेटे की नौकरी की दख्वास्त नहीं थी बल्कि जन समस्याओं से संबंधित पेपर्स थे और मात्र एक हजार रुपया उसमें हमारा था । कागजात और एक हजार रुपया मेरा छीन लिया गया । संयोग की बात है कि जान नहीं गयी । उन लोगों ने ललकारा और मुझे गंदी-गदी गालियां दी । उन्होंने कहा कि पथरदेवा कांड को असेंबली और अखबारों में इसने उछाला है इसको मौत के घाट उतार दो । बम मारकर उड़ा दो । आप कहते हैं कि वह लोग निरीह हैं, आपका उनसे सम्बन्ध नहीं है । आप जांच करा लीजिए मेरी हत्या की साजिश करने वाले यह लोग हैं ।

आप सदन में कहते हैं कि उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आपसे संबंधित लोग न हों तो मैं सदन की सदस्यता ही नहीं छोड़ूगा, राजनीतिक जीवन से भी सन्यास ले लूंगा । मैं वहां से फाजिलनगर पहुंचा । मेरा थाने पर जाना जान को जोखिम में डालना था, जान को गवांना था । मैं फाजिलनगर गया और वहां रुका, वायरलेस पर सूचना होती है कि विधायक के साथ ऐसी घटना घटी । मंत्री जी का दौरा होता है तो सूचना जाती है रास्ता ठीक कर दिया जाय, माकूल इंतजाम कर दिया जाय । गृह राज्य मंत्री जी कहां हैं, यह अजीब परदा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कोई मुझसे पूछने नहीं गया । मैं अपनी पीड़ा यहां कहने आया हूं, मैं याचना नहीं करना चाहता हूं, मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने नहीं आया हूं । आपसे फरियाद की उम्मीद भी मुझको नहीं है । अपना फर्ज अदा कर रहा हूं । सदन का सदस्य हूं, सदन में बयान कर रहा हूं । सुना है, सुन लीजिए, इतनी तो मेहरबानी करिये । फाजिलनगर में कोई पूछने वाला नहीं था, मैं देवरिया गया । ।। बजे टेलीफोन करने के बाद लगातार एस0पी0 के दरवाजे पर ढाई-तीन घंटे रहा । डेढ़ बजे डी0एम0 के दरवाजे पर गया । रात भर इन अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश करता रहा । मेरे साथ 8-9 आदमी थे लेकिन अधिकारियों से बात नहीं हुई । सुबह 8 बजे से पहले मैं डी0एम0 के यहां गया । डी0एम0 नित्य समयानुसार ।0 बजे के बाद मैं बैठा रहा, उनसे मिला और दख्वास्त दिया और कहा कि एस0 पी0 साहब के नाम से अलग दख्वास्त है, आपको कुछ करना हो तो करियेगा, या न करियेगा । एक एम0एल0ए0 रात भर अधिकारियों का चक्कर लगाता रहा । जिस पर हमला हो और बघौचघाट थाने से वायरलेस पर प्रचार हुआ हो और कोई अधिकारी न मिले तो यह अजीब बात है । मैं तो मानता हूं कि अधिकारियों की तलाश करनी चाहिए थी कि क्या हालत है । मैं पूरी रात भर चक्कर लगाता रहा । ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं कलेक्टर को दख्वास्त देकर निकला तो दरवाजे पर हरिद्वार राय खड़े थे, सामने मुजरिम को डर क्या लगेगा ? ब्रह्मशंकर तिवारी को 7 तारीख को हुए पथरदेवा काण्ड के बाद घेरा गया । बड़े बेआबरू हुए उनकी गाड़ी के झण्डे तोड़ दिये गये, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । उन्होंने कहा आप पर भी हमला होगा । आप बचेंगे नहीं, इसलिए अपने को बचाने का इंतजाम कीजिए । मेरी जान खतरे में है और आपकी भी जान खतरे में है । स्थिति यह है कि मंत्री जी इसी सदन में आप मेरी सभ्यता देखिये, मेरा संकोच देखिये । मैं तीसरी बार आया हूं । आप इस्तीफा दे दीजिए, मैं भी दे देता हूं फैसला हो जाय कि जनता किसके साथ है । मैं लोगों के आशीर्वाद पर जीता हूं । अपने व्यवहार, नेकनीयता और आदर्श पर जीता हूं और अन्याय के विरोध पर जीता हूं । मान्यवर, मैं जानता हूं, मेरा लहू

और मेरी गर्दन बचे या न बचे, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, वह किसी के शरीर में लगेगा, उसकी जान बचेगी । शाही जी शर्म करें और अपराधियों से मेरा खून न करावें । मेरा लहू जहां गिरेगा, जमीन धंस जायगी, क्योंकि मैं गरीबों की रहनुमाई करता हूं उनके दर्द में जीता हूं । अपने ऊपर कातिलाना हमले की बात आपसे कहने आया हूं । आपसे कहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए । मेरी सुरक्षा की बात मत कीजिए, लेकिन जब से आपने शाही जी को यह पद दे दिया है तब से कत्लेआम का सिलसिला जारी हो गया है । मैं आपसे बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पता लगा लीजिए आज भी वहां वसूली जारी है । यह नोट कर लीजिए, जो सिलसिला चल रहा है, होली में वे लोग इनके दरवाजे पर थे। इनके साथ आए । इनको पुछना चाहिए था कि एक एम0एल0ए0 पर हमला हुआ, मंत्री वहां पर हो और पुछे भी नहीं कि क्या समस्या है, बल्कि मंत्री कातिलों की हिफाजत में हैं इसमें कोई कार्यवाही पुलिस करने वाली नहीं है । मैं अपना बयान दे देता हूं कि मरेंगे वहां, गम यहां कीजियेगा । मैंने कभी ज्यादा बात नहीं की है, हमेशा कम बातें की है, सलीके ओर शालीनता से की है, मगर अन्याय के विरोध में मेरी जान चली जाय, पथरदेवा काण्ड की सही बातों को उद्घाटित करने में मेरी जान चली जाय गरीबों की हिमायत में जान चली जाय, शाही जी के गन्दे कामों को उद्घाटित करने में जान चली जाय तो मुझे चिंता नहीं है । मुख्य मंत्री जी आपसे आरजू है कि जिस व्यक्ति को आपने यह जिम्मेदारी दी है, उसकी अपने तौर तरीके से, अपने ढंग से जांच करा लीजिए कि सही स्थिति क्या है । इनको मवेशी विभाग दे देते, इनको मवेशियों से पुराना स्नेह है । अब इनको आप पुलिस विभाग देकर लोगों का संहार करवा रहे हैं । मैंने अपना दर्द बयान किया । मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं तो आम आदमी हूं । मेरी सुरक्षा का इतंजाम क्या कीजिएगा । गम मनाइयेगा मेरे मरने के बाद दो मिनट मौन रखकर और लोगों से श्रद्धंजलि अर्पित करवा दीजिएगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, यह मामला हम लोगों के जिले से संबंधित है, मैंने लिख कर दिया है । अभी माननीय विश्वनाथ जी ने जो बयान दिया है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन एक विधायक कहे कि रात भर एस0पी0 और कलेक्टर के दरवाजे पर घूमता रहा और कोई भी अधिकारी जिले का इनकी बात सुनने वाला नहीं था, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं था । जिस समय गालियां दी जा रही थीं, उस समय हमारा और हरिवंश सहायक का नाम लेकर गालियां दी जा रही थीं । यह सही है कि हमारा निर्वाचन क्षेत्र शाही जी के निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर था । अब हम तीनों जनता दल के विधायकों की जान वहां के एस0पी0, कलेकटर और मंत्री जी के चलते खतरे में पड़ गयी है । श्री ब्रह्मशंकर तिवारी भूतपूर्व विधायक जी की भी

जान खतरे में है । पिछली 12 तारीख को शाही जी ने कहा था कि तीनों सदस्यों का सम्मान करता हूं और उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं, 12 तारीख को बयान होता है और 17 तारीख को क्षेत्र में हम पर हमला होता है । वहां से शाही जी का घर 5 किलोमीटर पर है । वहां से फाजिलनगर काफी दूर पड़ता है मंत्री जी बतावें कि प्रभुनाथ शाही और उनके साथ के लोग आपसे 17 तारीख के बाद मिले या नहीं । अगर मिले थे तो उनकी सुरक्षा की है या नहीं । माननीय शाही जी तीन दिन हमारे जनपद में रहे । बगल में डाक बंगले के बगल में एस0पी0 का निवास है । मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार राय जंगल पार्टी से संबंधित हैं । शाही जी का पूरा परिवार स्मगलिंग में रहा है । इसमें सही बात की जानकारी के लिए एक समिति बना दें और माननीय मंत्री जी के पूर्व जीवन की जानकारी कर लें कि ये लोग क्रिमिनल हैं या नहीं । बाहर हत्या हो जाय, कोई बात नहीं है, हम जानते हैं कि हत्या की तैयारियां हो रही हैं । मैं जानता हूं कि ये रामराज के नाम पर कत्लेआम करना चाहते हैं, करते रहे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य जनपद में जायं, चाहे गृह मंत्री की राय के हों या न हों, लेकिन मंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब एक विधायक पर कातिलाना हमला हुआ तो कम से कम जाकर एस0पी0 और तमाम अन्य अधिकारियों को बुला सकते थे, लेकिन मंत्री जी ने ऐसा करना गवारा नहीं किया । आप और हम तो समान हैं । पुलिस ने एक बार आपके साथ भी बदसलूकी की थी तो हमने सी0ओ0 को हटवाया था । पुलिस किसी की नहीं होती । आप पर हमला हुआ तो हमने विरोध किया था और कहा था कि यह ठीक नहीं है । लेकिन कुछ न कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है । कातिलों को आज तक जेल के सिकंजे में नहीं जकड़ा गया, जबकि माननीय गृह राज्य मंत्री वहीं के रहने वाले हैं । इसलिए मैं शासन से इस पर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

(समय 1 बजकर 25 मिनट)

*श्री हरिवंश सहाय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें श्री विश्वनाथ जी और माननीय स्वामी नाथ यादव जी ने कही है, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता । मैं इसमें कुछ नई बात जोड़ना चाहता हूं । 17 तारीख को मैं देवरिया गया था और 6 बजे के लगभग पुलिस कप्तान, देवरिया से मिला, उन्होंने कहा कि आज रात में एक भोज होने वाला है, आप उसमें निमंत्रित हैं, हमने कहा कि भोज आपने दिया है या किसी दूसरे ने, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने दिया है और मुझे मालूम है कि आप निमंत्रित हैं । मैं वहां से अपने निवास स्थान पर चला गया, वहां पर कोई सूचना नहीं थी, लेकिन मुझे जानकारी है कि 8 बजे रात को एक बड़ा भारी भोज दिया गया और उस भोज में माननीय गृह राज्य मंत्री भी शामिल हुए और भोज कब तक चलता रहा यह तो जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद सब लोग 12 बजे रात तक

अपने-अपने घर पर गये और विश्वनाथ सिंह से पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी से भेंट नहीं हुई । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा नहीं डालनी चाहिए कि एक तरफ तो जिला जल रहा हो और प्रदेश में इतनी महंगाई बढ़ रही हो और ऐसे समय पर भोज का आयोजन किया जाय और सरकारी धन का अपव्यय हो ।

मान्यवर, मैं तो पुलिस कप्तान से मिला था, उनसे मुझे जानकारी हुई कि जो रिपोर्ट विश्वनाथ सिंह ने लिखाई थी, उसकी मिनीमाइज कर दिया है और मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही होने वाली नहीं है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी 17 तारीख को वहां पर गये और 21 तारीख तक वहां पर रहे हैं । माननीय मंत्री जी जब वहां पर जाते हैं, तो प्रत्येक थाने से एक-एक सब-इन्सपेक्टर इनकी ड्यूटी में भेज दिये जाते हैं । मुझे यह जानकारी है कि माननीय मंत्री जी के जाने पर 10 सब-इन्सपेक्टर ड्यूटी में लगा दिये जाते हैं । मैं भी चाहता हूं कि इनकी ड्यूटी में 10 सब-इन्सपेक्टर भेज दिये जायं, चाहे पूरे जिले का प्रशासन चौपट ही क्यों न हो जाये ? मान्यवर, अगर ये उस दिन न गये होते, तो कार्यवाही अवश्यक होती, लेकिन इनके जाने के बाद से पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की । मान्यवर, वहां पर कानून-व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गयी है । मैं यह कहना उचित नहीं समझा हूं कि मेरी जान खतरे में है । मेरे कमरे के बगल में एक धनंजय सिंह नाम के व्यक्ति पर बम फेंक दिया गया और उसी के बीस गज की दूरी पर एक सेठ ब्रदी नारायण गुप्ता हैं, उनको भी बम से उड़ा दिया गया और जहां तक मुलजिमों का सवाल है, जो स्वामी नाथ जी और विश्वनाथ सिंह ने आरोप लगाया है, वह बात सही है ।

1989 से पहले की जो बात है, वह सही है । मंत्री जी से इन लोगों से सम्बन्ध नहीं था । 1989 से इनका साथ है । यह तो माननीय मंत्री जी का इशारा है माननीय स्वामी नाथ जी और मुझे तंग करने के लिए । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इनके खिलाफ 395/397 का मुकदमा जो है, उसके तहत मुलजिमों को जेल भेजकर कार्यवाही कराई जाय । यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, आपने कहा था कि मुझे अवसर देंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अंगद जी को सुन लिया और नेताओं को सुन लिया और आपके दल के नेता को भी सुन लिया । इतने लोग पर्याप्त हो गये ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रक्रिया अपना ली गयी है । सभी की सहमति से अपना ली गयी है । उसी के अनुसार चल रहा हूं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मेरे बाद माननीय निषाद जी को सून लें । वह नये सदस्य हैं । मान्यवर, जो व्यथा और कथा माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ सिंह ने कही है वह बड़ी दर्द भरी दास्तान है और उसको सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि: -

"आ रही है चमन से बूये कवाब ।
लगता है किसी बुलबुल का कहीं दिल जला है ।"

मान्यवर, जितने दर्द भरे शब्दों में उन्होंने अपनी बात कही है, उसके ही कारण मुझे यह कहना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि आप हमें सुरक्षा क्या देंगे, मेरा लहू जमीन पर गिरेगा तो किसी दूसरे की जान बचाने में काम आयेगा । मान्यवर यह किस बात का इशारा करता है ? मैं शाही जी से निवेदन करूंगा कि वह कौन लोग हैं, इसकी आप जांच करायें । मान्यवर, विधायक की रिपोर्ट है और दफा 395 और 397 का मुकदमा दर्ज है, आप पता लगायें कि कौन लोग मुलजिम हैं ? नाम से कोई भी व्यक्ति किसी बिरादरी का हो सकता है । जो गुण्डा है बदमाश है, उसकी कोई जाति नहीं होती है । सदन में आकर कोई विधायक अपनी सुरक्षा की बात करता है, तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है आप सरकार को निर्देशित करें कि जो लोग दोषी हैं वह गिरफ्तार किये जायें और मान्यवर आप देखें कि शाम की घटना है और जिले के जो मंत्री हैं, वह कम से कम सांत्वना भी देने के लिए वहां पर नहीं गये । आप देखें कि 22-24 थानाध्यक्षों का ट्रान्सफर देवरिया में एक तरफ से किया गया । मैंने इस मामले को नहीं उठाया, क्योंकि यह मामला सीधे जाति बिरादरी से जुड़ जाता । लेकिन मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि क्या कारण है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा थानेदारों को जो एक ही बिरादरी के हैं, का ट्रान्सफर किया गया मुझे बाध्य होकर यह बात कहनी पड़ रही है । आप सूची पढ़वा कर देख लीजिए । तो मेरा निवेदन है कि माननीय विश्वनाथ सिंह और अंगद जी के मामलों पर कार्यवाही करेंगे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय निषाद जी जब आपके नेता बोलें तो उसी समय आप भी बोल लें । आप अपनी बात उसी समय रख दें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जब पथरदेवा काण्ड का मामला यहां पर उठा था तो गृह राज्य मंत्री जी ने धमकी दी थी कि वह विधायकों को देख लेंगे और 12 तारीख को जब

सदन उठा तो वह देवरिया गये और अपनी धमकी को पूरा किया । माननीय अंगद जी ने डी0जी0पी0 पर आरोप लगाया है, वह आजमगढ़ के रहने वाले थे । . . .

माननीय विश्वनाथ जी ने गृह राज्य मत्री के ऊपर आरोप लगाये, वह देवरिया के रहने वाले हैं, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए । अब एक प्रश्न पैदा हो गया है अगर हम जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को इस सदन में नहीं उठायेंगे, जनता के भले की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा और उठाने के बाद हमारी ही जान को खतरा पैदा कर दिया जायेगा तो यह अच्छी परम्परा नहीं होगी। माननीय विश्वनाथ जी ने जिस करुणा से बात कही है, सच्चाई उसी से मालूम हो जाती है, पिछली बार मैंने कहा था गृह राज्य मंत्री इसे गम्भीरता से नहीं लेगें । पथरदेवा काण्ड जो हुआ था उसमें मौके पर स्थिति देखने के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह व अन्य माननीय नेतागण गये थे, उनको मौके पर नहीं जाने दिया गया, उन पर पत्थर फेंके गये थे । उस समय मैंने मांग की थी कि हाउस की एक कमेटी बना दी जाय । मैं पुलिस पर विश्वास कर नहीं सकता, इस सदन की कमेटी बना दी जाय जिसमें इधर के भी सदस्य हों और उधर के भी सदस्य हों, जिससे एक सत्यता सदन के सामने आ जाय, जिस पर आप कठोर निर्णय ले लें जिससे कम से कम विधायक भविष्य में यह न कह सकें कि मेरी जान को खतरा है । मेरा निवेदन है कि आप इसको गम्भीरता से लेते हुए सदन की एक कमेटी बना दें जो सदन के सामने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें और उस पर आप कार्यवाही करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जैसा अभी माननीय नेता विरोधी दल और समस्त नेताओं ने कहा कि हमारे विधायक अंगद यादव के ऊपर घटना घटी और विश्वनाथ जी के ऊपर घटना घटी । इस सदन में सभी माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस सरकार की है लेकिन मान्यवर, जब से यह सरकार आई है, ऐसा नहीं हो रहा है । मान्यवर, प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है, यह हमेशा उस सीट पर नहीं बैठे रहेंगे इसलिए मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आजमगढ़ में ऐसी घटना घटी और एक विधायक के ऊपर यह घटना घटित होने से जनता में दहशत व्याप्त है । मुलजिम सुशील, जैसिंह, धर्मपाल और उमाशंकर यह डी0जी0जी0 के रिश्तेदार हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है । उमाशंकर की गिरफ्तारी इसलिए हुई है स्टेनगन के कारण, केवल उमाशंकर की ही साधारण नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई इसलिए इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस का इसमें हाथ रहा है और एक योजनाबद्ध तरीके से यह घटना की गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप भयमुक्त समाज बनाना चाहते हैं लेकिन हो इसके विपरीत रहा है, पूरे प्रदेश में आतंक छाया हुआ है और विधायकों की रक्षा नहीं हो रही है तो जनता की क्या रक्षा होगी ? आप भयमुक्त का नारा देते हैं,

राम राज्य का नारा देते हैं, उसको वापस ले लें । जो हेड कांस्टेबिल चन्द्रभान था, परमहंस यादव था उनके परिवारों को एक-एक लाख रुपया दिया जाय और 50-50 हजार रुपया घायलों को दिया जाय और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाय । अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो साफ जाहिर होता है कि शासन इन सबको संरक्षण दे रहा है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ जी ने जो अपने ऊपर बीती दर्दनाक घटना का जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि यह मामला अत्यन्त गम्भीर है लेकिन मैं नेता विरोधी दल से कहना है और माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस सरकार से यह उम्मीद करना कि यह सुरक्षा की व्यवस्था करेगी इसके दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं इनके औराई के एस0ओ0 ने बिना मुकदमा लिखे एक व्यक्ति घोसिया को हवालात में बंद किया, वाराणसी के के औराई में । . .

हमारे यहां के डी0आई0जी0 मिश्रा जी, उन्होंने वेजिट किया और बिना मुकदमा लिखे उस आदमी को हवालात में देखा और डी0जी0 ने उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए लिखा एस0ओ0 के खिलाफ और पुलिस कर्मियों के खिलाफ । मैंने मुख्य मंत्री जी से सवाल किया । सवाल का उत्तर आपन दिया है कि यह कोई ऐसा अपराध नहीं बनता है इसलिए पुलिस कर्मियों के निलम्बन की बात नहीं हो सकती है । बिना मुकदमा दर्ज किये और अपराध को लिखे आपकी पुलिस हवालात में निर्दोष व्यक्ति को बंद करती है । डी0आई0जी0 पकड़ता है और आप कहते हैं कि पुलिस कर्मियों का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है । मुझे ग्लानि होती है उसे आपने दूसरी जगह भेज दिया, इन्सपेक्टर भी बना देंगे । आज तक किसी मुख्य मंत्री को मैंने नहीं देखा कि दबाव में अपने आदेश को ही रोज बदलता रहे । दो आदेश सी0आई0डी0 की जांच के लिए दिये और दोनों को बदल दिया । एक में तो मैंने कहा और दूसरे में इसलिए नहीं कहा कि ऐसी आदत पड़ गयी है कि शाही जी और दूसरे लोग दबाव डालेंगे और आप अपने आदेश को बदलेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि एक जीवन चन्द्र पाण्डे था जिसने दंगा कराया था, उसने डी0जी0 को और मंत्रियों को भी गाली दी और शराब के नशे में "दैनिक जागरण" दफ्तर में पहुंच गया और दो पदाधिकारियों को बुलाकर जान से मारने की धमकी दी, मैंने नियम 3।। में दिया है आज । जब यह सरकार और इस सरकार की पुलिस अखबार और सम्वाददाता की नहीं हो सकती तो विधायकों की रक्षा क्या करेगी ? इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी रक्षा खुद करिये और इनकी निरंकुश पुलिस से लड़िये ।

यह रामराज्य नहीं रावणराज्य हो गया है । विधायकों की कोई इज्जत नहीं है, कदर नहीं है । हमारे दीनानाथ जी को कलेक्टर धमकाता है कि उसके पास पुलिस है, फौज है, स्टेनगन है । आज पलिस के अधिकारी निरकंश हो गये हैं ।

जब विधायकों और सांसदों की यह हालत है तो आम जनता की क्या हालत होगी ? नियम के मुताबिक यदि सरकार को चलाना चाहते हैं तो चलाइये । आप उत्तर प्रदेश की जनता को अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकते । कोई वर्ग आपसे संतुष्ट नहीं हे । मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर आज मैदान में चलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक सिखायेगी । नीति के तहत सभी मामलों को निपटाइए, आप इन्साफ के राज्य की बात करते हैं । नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सरकार को बिना भेवभाव के कानून सम्मत राज्य चलाने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, माननीय विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी तो है ही लेकिन आप भी इसी सरकार को निर्देशित करेंगे । आप सरकार को निर्देशित करें कि सांसदों की विधायकों की जीवन रक्षा करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताओं के सामने इस सदन में माननीय विश्वनाथ सिंह ने जिस व्यथित मन से अपनीबात कही है, उस पर सबका सोचना स्वाभाविक है । मान्यवर इस तरह की घटनायें एक बार नहीं अनेक बार इस सदन में आयी है लेकिन उन पर ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं होती । माननीय विश्वनाथ तीसरी बार इस सदन के विधायक हैं मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि अर्नगल आरोप कभी किसी पर लगाये हों न कभी बोलने में उन्हें देखा गलत तरीके से कोई शब्द शासन के प्रति किसी अधिकारी के प्रति इस सदन में अभिव्यक्त किये हों । लेकिन मान्यवर जिस दुखी मन से उन्होंने अपनी व्यथा बतायी वह चिन्तनीय है । जब यह घटना घटी उन्होंने और पूर्व विधायक श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी ने हमें टेलीफोन से सूचना दी, उस समय भी मैंने महसूस किया कि यह अत्यन्त व्यथित और दुखी थे उसी समय मैंने कलेकटर से बात की कलेक्टर ने कहा कि मैं तत्काल एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की बात अभी करता हूं सुरक्षा व्यवस्था करता हूं । श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं जरा सोचें एक विधायक रात भर कलेक्टर के यहां पुलिस कप्तान के यहां दरवाजे खटखटाता रहा वह अपनी निद्रा से उठ नहीं पाये किसी और की सिफारिश करने गये होते तो बात और होती लेकिन जब एक घटना घट गयी और यह अपनी सुरक्षा की बाबत वहां गये और रात भर दरवाजे खटखटाते रहे लेकिन इनकी फरियाद सुनी नहीं गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी क्या यही कानून का राज्य है यही राज्य की कल्पना आपने जनता को करायी थी क्या यही रामराज्य है । इससे घिनौना काम और क्या हो सकता है ? मैं शाही जी से उम्मीद नहीं करता था ।

(व्यवधान)

हां परमात्मा ने आपको भेजा है आप ही लोग सत्य बोलते हैं बाकी जो बातें कही हैं वह सब अनर्गल है असत्य है जब समय आयेगा तो आपको पता चल जायेगा कोई व्यथित मन से अपनी बात कह रहा है उसको आप असत्य कह रहे हो यही आपकी नैतिकता है इंसानियत है सवेंदनशीलता है कुछ तो शर्म करों ।

श्री जी0एस विनोद-

(× × × )

श्री अध्यक्ष-

माननीय विनोद जी जो कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा

कुवंर रेवती रमण सिंह-

शाही जी वहां मौजूद थे घटना की सूचना उनको मिली होगी । संसदीय मान्यतायें और परम्परायें भी कुछ होती हैं । संसदीय प्रणाली में लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन इंसानियत का कुछ तकाजा होता है, जब आपको यह पता चला तब आपको इनके घर जाना चाहिए था या उनको बुलाना चाहिए था लेकिन आपने किसी संसदीय प्रणाली का पालन नहीं किया सबसे क्षोभकारक बात तो यह है कि कलेक्टर एस0पी0 ने उने घर जाकर इन्क्वायरी नहीं की विधायक से कलेक्टर और पुलिस के कप्तान मिलने नहीं गये उल्टे विधायक उनके घर रात भर चक्कर लगाते रहे लेकिन उनसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं । सुबह दस बजे आम आदमियों से जब मिलने आते हैं तभी मिले और माननीय विश्वनाथ से बात सुनते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि यह सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, बहुत सी सरकारें आयी और चली गयीं, बहुत से मुख्य मंत्री आये और चले गये । आपकी सरकार कोई स्थायी सरकार नहीं है । मान्यवर, इस तरह से विधायकों के साथ, माननीय विश्वनाथ जी के साथ माननीय भूतपूर्व विधायक, श्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी के साथ, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सुरक्षाकर्मी नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं माननीय कल्याण सिंह जी से अभी माननीय ऊदल जी ने बहुत व्यथित मन से अपनी बात कहीं । मैंने उनको कभी इतना व्यथित नहीं देखा । मान्यवर, सी0आई0डी0 इन्क्वायरी की बात कही गयी और फिर उसे वापस ले लिया । आपने श्री अशोक सिंह जी के मामले पर सी0आई0डी0 इन्क्वायरी करायी और बाद में बीस दिन बाद उसे वापस ले लिया । आगरा के बारे में कहा कि वहां के एस0पी0, ए0डी0एम0 (आर0) ने यह रिपोर्ट लिखकर दी थी कि वहां पर सी0आई0डी0 इन्क्वायरी कराने का कोई औचित्य नहीं है । उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मी और दो लोग मारे गये जिन लोगों ने मारा था वह आपके दल से सम्बन्धित हैं इसलिए सी0आई0डी0 इन्क्वायरी हो जायेगी और बाकी जो विधायक हैं जिनकी जान को खतरा है उनके प्रति दूसरा रुख अपनायेंगे तो यह शासन है ।

मान्यवर, श्री अरिदमन सिंह जी एक विधायक हैं उन्होंने हमसे कहा आपसे भी कहा कि हमारी जान को खतरा है ब्लाक प्रमुख की जान को खतरा है लेकिन न तो कोई गनर दिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गयी । तो मैं यह कहना

---

नोट:- (× × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चाहता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं के लिए गनर हैं, सुरक्षा कर्मी हैं लेकिन जो माननीय भूतपूर्व विधायक, मंत्री हैं और जो तमाम विधायक हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं हैं तो इस तरह का पैमाना आपने बना रखा है । अभी माननीय विश्वनाथ जी ने बड़े ही व्यथित मन से अपनी बात कही है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अभी खड़े होकर यह कह देंगे कि पूरी व्यवस्था सरकार करेगी । आज वह कह रहे हैं कि जान जाने का खतरा है और कभी जान जा सकती है । माननीय अंगद जी ने साफ स्वयं यह बात दोहरायी तो मान्यवर, सदन की कुछ मान्यताएं होती हैं कुछ उसके आदर्श होते हैं आप उन पर चलिए । एक घटना की याद आपको दिलाना चाहता हूं । जब आप इधर बैठते थे तो माननीय हरीश जी के साथ एक दरोगा ने दुर्व्यवहार किया था तो पूरा विपक्ष एक हो गया और वहां के पुलिस कप्तान का स्थानान्तरण किया गया था उस दरोगा का नहीं तो कुछ तो ख्याल करिये । इस तरह से विधायकों के सम्मान को इतने हल्के-फुल्के ढंग से लेंगे तो क्या होगा ? आज उनकी जान को खतरा है और मुलजिम गिरफ्तार अभी तक नहीं किये गये आप कानून के विज्ञ हैं वेत्ता हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति एफ0आई0आर0 दर्ज कराता है, उसे मारने की कोशिश की जा रही हो तो यह 395, 397 में आता है या कि 307 में आता है । तो यह मामला 307 में नहीं दर्ज किया गया यह 395, 397 में दर्ज किया गया 307 में इसकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी । क्या इन लोगों की गिरफ्तारी हुयी, अगर नहीं हुयी तो क्यों नहीं हुयी ? मैंने स्वयं कलेक्टर से कहा था कि तत्काल कार्यवाही कराओ, आज कई दिन बीत गये और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी । माननीय मुख्य मंत्री जी आप गृह मंत्री भी हैं और आपका दायित्व और भी ज्यादा बनता है, सब बातों को इतने हल्के-फुल्के ढंग से मत लीजिए । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी अभियुक्त हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करने के लिए आप सरकार को निर्देश दें ।

मान्यवर, आप विधायकों के संरक्षक हैं, आपका भी दायित्व बनता है, जो मुदकमा 395, 397 का लिखा गया है, उसमें 307 जोड़ा जाय और अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कराई जाय, इसका आप सरकार को निर्देश दें । मान्यवर, मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बात को मान लें, अन्यथा सी0बी0आई0 की इन्क्वायरी तो आप कराने से रहे, हमारे विपक्ष के भी सभी भाई इस बात से सहमत होंगे कि एक संसदीय जांच कमेटी बना दी जाय, जिसमें 3 आदमी आपके दल के हो जायें और दो आदमी केवल विपक्ष के हो जायें, इस प्रकार 5 आदमियों की समिति बन जाय और जो रिपोर्ट आ जाय, उस पर आप कार्यवाही करवा दीजिए, लेकिन कुछ तो करिये, इसको इतने हल्केपन से मत लीजिये, यह विभेद मत करिये । आज आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन सभी माननीय सदस्य जितने भी हैं, सबका दायित्व सुरक्षा का आपके ऊपर है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करूंगा, वैसे तो संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, और वह गृह मंत्री भी हैं, जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, विधायकों का मामला है । मैं चाहूंगा कि स्वयं मुख्य मंत्री जी खड़े होकर इस हाउस में इस तरह का आश्वासन दें, जिससे सभी सम्मानित सदस्यों को शासन के प्रति जो शिकायतें हैं, उनका समाधान हो सके ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि यह मसला अत्यन्त गम्भीर हो गया है और मैं सानुरोध प्रार्थना करूंगा कि कि सदन की एक कमेटी आप बनवा दीजिये, यह सारे विधायकों का मामला है, इसमें आप कमेटी बनवाने के सम्बन्ध में मत विभाजन करवा दीजिए, इस प्रकार आप एक नई परम्परा की शुरुआत करें ।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, हम लोगों पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं, सुरक्षा व्यवस्था के रक्षक हैं, आप सरकार को निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग विषय है ।

श्री बाबूराम यादव-

( × × ×)

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ भी लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लें, मैंने 3 पत्र लिखे ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं, आप उनसे जवाब दिलवाइये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस मामले पर सदस्यों की एक समिति बनाई जाय, इस पर मत विभागजन करवा लें ।

(श्री बाबूराम यादव के पुनः खड़े होने पर)

---

नोट:-(× × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है, इस समय जो विषय चल रहा है, उसे होने दें, जो बात आप कह रहे हैं, उसके सम्बन्ध मे आपसे मुझसे मेरे कक्ष में आकर बात कर लीजिएगा ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर मुझे आधे मिनट का समय दे दें ।

(× × × )

श्री अध्यक्ष-

श्री बाबूराम जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इस प्रकरण पर आपने सभी दलों के लोगों को बोलने का मौका दिया है । समाजवादी जनता पार्टी के लोगों को आपने मौका नहीं दिया है । इसलिए आप श्री बाबू राम जी को मौका दे दें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित हैं, इसलिए उनसे उत्तर दिलवायें ।

(श्री बाबूराम यादव जी के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री बाबूराम जी आप अपने इस विषय को अलग से उठा लीजिए । श्री अंगद सिंह यादव व श्री विश्वनाथ जी के बारे में पर्याप्त विचार आ चुके हैं । आप जो यह कह रहे हैं कि 6-7 विधायक मारे जा चुके हैं । हमारे यहां, तो आप बतायें कि कौन विधायक मारे गये हैं । इसलिए श्री बाबू राम जी आप कृपा करके बैठ जायं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर-व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ? श्री नरेश अग्रवाल जी ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी । बिना अनुमति के आप प्रस्ताव रख देंगे और उस पर मतदान कराने की बात कहेंगे । यह तो आप एक नई परम्परा डालने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षिति-

मान्यवर, मैं कोई आग्रह नहीं कर रहा हूं आप मेरे प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दें ।

---

नोट:- (× × × )यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

मेरी यह व्यवस्था है कि जो प्रस्ताव बिना मेरी अनुमति के प्रस्तुत किये जायेंगे उस पर मतदान की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अंगद सिंह जी यादव का मामला पहले उठाया गया सारे दल के नेताओं ने उस पर अपने विचार व्यक्त किये माननीय विश्वनाथ जी का मामला बाद में आया उस पर भी सभी ने अपने विचार व्यवत किये लेकिन समाजवादीपार्टी की तरफ से किसी ने अपने विचार व्यक्त नहीं किये । मैं व्यवस्था चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय बाबू राम जी को समाजवादी जनता पार्टी की तरफ से दो मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

कुछ लोगों ने संक्षेप में विचार व्यक्त कर दिये, कुछ लोग ज्यादा समय लेते हैं । आपके दल की तरफ से माननीय दीक्षित जी खड़े हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी बनाने का कर दिया उन्होंने संक्षेप में आपके दल की तरफ से कर दिया है (व्यवधान) अब इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है । ऐसा नहीं है कि आपके दल की तरफ से सुना नहीं गया है, सुन लिया गया है माननीय बाबूराम जी अब उसे समाप्त करें ।

श्री बाबूराम यादव-

एक मिनट सुन लें इस तरह से न टालें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं टाल नहीं रहा हूं, इस विषय के सम्बन्ध में कह रहा हूं इसे समाप्त करें।

श्री बाबूराम यादव-

आप बहुत विद्वान हैं, नियमों के ज्ञाता हैं आप तो बी0जे0पी0 की लाइन पर नहीं थे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप दो बार मिल चुके हैं, एक बार फिर मिल लीजिए (व्यवधान) एक बार फिर मिल लीजिए अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो देखेंगे ।

श्री बाबूराम यादव-

एक मिनट सुन लें, यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष-

सभी दलों के नेताओं को दो-दो मिनट सुनने की बात थीं । मैंने पर्याप्त समय दे दिया (व्यवधान) आगे और अवसर आयेंगे (व्यवधान) मुझे स्मरण है जब मैं यहां बैठता था एक माननीय विधायक जी के साथ दुर्व्यवहार की बात हुई थी उस समय

पीठासीन अधिकारी ने व्यवसथा दी कि मैं केवल माननीय विधायक को सुनूंगा और किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है । (व्यवधान) जब पर्याप्त रूप से बातें आ गयीं अब उन्हें दोहराने के लिए अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है ।(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मुझे क्षमा कर दीजिए । इतनी देर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह दिये होते और आवश्यकता होती तो माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर बोल लेते । श्री विश्वनाथ जी के मामले पर माननीय शाही जी को भी जानना चाहता हूं क्योंकि उनके ऊपर भी काफी आरोप लगा दिये हैं उनको भी मौका देना चाहिए । (व्यवधान) अब पर्याप्त बात हो गयी है माननीय बाबू राम जी आप बैठें ।

श्री राम कुमार शुक्ला-

मान्यवर, इस तरह से यह हाउस नहीं चलने देना चाहते हैं ।

श्री बाबूराम यादव-

मैं विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं ।...

श्री अध्यक्ष-

मैं 2.30 बजे तक सदन को स्थगित करता हूं, अगर इस तरह से पीठ के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो इस प्रकार सदन नहीं चलेगा ।

(इसके बाद 2 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि सदन के स्थगन का समय 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

3 बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

(माननीय अध्यक्ष महोदय के पीठासीन होने के उपरान्त)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में अपने सहयोगी सम्मानित विधायक श्री अंगद सिंह के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई, वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर, दुखद् और दुर्भाग्यपूर्ण है ।

श्री अंगद सिंह यादव-

अंगद सिंह नहीं अंगद यादव ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्षमा करें मान्यवर ।

श्री बाबूराम यादव-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इतना मदहोश होकर बयान नहीं देना चाहिए। जो लिखत पढ़त में हो, कम से कम उसको सही बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि यह घटना वास्तव में बहुत दुभाग्यपूर्ण है । शासन की ओर से जो मेरे पास जानकारी है वह मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं । 19 तारीख को श्री यादव जी द्वारा मुख्य मंत्री जी को इसकी जानकारी मिली । उसी समय सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध करने का प्रयास किया गया । मैं समझता हूं कि गार्ड्स सम्भवतः उसी दिन यादूसरे दिन आपके घर पर, आर्म्स गार्ड्स लगा दिये गये । एक कांस्टेबिल इन्द्रदेव यादव को सुरक्षा डयूटी में लगा दिया गया । मैं घटना के विस्तार में जाना नहीं चाहता, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी है लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं । माननीय अंगद जी को एक विधायक चाहे इधर के हों या उधर के हों उसमें किसी तरह का भेद नहीं है । वैसे तो हमारी सरकार हर आदमी के जीवन की सुरक्षा की गारंटी के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन विधायकों का विशेष सम्मान है इसलिए उनकी सुरक्षा की गारन्टी देने की हमारी व्यवस्था है । यहां पर एक बात कही गयी और यह कहा गया कि हमारे डी0जी0पी0 (पी0) ने वहां के एस0पी0 के माध्यम से साजिश करके कातिलाना हमला करा दिया । मान्यवर यह आरोप सही नहीं है । अगर आरोप सही होता, मैं इसी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं, जिस दिन यह घटना घटी, उसी दिन एक उमा शंकर सिंह, एडवोकेट हैं, जो प्रमुख अभियुक्त हैं, जिस बन्दूक से हादसा हुआ है, उसी दिन वह गिरफ्तार कर लिये गये, पुलिस ने स्टेनगन और कारतूसें भी बरामद कर लिया । कुछ अभियुक्त हैं, जिनका अपराधिक इतिहास है, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है । किसी भी मुलजिम को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है । पुलिस को कभी-कभी मुलजिमों को पकड़ने में विलम्ब हो जाता है । यह प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मुलजिम हैं, उनको पकड़ा जाय और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय । माननीय राम गोविन्द चौधरी ने चुनाव का उल्लेख किया, उसका इससे प्रसंग नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बी0जे0पी0 का व्यवहार और उनका कार्य और बोलने का अंदाज जो था, उसके विषय में मैंने बताया कि बी0जे0पी0 ऐसा कर सकती है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें जानकारी दी । यह वह सरकार है जहां-जहां पर चुनाव इसलिए स्थगित कर दिये गये कि हिंसा हुई थी, हिंसा की वजह से लोग वोट नहीं डाल पाये और उन स्थानों पर शांतिपूर्वक चुनाव करा डालें। इसलिए हमारा जहां तक ताल्लुक है, हम जाति बिरादरी, पार्टी इसका कोई भेद न रखते हुए हर माने में हमारे सामने एक ही बात है कि अपराध, अपराध है, उसके साथ पुरा-पूरा कठोरता से काम किया जाना चाहिए । इस पर आरोप लगाया गया कि एक ही बिरादरी के लोगों का ट्रान्सफर कर दिया गया । लेकिन मैं उस आरोप का सरकार की ओर से खण्डन करता हूं और इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यवाही भी होगी और दंडित भी किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक कारणों से ट्रान्सफर भी किये जायेंगे । लेकिन यह करते समय यह किंचित ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन किस बिरादरी का है ? हमारा प्रयास है कि विधि के अनुसार शासन चले । हमारे एक विधायक (देवरिया) का संदर्भ चला । मान्यवर, श्री विश्वनाथ का संदर्भ चला, वह भी हमें दुःख है कि स्थिति साफ नहीं हो पा रही है । आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, घटना पर ध्यान कम जाता है, संयोग से श्री शाही जी वहां के हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, उनको लपेटने का प्रयास किया जाता है । ऐसे मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, मात्र पार्टी का विरोध करने के लिए किसी पर लांच्छन लगाना उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

श्री विश्वनाथ-

आप शाही जी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इस आरोप और प्रत्यारोप से काम तो नहीं चलेगा । अगर अपराधियों के संरक्षण का मामला है, हम उनकी बात को बड़े सम्मान के साथ सुनेंगे, आप कोई चीज लिखकर दे दें कि किन-किन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन किसी सम्भावना के आधार पर वाह्य स्वातंत्र्य का उपयोग उपयुक्त नहीं समझा जायगा ।

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विषय से हट कर बात कर रहे हैं, यह कदाचित उचित नहीं है । आप सफाई क्यों दे रहे हैं ? मैं उनसे कहना

चाहता हूं कि एक जाति के और एक धर्म के लोगों का स्थानान्तरण किया गया । यादव और मुसलमानों को हटाया गया और आप यहां पर सफाई दे रहे हैं । आप विधायकों की रक्षा कर नहीं पा रहे हैं और सफाई दे रहे हैं ।.

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अगर माननीय वर्मा जी यहां पर होते ? वह भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और सभी चीजों से अवगत हैं ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

आप विधायकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं । हमारे विधायकों का अपमान हो रहा है । इसलिए आपसे निवेदन है कि इस मामले को गम्भीरता के साथ लें और इसको राजनीति से न जोड़ें और मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

आप सुन लें । (व्यवधान) मैं माननीय वर्मा जी का बड़ा सम्मान करता हूं । मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं और माननीय वर्मा जी भी एक पार्टी के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर दल के नेता की जिम्मेदारी है तो काम का बोझ होगा ही । मेरी उनसे प्रार्थना है कि व सदन में कुछ ज्यादा समय दिया करें । बहुत से आरोप लगाये गये हैं, माननीय वर्मा जी उस समय नहीं थे, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि उन आरोपों का उत्तर दूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शांत रहें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

सरकार को सहनशील होना चाहिए । विपक्ष तो आरोप लगाता है, जरूरी उत्तर है वह दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो आरोप लगाये गये हैं, उन्हीं के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ का मामला आया, एक घटना घटी और उसके बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, एक शिकायत की गयी और उसको गम्भीरता के साथ लिया गया । यह कहा गया कि रात भर डी0एम0 और एस0पी0 से मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनसे भेट नहीं हो पायी । मान्यवर, जिलाधिकारी को

ज्ञापन दिया गया और उन्होंने उसी पर एफ0आई0आर0 लिखवा दी और जांच प्रक्रिया चालू हो गयी और विवेचना के बाद जो तथ्य आये उनको भी मैं बताना चाहता हूं । उस एफ0आई0आर0 पर मुकदमा दर्ज किया गया । उसका नम्बर 47/92 है । दिनांक 18-3-92 को थाना बगौचघाट में उसकी विवेचना हुई। तो उससे जो तथ्य सामने आये हैं वह यह हैं कि डकैती और रुपया छीनने का साक्ष्य नही बनता है । अपर एस0पी0 द्वारा स्वतंत्र साक्ष्य लिया गया और पाया गया कि वह मामला 504 और 506 का है तो उसको इस धारा में तरमीम किया जा रहा है । जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । आप एक बात और सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर आ जाने दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, श्री विश्वनाथ की निर्भीकता की तो तारीफ करनी ही चाहिए । उनको शैडो दिया गया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया । उसके बाद भी यह शासन का दायित्व है, क्योंकि एक हादसा ऐसा सामने आया है कि उनके द्वारा शासन को जिम्मेदारी दी गयी इसलिए शासन का भी कर्तव्य बनता है कि उसके लिए शैडो की व्यवस्था की जाय । इसलिए शासन की ओर से दिनांक 18-3-92 को उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था कर दी गयी है अब आप उसको रखना चाहें रखें न रखना चाहें न रखें । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक जो आवश्यकता यहां आपने दर्शाई है, इसलिए आप रखें । मान्यवर, शासन की ओर से हर सम्भव प्रयास किया जायेगा जिससे माननीय विधायकों के सम्मान की पूरी-पूरी रक्षा हो । इन शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह न तो नियम 311 में आता है और न कार्य-स्थगन में आता है लेकिन माननीय विधायकों की सुरक्षा का सवाल है इसलिए शासन का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया फिर भी इस बारे में आप जो भी निर्देश करेंगे उसका श्रद्धा के साथ अनुपालन करूंगा जिससे साथ विधायकों के मान-सम्मान की रक्षा हो सके लेकिन फैक्ट्स के आधार पर कार्यवाही करें अकारण आरोप-प्रत्योरोप लगाकर गम्भीरता को नष्ट करने की कृपा न करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री को चुनौती देना चाहता हूं जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जिन अपराधियों के नाम संदन में आये हैं, एफ0आई0आर0 में भी दर्ज हैं उनके परिवार के अपराधिक जीवन की लिस्ट नहीं रख रहे हैं और तमाम विधायकों को मैं कहना चाहता हूं कि जितने नाम आये हैं उनके अपराधिक जीवन की कुण्डली आपके पास क्यों नहीं है ? (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि सदन की एक कमेटी जिसका प्रस्ताव माननीय दीक्षित जी लायें है इसको बनाने की घोषणा कर दी जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
मान्यवर, हमारे पास कुण्डली सबकी है ।

श्री राम लखन-
मान्यवर, जैसा कि मैंने आपके संज्ञान में श्री अंगद सिंह यादव की समस्या को रखा था और आपके माध्यम से मैंने एक मांग किया था संसदीय कार्यमंत्री और मुख्य मंत्री जी से कि जो लोग मर चुके हैं चाहे गनर रहें हो या उनके रिश्तेदार रहे हैं, उनके परिवारजन को एक-एक लाख रुपया दिया जाय । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि घायलों और मृतकों के बारे में कुछ बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-
मान्यवर, मैंने कहा है कि उसकी विवेचना हो रही है और उसके बाद जो तथ्य मेरे सामने आयेंगे उसके बाद कोई निर्णय लिया जायेगा ।

श्री राम लखन-
मान्यवर, लोग मरे हैं इसकी सूचना है इसमें विवेचना की क्या बात है ?

श्री लालजी वर्मा-
मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने पिछली बार यह कहा था खून सबका एक होता है ।

श्री अध्यक्ष-
वर्मा जी, मैंने डा0 यादव को बुलाया है ।

डा0 बृजभान यादव-
माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अंगद सिंह यादव ने इस सदन के समक्ष अपनी व्यथा कथा बताई और उन्होंने लिखकर भी आपको दिया है कि डी0जी0पी0 जो श्री प्रकाश सिंह जी हैं इस वारदात में उनका हाथ है । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने अपने जवाब में स्पष्टरूप से कह दिया है कि यह आरोप श्री अंगद जी के गलत हैं ।

मान्यवर, किस आधार पर कह रहे हैं ? श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने जांच करायी है या उनकी बात को यों ही नकार देना चाहते हैं । श्री विश्वनाथ जी वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अभी रो-रोकर अपनी व्यथा कथा कही लेकिन जवाब उनका रटा रटाया है । जब श्री शारदा प्रसाद रावत जी की हत्या हुई तो विरोध पक्ष के सभी सदस्य खड़े हुए लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा ऐसे ही जवाब दे दिया गया । आज भी वैसे ही जवाब दिया । आपने डी0जी0पी0 को आधार पर एक्सक्लूड कर दिया ?

श्री अध्यक्ष-
इसकी आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-
मैंने 10-12 तारीख को पथरदेवा काण्ड के सम्बन्ध में उठाया था । श्री सूर्य प्रताप शाही जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने मेरे सामने धमकी दी, उसी का असर है कि श्री विश्वनाथ जी पर आक्रमण किया गया ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय विश्वनाथ जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है । आप बैठें ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सदन की समिति बना दें वह जांच कर ले कि जो धमकी दी वह सही है । यह गृह राज्य मंत्री का मामला है ।

(घोर व्यवधान)

मैं खुला आरोप लगा रहा हूं । मेरे सामने धमकी दी थी, उसके बाद 17 तारीख को आक्रमण हो जाता है जब स्वयं गृह राज्य मंत्री ऐसा काम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

ये सारी बातें कही जा चुकी हैं ।

श्री बाबूराम यादव-

विपक्ष ने तीन आरोप लगाये हैं । संसदीय कार्य मंत्री जी ने तीनों आरोपों का खण्डन किया । अगर किसी जांच के आधार पर खण्डन किया है तो उस जांच रिपोर्ट को सुना दें नहीं तो सदन की कमेटी बना दीजिये, सारे विपक्ष के नेताओं ने आपसे अनुरोध किया है ।

श्री अध्यक्ष-

कमेटी की बात पहले भी आ चुकी है ।

श्री बाबूराम यादव-

डी0जी0पी0 पर आरोप लगा है । जो आरोप लगाये गये हैं, उनका खण्डन गुप्ता जी ने एक सेकेण्ड में कर दिया है । अगर बिना जांच के खण्डन कर दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है । सदन की कमेटी बना दीजिए जो कि मौके की जांच करे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर आपने भी इसकी गम्भीरता को स्वीकार किया है इसलिए आपने बात उठाने की इजाजत दी । विपक्ष के सदस्यों की बात सुनीं, सभी ने अपनी बात कही । जिस तरह का बयान सदस्यों को ध्यान में रखकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को देना चाहिए था, वैसा नहीं दिया । उन्होंने सरकारी पक्ष की तरह से ही इसको ले लिया । विधायकों की कितनी बेइज्जती हुई है, कितना अपमान हुआ है, कितनी अवहेलना हुई है, इस सम्बन्ध में उन्होंने नहीं लिया । विरोध पक्ष की बात को काटना है, इसलिए काट दिया । यह भी बात सही है तथा हम लोग जानते भी हैं कि उन अधिकारियों को फांसी के तख्ते पर संसदीय कार्य मंत्री एवं मुख्य मंत्री कोई भी नहीं चढ़ायेगा । मैं आप पर ही छोड़ता हूं अगर आप संसदीय कार्य मंत्री की बात से संतुष्ट हैं और जो माननीय विपक्ष के विधायकों ने बात कही

मैं उससे असंतुष्ट हैं तो फिर आप सदन को 10-15 मिनट के लिए स्थगित कर दें आप अपने विवेक से निर्णय दे दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री की बेमतलब की बातों को सुनने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है मानवता का गला घोटा जाय यह नहीं चलेगा । मैं चुनौती देता हूं कि डी0जी0पी0 को सदन में बुलाया जाय अगर हमारी बात गलत होगी तो हम सदस्यता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं । डी0जी0पी0 को यहां बुला लिया जाय एक-एक बात पूछ ली जाय कि जो बात मैंने कही है उसे उन्होंने कही थी या नहीं मान्यवर जिस प्रदेश का पुलिस मुखिया इतनी घटिया स्तर की बात कहेगा जन प्रतिनिधियों के लिए और दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री उसका खण्डन करते हैं इससे गयी गुजरी बातें कुछ और हो नहीं सकती । मान्यवर, विधान सभा की गरिमा को बचाना है तो हम विपक्ष के लोग सारा निर्णय आपके ऊपर छोड़ देते हैं । विधान सभा को स्थगित कर सोच समझकर इस पर निर्णय दीजिए हम आपकी व्यवस्था को शिराधार्य करेंगे ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री बाबूराम यादव-

(× × ×)यह क्या उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

यह विवाद ऐसे ही चलता रहेगा, अब आप लोग बैठें, इसको समाप्त करना है ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं सुबह से श्री बाबूराम यादव जी पुराने सदस्य हैं यहां मंत्री रहे हैं वहां से बैठे-बैठे असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उस समय भी कहा था कि (× × ×) अभी इन्होंने कहा कि यह (× × ×) हैं । क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग यहां उचित है ? मैं चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो यह हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे । इस तरह के सभी शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दलाल शब्द असंसदीय है ही नहीं जो (× × ×) होगा उसे ही बुरा लगेगा ।

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

जो भी शब्द आपत्तिजनक होंगे वह निकाल दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इसका . . .

श्री बाबूराम यादव-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बाबूराम यादव-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

आपने बहुत गम्भीर आरोप लगाया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया बैठ जायें । मुझे व्यवस्था देने दीजिए । मैं माननीय बाबूराम जी द्वारा जो बातें कही गयी हैं उसको संज्ञान में ले रहा हूं । कृपया शांत रहें। माननीय बाबू राम जी जो आपने इतनी गम्भीर बातें कहीं है वह किस माननीय सदस्य की ओर इशारा करके कहीं हैं उस माननीय सदस्य का नाम बतायें जिन्हें आपने डी0जी0पी0 का दलाल कहा है ।

(व्यवधान)

(माननीय मुलायम सिंह यादव जी के उठने पर व बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । पहले माननीय बाबूराम जी यह बतायें कि उन्होंने किस माननीय सदस्य की ओर इशारा करके यह कहा है कि वह डी0जी0पी0 के दलाल हैं ।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शांत रहें ।

(इसी बीच विरोध पक्ष के अनेक सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये और सत्ता पक्ष की ओर बढ़ने लगे )

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

---

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(इसके बाद 3 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन. आरम्भ हुई ।)

(सदन की बैठक पुनः प्रारम्भ होने पर)

(श्री फरीद महफूज किदवई, श्री मुलायम सिंह यादव व विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर )

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री बाबूराम जी, आप कृपया उन माननीय सदस्य का नाम बतायें, जिनके खिलाफ आपने डी0जी0पी0 का दलाल होने का आरोप लगाया है ।

(श्री फरीद महफूज किदवई के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

किदवई जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री फरीद महफूज किदवई एक नेम प्लेट हाथ में लेकर दिखाते हुए)

*श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मुझको इससे मारा गया है । यह चीज मेरी पीठ में मारी गयी है ।

श्री अध्यक्ष-

जिस समय मैंने सदन को स्थगित किया, उस समय तक मारपीट की कोई घटना नहीं हुई थी ।

मैं बाबूराम जी से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं । बाकी लोग बैठ जायें ।

(श्री फरीद महफूज किदवई के पुनः खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान )

श्री अध्यक्ष-

मैं बाबूराज जी से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं, इसका उत्तर आने तक अन्य किसी की न तो कोई बात लिखी जायेगी और न सुनी जायेगी । मैं प्रश्न कर रहा हूं, श्री बाबूराम जी इसका उत्तर देंगे । अन्य किसी को मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

*श्री फरीद महफूज किदवई-

(× × ×)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलते रहिये, आपकी कोई बात लिखी नहीं जायेगी ।

जब तक मैं यहां मौजूद था, तब तक कोई घटना नहीं हुई थी ।

*श्री फरीद महफूज किदवई-

(× × × )

श्री अध्यक्ष-

मैं यह नहीं कह रहा हूं ।

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । यह बात सदन को विनियमित रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष और माननीय बाबूराम जी के बीच की बात है । आप अपना स्थान ग्रहण करें अन्यथा मुझे कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री बाबूराम जी, कृपया उन माननीय सदस्य का नाम बतायें, जिनके बारे में डी0जी0पी0 का दलाल होने का आपने आरोप लगाया है । दूसरी बात, मैं आपके पास एक सादा कागज भिजवा रहा हूं, उस पर आप अपना आरोप पुष्ट करें, उसे आथेन्टिकेट करें क्योंकि मैं उस पर कार्यवाही करूंगा ।

सचिव महोदय, माननीय सदस्य के पास सादा कागज भिजवा दें, चाहें तो उस पर अपने दस्तखत भी कर दें ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, जिस आसन पर आप विराजमान हैं, उस पर बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े मनीषी ....

(सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के बीच में टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मुझे किसी प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अगर आरोप सिद्ध होगा तो हम उन माननीय सदस्य के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्षमा के साथ कहता हूं, अगर सिद्ध नहीं होगा तो आपके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

श्री बाबूराम यादव-

...आप हमारी बात नहीं सुनेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस प्रकार लिखने की परिपाटी नहीं रही है । जो माननीय सदस्य यहां पर बोलते हैं, वह लिखा जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं उस आरोप की पुष्टि करने के लिए कह रहा हूं । क्योंकि मैंने उसको संज्ञान में ले लिया है ।

---

नोट:-(× × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर आप उसे लिखकर लेंगे तो इससे आपके अधिकार कम होंगे । जो यहां पर लिखा जाता है, उसी को सत्य माना जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

जो आरोप लगाये गये हैं, वह लिखकर कर दें । हस्ताक्षर सहित दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस प्रकार लिखकर देना, आपको शोभा नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष-

मैं कार्यवाही करूंगा । मैं सदन के अन्दर किसी भी प्रकार के हल्के, निराधार, तथ्यहीन व बिना प्रमाण के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा । मैं जिस कार्यवाही पर विचार कर रहा हूं उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं । श्री बाबूराम जी ने जो यहां पर आरोप लगाये हैं, मेरा यह अनुमान है कि उनके पास उसके प्रमाण होंगे वह इस सदन में तुरन्त उन प्रमाणों को प्रस्तुत करें । इन आरोपों का निस्तारण आज ही, इसी के साथ, इसी सदन में नियम-67 व 68 के अन्दर मैं कर दूंगा । उन आरोपों की पुष्टि में वह प्रमाण दें ।

(समाजवादी जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा दूसरा, यह है कि माननीय सदस्य जो भाषण करते हैं, उसको बाद में वह शुद्ध करते हैं । सदन के अन्दर खुलकर आरोप लगाने के किन आरोपों की पुष्टि के लिए प्रमाण चाहिए । सदन के अन्दर नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की कार्यवाही करने का प्राविधान है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य भाषण देता है और उसमें कहीं अगर कोई आपत्तिजनक बात होती है तो आप उसे कार्यवाही से हटा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

श्री बाबूराम जी ने सदन के अन्दर आरोप लगाये हैं । मैं चाहता हूं कि वह हम उन आरोपों की पुष्टि में प्रमाण हस्ताक्षर सहित दें । नियम-67 व 68 के अन्दर इस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दूंगा और इसका निस्तारण यहीं कर दूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

श्री मोहम्मद आजम खां जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

---

नोट:-(× × × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप उस जुमले को दोहरा दीजिए, वह रिकार्ड में आ जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

मैं नहीं दोहराऊंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, इस सदन की कार्यवाही को हम सब लोग शान्तिपूर्वक व गरिमापूर्वक चलाना चाहते हैं । आपको यह जिम्मेदारी विशेष रूप से दी गई है । श्रीमन्, कभी-कभी भावावेश व आक्रोश में आरोप व प्रत्यारोप होते हैं । सरकार पर ज्यादा आरोप लगाये जाते हैं । श्रीमन्, उसकी भी एक प्रक्रिया है ।

श्री अध्यक्ष-

न मैं भावावेश में हूं और न आक्रोश में । सदन ठीक से चले । सदन में आरोप लगाये जायं, परन्तु आरोप लगाते वक्त संबंधित प्रमाण भी अपने जेब में रखें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, अगर हम कहते हैं कि यह सरकार (× × ×) है । हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए । . . .

(व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जब मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी फिर यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया है कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैं जो कहूंगा वह लिखा जायेगा और माननीय बाबूराम जी जो कहेंगे वह लिखा जायेगा । कोई भी चीज समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

किसी मंत्रि-मण्डल के सदस्य को यह लगा हो कि उनके लिये कहा गया है तो वह प्रिविलेज का नोटिस दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम 67-68 में मैंने कार्यवाही करने की बात कही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

हमारा कहना है कि अगर किसी का ठेस लगी है तो वह प्रिविलेज का नोटिस दे और आप उसका परीक्षण कीजिए, आप यह अभूतपूर्व कार्यवाही कर रहे हैं ।

---

नोट:-(× × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

अभूतपूर्व कार्यवाही यहां पर हो रही है मैं नहीं कर रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

यह निर्णय कागज देकर हो रहा है । (व्यवधान) आरोप का खण्डन कर सकते हैं और विशेषाधिकार की नोटिस दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता समाजवादी जनता पार्टी, माननीय नेता जनता दल, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स) आदि नेताओं से मेरा निवेदन है कृपया मेरे कक्ष में आ जायं । मैं 20 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं । ठीक 5 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं जब तक इस पर निर्णय न हो जाय आगे की कार्यवाही नहीं होगी । मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप सब मेरे कक्ष में आ जायं ।

(4 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी ।

5 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में जो उत्तेजना हुई मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि सदन में कभी-कभी ऐसा दृश्य हो जाता है कि उत्तेजना हो जाती है । उसमें दोनों तरफ के माननीय सदस्य शामिल हो जाते हैं । आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा आपसे आग्रह है कि आप उसका पटाक्षेप कर दें । जहां तक मैं समझता हूं माननीय बाबूराम जी इस सदन के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं । उनकी किसी के ऊपर आरोप लगाने की कोई मंशा नहीं थी । जहां तक मेरी समझ में आया है उन्होंने किसी का नाम लेकर भी आरोप नहीं लगाया था । मान्यवर, ऐसे में तो कई बार सदन में उधर से भी इधर से भी प्रत्यारोप होते रहे हैं । एक दूसरे के प्रति यह संसदीय प्रणाली में नोक-झोंक कभी-कभी हो ही जाती है । जब किसी को व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर इन्होंने आरोप नहीं लगाया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसे पटाक्षेप करने की कृपा करें । इस प्रकरण को समाप्त कर दें ।

श्री बाबूराम यादव-

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय अध्यक्ष जी को मैं बहुत ही विद्वान और बहुत ही संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता के रूप में हृदय से मानता हूं और जानता हूं अभी जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो उत्तेजना हुई

और उसमें अगर मैंने यह कह दिया कि यह सरकार डी0जी0पी0 की दलाल है तो सत्ता पक्ष की तरफ से मेरे लिए कहा गया कि तुम चोर हो । माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है । आप दिखवा लें "दलाल" शब्द असंसदीय नहीं है । सरकार पर आरोप लगाने का हमें अधिकार है । अगर आप इसको उचित नहीं समझते, आपकी निगाह में हमारा आरोप ठीक नहीं है तो आप तो नियमों के ज्ञाता हैं, आपको पूरे अधिकार प्राप्त हैं इतने अंश को निकलवा देना कोई बात नहीं थी । मेरा आपसे अनुरोध है कि जब उत्तेजना हुई थी तो उसे शान्त करा देना चाहिए था । आप बहुत विद्वान हैं आपको उसे धीरे से शान्त करा देना चाहिए था । मैंने तो केवल यह कहा था कि सरकार डी0जी0पी0 की दलाल है । इस अंश को आप निकलवा दें तो कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, परम्पराओं के आधार पर ...

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मैं एक मिनट मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

यह जितना प्रकरण हुआ है । यह मात्र इसलिए हुआ है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से, सुचारुरूप से, नियमों के अनुरूप चले । तो मैंने तो आपको बुलाया नहीं । अभी जो कुछ इस सदन में हुआ, मैं समझता हूं खेदजनक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, एक-दो मिनट का समय मुझे भी दें । मान्यवर, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कभी-कभी ऐसे उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं । इस मामले में मैं उनके तर्क से सहमत हूं लेकिन मान्यवर, उत्तेजना के समय भी कुछ तो मर्यादा का भी हमें पालन करना चाहिए । माननीय बाबूराम जी ने जो बात अभी कही मैं उनकी नीयत पर शंका नहीं करता, जो भी कहा उन्होंने और आपने आगे उसे बढ़ाया । एक कागज दिया । लेकिन फिर भी जो उन्होंने बाद में कहा हम उसी को सही मान लेते हैं । अकारण विवाद बढ़ाना नहीं चाहते हैं । यह बात ऐसी है । हम शासन पक्ष में बैठकर प्रतिपक्ष की कड़ी से कड़ी आलोचना, कड़े से कड़े प्रहार सुनते हैं । शान्तिपूर्ण वातावरण में यह सब होता रहा है । एक जरा से मुद्दे में खुलकर सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना की कई । मैंने अपनी ओर से जो कुछ कहा था उसमें यह भी कहा था, आपने भी सुना होगा, कि आप माननीय सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी निर्देश देंगे उसका सरकार अनुपालन करेगी । डी0जी0पी0 का मामला था हमने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया अब उसमें आपकी सहमति होना न होना वह अपनी जगह है । इसमें जो आरोप लगाए गए

वह प्रागदर्शन में सिद्ध नहीं होते हैं । मिस्टर सिंह अभियुक्त न समझे जाते तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाता । हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी बात शासन के संज्ञान में लाई जाएं, कही जाएं, उसका हम उत्तर देंगे अब उससे आप सहमत हों या न हों यह तो आपका पक्ष है । हम चाहते हैं कि भविष्य में भी सदन को संचालित करने में आपका सहयोग हम प्राप्त करें । सरकार जनहित में चले । आज जरा से मामले की वजह से पूरा दिन निकल गया । आज नेता विरोधी दल को बजट पर अपना भाषण प्रारम्भ करना था । घंटा दो घंटा शान्ति से सुनते तो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता । उनके मूल्यवान सुझाव मिलते । इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है । मान्यवर, जो निर्देश आपके होंगे, मैं अपने दल की ओर से आश्वासन देता हूं कि हम उसका पालन करेंगे इसमें किंचित भी संदेह नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, बाबूराम जी के मुंह से कुछ निकल गया तो उस प्रकरण को समाप्त कर दें ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

एक सदस्य-

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी ने इशारे से इस पर बल देने को कहा है ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

यह सदन मर्यादाओं और परम्पराओं के आधार पर चलता है । हम चाहते हैं कि इस प्रकरण को यहीं पर समाप्त किए जाए । होली के बाद सदन चलने का आज पहला दिन है तो थोड़ा संयम और धैर्य बरता जाना चाहिए । यह तो होली का असर है । मैं आपको होली की बधाई देता हूं ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि ऐसे-ऐसे गम्भीर आरोप लगाए जाते हैं अगर सरकार पर आरोप लगाए जाते तो भी क्षम्य था, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नाम लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

पूरे सदन के सामने इंगित करके एक व्यक्ति ने कहा । इसमें माननीय सदसय बाबूराम जी को आप पहले व्यवस्था दें कि वह क्षमा मांगे ।

(व्यवधान)

नहीं तो सदन नहीं चल पाएगा । इस तरह की बातें नहीं चलेंगी यह इनका मामला नहीं है पूरे सदन का यह मामला है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, यह प्रश्न अकेले माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नहीं है, यह सारे सत्ता पक्ष का अपमान है । सत्तापक्ष के सदस्य आपसे निवेदन करना चहाते हैं कि इस प्रकरण पर श्री बाबूराम जी यादव जी से क्षमा मंगवायें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य शुक्ला जी के बाद जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों लोगों की जोड़ी है ...

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जितना समय बरबाद हो गया है उसे जाने दें, अविलम्ब इस प्रकरण को समाप्त कर दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, अगर इस तरह की परम्परा बनेगी तो हम लोग भी इसी तरह का आचरण करेंगे । उन्होंने आरोप लगाये, आप उनसे क्षमा मंगवायें ।

श्री राम कुमार शुक्ला-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शुक्ला जी ने जो कुछ कहा है वह लिखा नहीं जायगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही निकाल कर देख लें । एक तो उन्होंने अपराध किया है दूसरे असत्य बोला है कि मैंने नहीं कहा । आप कार्यवाही देख लें । यह बर्दाश्त के बाहर है । उनको क्षमा मांगनी चाहिए, (× × ×)।

श्री अध्यक्ष-

आप धमकी मत दीजिए, यह लिखा नहीं जाएगा ।

(शोर)

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, आप कार्यवाही निकाल कर देख लें । अगर उन्होंने नहीं कहा है तो मैं अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हूं । अगर उन्होंने कहा है तो उनसे माफी मंगवाइये ।

श्री जागेश्वर प्रसाद-

आरोप आप लोग लगते हैं । यह सरकार काम ठीक नहीं कर रही है...

(शोर)

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

आप मान्यवर, कार्यवाही निकालकर देख लें उसके बाद जो व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य है । अगर कार्यवाही में नहीं लिखा है, अगर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है तो मैं अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं और अगर कार्यवाही में लिखा है तो आप उनसे क्षमा मंगवाइये ।

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, बड़ी मुश्किल से हाउस व्यवस्थित हुआ है । माननीय प्रमोद तिवारी जी का काफी देर में नशा टूटा, अब आये हैं, सब लोग सुबह आ गये थे । लेकिन बात सही कह गये हैं । अब कुछ बहुत सीरियस विजनेस रह गया है, उसको लेने की कृपा करें ।

*श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस बारे में प्रकरण समाप्त करने की बात के बारे में उसके बाद भी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या अभी समाप्त नहीं हुआ ? कृपया प्रकरण अब समाप्त कीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह मेरा अधिकार है कि आपने समय दे दिया तो मैं कुछ कह सकूं और आप सुन लें । इस तरह से सारी बात आप नहीं सुनेंगे तो यह हमारे अधिकारों का हनन होगा । मेरा निवेदन है कि सारा प्रकरण समाप्त होने के बाद भी माननीय सदसय ने जो मंत्री जी के लिए बार-बार दलाल शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं कि एक चीज खत्म होने के बाद बार-बार अपमानित करने का काम किया है अपनी सरकार के मंत्री का, यह गलत तरीका है । मैं समझ रहा हूं कि ये बार-बार अपनी सरकार के मंत्री को अपमानित कर रहे हैं, लिहाजा इनके द्वारा बार-बार मंत्री जी के लिए दलाल कहा जाना कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

*श्री घनश्याम शुक्ल-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा है कि माननीय विपक्ष के सदस्यगण, जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होते हैं बोलने के लिए तो विपक्ष के लोग बीच-बीच में हमेशा खड़े हो जाते हैं और माननीय बाबूराम जी ने बार-बार अभी सरकार पर आरोप लगाया और एक मंत्री की ओर इंगित करके आरोप लगाया । इनको यह समझ होनी चाहिए, ये पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक रह चुके हैं, इनको ऐसी भाषा का प्रयोग सदन में नहीं करना चाहिए । यह उनके लिए उचित नहीं था । अगर कोई नया सदस्य होकर विधान सभा में कहता तो यह भी हो सकता था कि

गलती से कह गया, लेकिन एक बुजुर्ग सदस्य जो मंत्री और विधायक रह चुका हो, इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो आगे आने वाली युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ेगा ।

*डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय-

मान्यवर, इसके लिए इनको क्षमा मांगनी चाहिए । पूरे सदन में इस तरह की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है । माननीय तिवारी जी सदन को छोड़कर कर होली खेल रहे थे । जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रकरण समाप्त हुआ, मैं समझ नहीं रहा हूं, कृपया व्यवस्था दें कि माननीय बाबूराम की जिस बात के लिए आपने कड़ा रुख अपनाया, उनके पास सादा कागज भेजा कि अपने हस्ताक्षर से लिखित आरोप लगाएं तो ऐसा लगा कि कड़ा अनुशासन सदन चलाने के लिए स्थापित होगा, लेकिन श्री बाबूराम जी और उनके बीच के लोगों ने पुन:आरोप को दोहराया, न कि किसी प्रकार का खेद प्रकट किया, न क्षमा मांगी तो कैसे माना जाय कि प्रकरण समाप्त माना गया । इस पर व्यवस्था दें ।

*श्री राम लखन-

मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो अपने दल पर विश्वास न हो, या दल के सब सिपाही न हों, जब इनके दल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना बयान दे दिया तो उसके बाद फिर दल के किसी सदस्य को बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है । या तो अपने दल में विश्वास न हो, संसदीय कार्य मंत्री में विश्वास न हो, संगठन पर विश्वास न हो तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाय और कार्यवाही को आगे चलाया जाय, यही मेरा अनुरोध है ।

श्री रमेश पोखरियाल-

दुनिया में यह कोई नई बात नहीं है, मान्यवर, सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग होता जा रहा है । माननीय बाबूराम ने तीन बार इस सरकार पर आरोप लगाया ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया स्थान ग्रहण करें । मैं इस पर चर्चा नहीं करा रहा हूं ।

*श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि 1969 में हमने देखा था, आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री के रूप में यहां पर विराजमान थे और माननीय अनन्तराम जायसवाल जी ने न जाने कितने आरोप सरकार पर लगाये और हमारे ही पक्ष के लोग खड़े हुए, तो चौधरी साहब ने खड़े होकर डाट दिया और उन्होंने कहा कि सारे आरोपों का जवाब मैं दूंगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को उत्तेजित न होना स्वाभाविक बात नहीं है, किसी सरकार को दलाल न

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा गया हो, भ्रष्ट न कहा गया हो, आप कार्यवाही उठाकर देख लें । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें एक तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी विद्वत्ता पर किसी को कोई शक नहीं है, आप जब वहां से खड़े होकर बचाव करते हैं, जब माननीय विधायकों की गरिमा का या उनके ऊपर हमले का या उनके ऊपर किसी आघात का कोई मामला सदन में उठता है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी सरकार गिरी जा रही है । जब विधायक के ऊपर कोई हमला होता है, तो उसकी भावनाओं पर ठेस लगती है और वह चाहता है कि आप सीधा-सीधा उत्तर दे दें । मान्यवर, हम यह नहीं चाहते हैं कि जो कोई गलत काम करता है, उसकी आप सुरक्षा करें, हम यह चाहते हैं कि जो बात हम कहते हैं, उसमें से उन बिन्दुओं का आप चयन कर लें और उनकी जांच करा दें, उनका परीक्षण करा दें, यह सरकार का दायित्व है । जब मान्यवर, इस प्रकार का कोई मसला सदन में आता है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उन बिन्दुओं का चयन कर लें कि उसमें कौन-कौन से ऐसे बिन्दु हैं, जिनके ऊपर जांच की आवश्यकता है और उसके ऊपर वह जवाब तो अवश्य ही दे दें? यह मेरा निवेदन है । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं । जैसे मान्यवर, एक दूसरा प्रकरण माननीय विश्वनाथ सिंह के बारे में आया, माननीय अंगद सिंह यादव जी के शैडो के बारे में आया । मान्यवर, माननीय अंगद सिंह यादव के शैडो का मरडर हो गया । मान्यवर, शैडो का बाईचान्स मरडर हो गया लेकिन उस मामले के ऊपर आपने कोई दृष्टिपात नहीं किया कि किस रूप में मरडर हुआ । वह भी पुलिस का कर्मी है, उसके परिवार को एक लाख रुपया देने की जो बात थी, वह तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए था ।

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैंने कहा था, आपने सुना नहीं था ।

श्री अध्यक्ष-

अभी जो प्रकरण हुआ, खेदजनक है । अध्यक्ष की पीठ से मेरी यह चिन्ता नहीं होती कि विपक्ष शासन पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि नहीं । मेरी मात्र चिन्ता इस बात के ऊपर होती है कि जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें, संयमित भाषा में, अनुशासन के अनुसार पीठ के निर्देश के अनुसार करें जिससे एक शोभामय दृश्य रहे । लोगों को आभास हो कि आप सदस्य बनकर आये हैं, तो रचनात्मक योगदान हुआ है । विपक्ष का काम है कि कड़े से कड़े आरोप लगाये और सत्ता पक्ष का धर्म है कि वह उन आरोपों का उत्तर दे, उनका खण्डन करे । तो पक्ष और विपक्ष का अपना-अपना धर्म है और आशा यह की जाती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने धर्म का निर्वहन करेंगे । लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करें, उनको मानें । आज कुछ

ऐसा हुआ कि कई बार मैंने निर्देश दिये लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ मैं समझता था कि सदन ज्यादा सक्रियता के साथ अपना योगदान देगा और जो बिन्दु यहां पर उठेंगे, उनके प्रति कोई निर्देश दिया जायेगा, तो उन निर्देशों का पालन होगा । अब श्री बाबूराम यादव जी की समस्या है । मैंने उनसे कहा कि वह मेरे कक्ष में आ जायें और बात कर लें, लेकिन उन्होंने मेरे कक्ष में आना उचित नहीं समझा, यह उनका विवेक है । लेकिन उसके बाद जो आरोप उन्होंने लगाये, उनसे मैंने यह समझा था किसी सदस्य या व्यक्ति विशेष पर हैं । इसलिए मैंने कहा कि मैं उनके आरोपों को संज्ञान में लेता हूं और जब कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर आरोप लगाता है, तो यह गम्भीर बात है और उसकी जांच होनी चाहिए । मैं भी यह अवधारणा करता हूं कि अगर कोई सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाता है, तो उसके पास उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण होंगे । अगर उनके पास उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं हैं, तो उन्हें आरोपों को नहीं लगाना चाहिए । लेकिन बाद में नेता जनता दल (ब) ने और अन्य माननीय नेताओं ने कहा कि उनके आरोप शासन पर थे, इसलिए मैंने उनके पास कागज भिजवाया था और कहा था कि कृपया उस सम्मानित सदस्य का नाम अंकित करें, जिसके विरुद्ध आरोप लगाये हैं । अगर व्यक्तिगत आरोप हैं, तो मैं नियम 67 और 68 के तहत कार्यवाही करूंगा और सदन के समक्ष उस मामले को निस्तारित करूंगा, लेकिन इन सबके बावजूद इस समस्या का समाधान निकल आया है और माननीय बाबूराम यादव जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । मेरा उनसे आग्रह है कि उनके द्वारा दिये गये भाषण में कोई ऐसी बात हो या त्रुटि हो तो उसको सुधार लेंगे, उसको शुद्ध कर लेंगे । किसी सदस्य पर आरोप आता हो, तो उसको शुद्ध कर लेंगे । इन शब्दों के साथ जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, उनके अनुरूप ही मेरा यह निर्णय है और मैं चाहता हूं कि यह प्रकरण समाप्त हो जाये और आप सब लोग सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में सहयोग करें । मेरी व्यवस्था से हो सकता है कि कुछ लोगों को संतोष हुआ होगा और कुछ को संतोष नहीं हुआ होगा । लेकिन अध्यक्ष पीठ पर बैठकर मैं यह समझता हूं कि इससे अधिक अच्छा और कोई समाधान नहीं हो सकता है । माननीय अंगद सिंह यादव और विश्वनाथ के प्रकरण आये, उनमें दो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आये । जब माननीय राम लखन जी बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि मुझे अपनी व्यवस्था देने दें । माननीय विश्वनाथ के प्रकरण के बारे में एक बात आयी कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ढूंढने का वह प्रयास करते रहे और उन्होंने यह भी कहा कि जिलाधिकारी जो अपने सामान्य समय पर मिलते हैं, उन्हें 10 बजे मिले और उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी । मैं शासन को निर्देश दे रहा हूं कि समस्त जिलाधिकारियों को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को और जिन जिलों में पुलिस अधीक्षक हैं वहां पुलिस अधीक्षकों को इस बात के निर्देश दिये जायं कि अगर वे

नगर और मुख्यालय पर उपस्थित हैं और कोई भी माननीय सदस्य उनसे न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्या में बल्कि दूसरे मामले में सम्पर्क स्थापित करता है और अगर समय बहुत असुविधाजनक न हो तो वह तत्काल उनसे मिलकर उनकी समस्या को सुनें ।

विधायकों की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी बात आई । माननीय बाबूराम जी का उसी से सम्बन्ध था । हम सीधे मतदाताओं के द्वारा चुनकर आये हैं कोई अध्यक्ष विधान सभा है, कोई सदस्य है और कोई अन्य पदाधिकारी है । जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य निर्विरोध नहीं निर्वाचित हुआ है वर्तमान सदन में तो चुनाव में विभिन्न दलों के उम्मीदवार होते हैं कुछ उसमें विवेकपूर्ण लोग होते हैं और कुछ अविवेकपूर्ण होते हैं, कुछ में राजनीतिक दल के कारण रंजिश होती है, अनेक इस प्रकार के दृष्टांत आये हैं कि चुनाव की रंजिश बढ़ती चली जाती है । इस सदन के अन्दर बहुत से सम्मानित सदस्य हैं जो भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं आज मात्र सदस्य हैं । मंत्री होने के बाद एक विशेष स्तर की सुरक्षा की उनमें अपेक्षा रही है, इनमें कई लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है और कुछ ऐसे माननीय विधायकों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है । मेरी संसदीय कार्य मंत्री से अपेक्षा है कि जिन ऐसे माननीय सदस्यों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है वह उनसे विचार-विमर्श करके एक संतोषजनक सुरक्षा की व्यवस्था कर दें ।

माननीय श्री राम लखन जी ने श्री अंगद सिंह यादव के सुरक्षा कर्मी की हत्या के बारे में अन्य मृतक की हत्या के बारे में मुआवजे की मांग की थी ।

श्री राम लखन-

मान्यवर, घायलों के सम्बन्ध में भी मांग की है ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, तो उनके मुआवजे के बारे में भी निर्देश दे रहा हूं संसदीय कार्य मंत्री को, कि उनको समुचित मुआवजा दें तथा नियमों के अन्तर्गत एक्सग्रेशिया भी देने की व्यवस्था करें ।

बहुत सी बातें इस सदन के अन्दर व्यक्तिगत रूप ले लेती हैं । माननीय गृह राज्य मंत्री भी मंत्री बाद में हैं इस सदन के सदस्य पहले हैं, उन पर आरोप लगाया गया । अब कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो रही है, इस ओर इंगित करना उचित नहीं होगा लेकिन इतना ही कहूंगा, अगर कोई माननीय सदस्य किसी के प्रति आरोप लगाता है अगर उस आरोप की पुष्टि में कुछ प्रमाण का भी उल्लेख कर दें तो आरोप में गम्भीरता आ जायेगी वर्ना यह लोगों के अन्दर भावना धीरे-धीरे दृढ़ होती जा रही है और जड़ पकड़ती जा रही है कि माननीय सदस्य समाचार पत्रों में समाचार पढ़कर सूचना देते हैं और सदन में चर्चा करते हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि समाचार पत्रों में सूचनाएं असत्य होती हैं । बहुतों में सूचनाएं वैसी हो जाती हैं । समाचार पत्रों में छपी सूचना को मैं संज्ञान में नहीं लेता हूं लेकिन उन धारणाओं का जरूर उल्लेख करना चाहता हूं जो धारणा धीरे-धीरे जनमानस में बनती

जा रही है, हम सब जनप्रतिनिधि हैं इसलिए जनमानस की इस धारणा का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा । हमको अन्त में इस बात का पूरा विश्वास है जैसे सदन, आज अव्यवस्थित ढंग से, कुछ समय तक चला उसको छोड़कर शेष समय बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चला । लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिला । मैं चाहूंगा कि अच्छे वातावरण में यह सदन चलता रहे और इसके साथ ही यह प्रकरण का निस्तारण और सूचना माननीय श्री अंगद सिंह यादव जी से सम्बन्धित और माननीय विश्वनाथ जी से सम्बन्धित, जो नियम 31। और नियम 56 में है, उसको अस्वीकार करते हुए अगली सूचना ले रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, आप अगली सूचना लें उसके पहले आग्रह है कि मैं सरकार से अपेक्षा कर रहा था कि जैसा आपने निर्देश दिया था माननीय विधायकों की सुरक्षा और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए, माननीय विश्वनाथ जी ने जो बात कही वह इतनी गम्भीरतापूर्वक कही कि मैं अपेक्षा कर रहा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उनकी भावनाओं को देखते हुए ऐसा जवाब देंगे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को जो आघात लगा है और सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, उसका निराकरण हो सके लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री रोजाना घिसा-पिटा उत्तर देते हैं और ऐसे उत्तर से विधायक के सम्मान में और सुरक्षा को कहीं भी कोई गारण्टी सरकार अपनी ओर से नहीं देती है । मैं सरकार के रवैये के विरोध में और विधायकों के सम्मान के खिलाफ काम करने के विरोध में, मैंने सुबह ही कहा था, उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे और बहुत से पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत से विधायक भी हैं । या तो पैमाना बना लिया जाय कि सब को समान रूप से सुरक्षा की व्यवस्था दी जायगी, अपने कार्यकर्ता को दो-दो गनर और शैडो दे देंगे और जो पूर्व मंत्री रहे हैं और आज विधायक हैं, उनके लिए गनर और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है । यह सरकार रोज इस तरह का काम कर रही है । इससे साबित हो गया है कि इनका प्रजातंत्र के मूल्यों में कोई भरोसा नहीं है । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री रेवती रमण सिंह ने अपने दल "जनता दल (ब)" सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष-

नियम 31। और 56 की सूचना माननीय देवेन्द्र पाल सिंह जी की है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, हमारा काम आपने कर दिया । सरकार ने तो समुचित उत्तर नहीं दिया लेकिन आपने उत्तर देकर संतुष्ट कर दिया है । फिर भी सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत के विरोध में आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और संसदीय कार्य मंत्री के बयान के विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

**श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-**

मान्यवर, आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बड़ी उत्तम व्यवस्था दी है । इसकी अपेक्षा हम लोग कर रहे थे । शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को भी आपने जिन शब्दों में निर्देशित किया है, उससे भरोसा हो गया है कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे । एक नया प्रकरण है जीते हुए विधायक छपरौली के बैठे हैं, उनको आपने शैडो और गनर नहीं दिया और भाजपा सरकार ने अपनी पार्टी के हारे हुए को गनर दे दिया है । मैं सोचता था कि इस बहस में हिस्सा न लूं लेकिन आप बाध्य करते हैं । विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था का इन्तजाम नहीं हो रहा है । मांगने पर भी शैडो और गनर नहीं मिलते हैं । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का परित्याग कर रहे हैं इस आशा के साथ कि आगे से सही रखें ताकि ऐसा अप्रिय कदम न उठाना पड़े ।

(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव ने अपने दल सहित सदन का त्याग किया)

**नगर पुलिस अधीक्षक, वाराणसी द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र के वाराणसी स्थित कार्यालय के पदाधिकारियों को अपमानित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 3।। के अन्तर्गत सूचना**

श्री ऊदल-

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बारे में कुछ कहना नहीं, एक मिनट सुन लें । बनारस के नगर पुलिस अधीक्षक श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय दैनिक जागरण के दफ्तर में शराब पीकर पहुंच गये ।9 तारीख को सरकार के दो प्रतिष्ठित उच्च पदस्थ अधिकारियों को बुलाकर के, सड़कों के ऊपर उनको मां-बहन की गाली दिया और धमका दिया कि जान से मार देंगे हाथ पैर तोड़ देंगे । जितने अखबार बनारस में निकलते हैं सब को वहां धमकाया और कहा कि किसी अखबार वाले ने इस प्रकरण को छापा तो उनकी खैरियत नहीं । मान्यवर, अखबार के ऊपर सम्पादकों के ऊपर एक पुलिस अधीक्षक का इस तरह का हमला करना नशे में धुत होकर गलत आचरण करना मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र में एक कुठाराघात है । इतना ही नहीं किया डी0जी0पी0 को गाली दिया मैं अखबार को पढ़कर बताना नहीं चाहता हूं मंत्रियों को गाली दिया यह बहुत गम्भीर मसला है। श्रीमन्, अगर हमारे प्रदेश के अखबारों पर इस तरह से हमला होगा तो यह जनतंत्र के ऊपर कुठाराघात होगा । हमारी जो आवाज प्रजातंत्र की आवाज जो आज समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं और सरकार की खामियों को उजागर करते हैं अधिकारियों की कमियों को उजागर करते हैं यह प्रजातंत्र के ऊपर लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है यह महत्वपुर्ण मसला है मैं चाहूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहें। उनका ट्रांसफर किया गया उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए इस तरह के अधिकारी को तुरन्त निलम्बित करना चाहिए सरकार को उस पर पूरी कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना चयनित नहीं की गयी थी लेकिन फिर भी आपने कहा है अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जिस गम्भीर बात की ओर माननीय ऊदल जी ने ध्यान आकृष्ट किया है, ऊदल जी हमारे सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं हम उनकी बात का सम्मान करते हैं । 20-21 की रात्रि का यह मामला है मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय का जो आचरण रहा है वह बहुत निन्दनीय रहा है उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है । श्रोताओं ने देखा कि उन्होंने मंच पर दुर्व्यवहार किया, एक समाचार पत्र के कार्यालय में गये इसलिए शासन ने ऐक्शन लेना उचित समझा । इस तरह का जो आचरण करते हैं उनको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि भविष्य मतें इस तरह का गलत काम करने के लिए न उनमें साहस हो और न दूसरे कोई अधिकारी ऐसा कर सकें, वह शिक्षा दूसरों के लिए उदाहरण बने । उनका तत्काल वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, डी0आई0जी0 से कार्यवाही की रिपोर्ट ली गयी है थोड़ी सी प्रक्रिया होती है आप अवगत ही हैं । उस औपचारिकता का अनुपालन करते हुए मैं इस आदरणीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे माननीय सदस्यों को पूरा समाधान हो ।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, जैसा कि मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा....

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको अनुमति नहीं दी ।

श्री लाखी राम जोशी-

आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि बनारस के एस0पी0 का ट्रांसफर नैनीताल कर दिया गया है । मान्यवर, यह अक्सर देखा गया है कि (× × ×)।

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जायेगा ।

सदन की कार्यवाही अध्यक्ष पीठ के आदेश के अनुसार चले । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, आपको जो शिकायत है वह आप मंत्री जी को बता दें ।

श्री लाखी राम जोशी-

उसको दण्डित किया जाये, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी की शाहजहांपुर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, को ले रहा हूं ।

**नगर पालिका शाहजहांपुर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 16 से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं यह बहुत ही गम्भीर समस्या है । होली जैसे पर्व पर वहां के नागरिकों को गन्दगी के तहत होली खेलनी पड़ी । आज स्थिति यह है कि जनपद शाहजहांपर में हमारे नगर विकास राज्य मंत्री भी वहीं के है पूरी सड़कें, नालियां खराब हो गयी हैं, महामारी तथा बीमारी फैलने की आशंका है परन्त खेद है कि अभी तक वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे वहां की हालत खराब होती जा रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार क्या करेगी किस तरह से लोगों को जीवन देगी, इस तरह का माहौल बना रखा है ? हम हिन्दुओं की बात करते हैं, हिन्दुओं के पर्व पर आज भी इस तरह से गन्दगी फैली हुई है आप पता लगायें । अगर दो एक दिन में वहां पर कोई सुचारु व्यवस्था नहीं की गयी तो वहां पर भंयकर बीमारी फैल सकती है । ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सब नियमों को निलम्बित करते हुए चर्चा करायें यही मेरा आपसे निवेदन है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, हमें शाहजहांपर में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की जानकारी प्राप्त हुई है । उनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ उनका वेतन न मिलने के विषय में । हम उसको दिखवा लेंगे और इस सम्बन्ध में मेरी जिलाधिकारी से वार्ता भी हो चुकी है वहां पर सफाई आदि के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और उसमें सुधार हो रहा है । मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है बाकी और स्थिति पर नजर रखी जा रही है और तदनुरूप व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी ने जो सूचना दी है उस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती इसलिए मैं इनकी सूचना को निरस्त कर रहा हूं । अब मैं अगली सूचना जो कि श्री विजय सिंह राणा व श्री विजय पाल सिंह जी की है, को ले रहा हूं ।

**सदन की कार्यवाही स्थगित करके शेष सभी नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं को अगले दिन लिए जाने की मांग**

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, आज बहुत से ऐसे विषय हैं जो कि लम्बित पड़े हैं और आज सदन काफी देर तक चल गया है इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे मामले

जिनको ग्राह्य कर लिया गया है उनको कल फिर से ले लिया जाये और आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

यह जो नियमों के निलम्बन की सूचनाएं होती हैं, कार्य-स्थगन की सूचना होती है वह उसी दिन विशेष के लिए होती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

लेकिन, मान्यवर, जिनको आज ग्राह्य कर लिया गया है उनको कल कृपा पूर्वक वरीयता देकर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली सूचना जो कि श्री विजय सिंह राणा जी की है, को ले रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, कौन सी सूचना है कृपया बता दें ? क्योंकि मैंने दो सूचनाएं दी थीं ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षाओं का वहिष्ठकार का निर्णय लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत अनेक सूचनाएं हैं अतः उसे ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसके बाद तुरन्त नियम-300 की सूचनाएं ले लूंगा ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारी सूचनाओं को स्थगित कर दें । कल उसे इस संशोधन के साथ फिर से ले लें कि माननीय सदस्य कल उसे फिर से दे देंगे ।

**नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचनाओं को अगले दिन दिये जाने की छूट के साथ निरस्त**

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-56 की आखिरी सूचना है । पहली सूचना अयोध्या के बारे में थी, उसको कल ले लेंगे । नियम-300 की जो सूचनायें हैं, उनके सम्बन्ध में इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त कर दूंगा कि कल दुबारा फिर दे दें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, कई सूचनायें ऐसी हैं, जो 300 में भी हैं और 56 भी हैं । अगर कोई सूचना ऐसी आयेगी...

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसी कोई नियम 300 की सूचना नहीं है, जो नियम 56 में आयी हो, मैंने देख लिया है ।

(श्री पूरन प्रकाश द्वारा अपने घुटने का फटा पायजामा दिखाने पर)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, यह सत्ता पक्ष ने जानबूझकर मेजों में कीलें लगवा रखी हैं ।

श्री अध्यक्ष-

कक्ष में आकर अपनी वेदना बता दीजियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नियम 300 में मेरी एक सूचना है, अगर आप उसे कल के लिये ले रहे हैं, तो आज उसे खत्म माना जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है, नियम 300 की सभी सूचनायें आज इस छूट के साथ निरस्त कर रहा हूं कि कल पुनः दुबारा दे सकेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

कल दुबारा तो नहीं देना होगा ।

श्री अध्यक्ष

आपके पास प्रतिलिपि होगी उसे दोबारा दे दीजियेगा ।

## प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा परीक्षओं के बहिष्कार का निर्णय लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इस प्रदेश में बोर्ड की जो परीक्षायें होने जा रही हैं, उनका माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है । इस सरकार ने उसको तोड़ने के लिये प्रयत्न भी किये हैं, उसमें शिक्षकों के बीच गुटबन्दी पैदा करके यदा-कदा समस्या का समाधान निकालने का प्रयास भी किया है, इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का एक बयान अपने हस्ताक्षर से जारी हुआ है, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिकारियों के पास भेजा गया है । यह पत्र मंत्री जी ने जगदीश पाण्डेय को भेजा है, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के एक गुट के अध्यक्ष हैं, जिन बिन्दुओं को मंत्री जी ने उठाया है, उससे संतुष्ट न होकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने अलग से अपना एक प्रतिवेदन माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजा है, इस पत्र की एक प्रतिलिपि मेरे पास भी है और संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भी होगी । उसमें जो बिन्दु उठाये गये हैं, उसमें कहा गया है कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने पत्र लिखकर जिस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है, उससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई है। इन बिन्दुओं का इस

प्रतिवेदन में खुलासा किया गया है, इसमें कहा गया है कि शिक्षकों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 जी में शासन की ओर से प्रक्रिया में परिवर्तन प्रस्तावित है, न कि मन्तव्य में । कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मंत्री जी ने मन्तव्य शब्द का प्रयोग किया है, इससे उनकी जो शंका थी कि क्या यह अधिकारी देने जा रहे हैं कि कोई भी अध्यापक कभी भी आरोप-पत्र देकर निलम्बित किया जा सकता है, उसके लिये केवल एक आरोप-पत्र दिया जायेगा और आरोप-पत्र देने के बाद 3 महीने के अन्दर उसको जवाब देना पड़ेगा और अगर जवाब नहीं देता है तो उसे अपने आप टर्मिनेट माना जायेगा ? यह इन्होंने इसमें व्यवस्था की है । इसका स्पष्ट आशय मन्तव्य में नहीं है । श्री राजनाथ सिंह जी ने जो यहां लिखा है, उससे यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में प्रक्रिया संबंधी जो नियम हैं, उसमें से यह दूर किया गया है अथवा नहीं । शब्दावली का ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट नहीं है । अब यहां पर मन्तव्य का क्या मायने है। अगर इसे स्पष्ट कर दिया जाता तो यह समस्या सुलझ जाती ।

श्रीमन् दूसरा बिन्दु है, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त कर क्षेत्रीय चयन बोर्डों का गठन का निर्णय शासन ने लिया है । इस पर यहां से सूचित किया है कि दो वरिष्ठ अध्यापकों को प्रधानाचार्य पद पर चयन हेतु आमंत्रित करने के प्रकरण पर फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है । श्रीमन्, पहले शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ था उसको खत्म करके आपने चयन के संबंध में क्षेत्रीय बोर्डों का गठन कर दिया। क्षेत्रीय चयन बोर्ड जो आप गठित करने जा रहे हैं, उनका प्रारूप क्या होगा और उनके चयन की प्रक्रिया क्या होगी यह भी स्पष्ट नहीं है जब प्रधानाचार्य नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दो सीनियर अध्यापक होते हैं, उनमें से किसी एक को चार्ज दे दिया जाता है परन्तु अब इसमें क्षेत्रीय चयन बोर्ड क्या करेंगे ?

तीसरा बिन्दु है विभिन्न पारिश्रमिक दरों में वृद्धि, स्थानान्तरण संबंधी विनियमों में संशोधनों, सभी तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण व अनुदान सूची का प्रकाशन आदि । इसे भी आपने स्पष्ट नहीं किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उक्त बिन्दुओं को स्पष्ट न होने के कारण माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं हैं । इस संबंध में उनकी जो मंशा है और आपकी जो सोच है, उसे आप स्पष्ट रूप से इस सदन के अन्दर रख दें ताकि विद्यार्थियों का अहित न होने पाये और शिक्षा के क्षेत्र में जो अंधेरगर्दी हो रही है, वह नहीं होने पाये ।

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, जिन तीन मुद्दों को माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया है, उसकी के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षकों की अब तक की जो

उपलब्धियां रही हैं, उसको समाप्त करने का सरकार का क्या इरादा है? पहले जब किसी अध्यापक को प्रबन्धतंत्र द्वारा निलम्बित किया जाता था, तो यदि दो महीने के अन्दर उसकी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती थी तो वह निलम्बन का प्रस्ताव स्वतः समाप्त मान लिया जाता था । परन्तु अब उसमें आप परिवर्तन करने जा रहे हैं । ऐसा अन्याय आप क्यों करने जा रहे हैं ? वेतन परिवर्तन अधिनियम में पहले सारी जिम्मेदारी सरकार की होती थी परन्तु अब आप इसे प्रधानाचार्य को देने जा रहे हैं । तीसरा, जो एक प्रान्तीय स्तर पर शिक्षा सेवा आयोग है, उसे अब आप क्षेत्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं । इससे प्रबन्धतंत्र और प्रधानाचार्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे बिना अधिकार मिले तो प्रबन्धकों व प्रधानाचार्यों द्वारा एक-एक चपरासी के लिये 20-20 व 30-30 हजार रुपये ले रहे हैं और अधिकार मिलने पर ये सभी एवं गरीब लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। परन्तु अब आप जो यह करने जा रहे हैं, उससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। इस प्रकार आप जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, उससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। आज उनमें भय है कि कहीं इस प्रकार सेवा शर्तों को समाप्त करने पर आये दिन किसी न किसी अध्यापकों को बिना कारण बताये निकाल दिया जायेगा । इसलिये आज आप स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि शिक्षकों में जो असंतोष फैल रहा है, वह समाप्त हो जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने मेरे एक औचित्य के प्रश्न पर गोपनीय पत्रावली के आउट हो जाने के संदर्भ में बयान दिया था और कहा था कि सेवा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार का इरादा नहीं है। लेकिन माननीय राणा जी की शंका से जाहिर हो गया है मैंने भी कहा था कि 26 तारीख से हड़ताल होने जा रही है लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है । यहां सदन में कुछ कहा जाता है और बाहर आदेश में कुछ किया जा रहा है जिससे भ्रान्तियां हो रही हैं । शिक्षकों को संरक्षण देने के संबंध में स्पष्ट बात सदन में कहें ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने 3।। में सूचना दी थी उसको आप आज सुनेंगे या कल ?

श्री अध्यक्ष-

इसके पश्चात् आपको बताता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ माननीय राणा जी तथा कुछ और सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया । शंकाओं का कोई इलाज नहीं है। विगत दिवस यह बात सदन में स्पष्ट कही जा चुकी है कि सरकार का इस तरह का प्राविधान करने का कोई इरादा नहीं है उसके बाद फिर शंका है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का शिक्षा व्यवस्था को फिर से निजी प्रबन्धतंत्र में

सौंपने जा रही है यह आंशका बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निर्मूल है माननीय राणा जी इसका समझ लें । हमारा इरादा यदि होता तो हम धारा 18 को समाप्त नहीं करते माननीय राणा जी जानते हैं कि तदर्थ अध्यापकों की नियुक्तियां कैसे होती हैं । हमने उसको समाप्त किया। हमने एक सकारात्मक काम किया। एक केन्द्रीय चयन आयोग की वजह से समय पर नियुक्तियां नहीं हो पाती थीं धारा 18 का लाभ लेकर प्रबन्ध तंत्र नियुक्तियां कर देता था क्योंकि केन्द्रीय चयन आयोग द्वारा समय लगता था (व्यवधान) आप क्षमा करें ।

श्री अध्यक्ष-

पहले माननीय मंत्री जी कह लेने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हम एक चयन बोर्ड के स्थान पर चार जगह क्षेत्रीय चयन बोर्ड बना देंगे जिस काम को एक आयोग करता था उसे चार आयोग करेंगे इसमें कोई बुराई नहीं है । माननीय सदस्यों की एक आशंका पैदा हो गयी उसके जो अध्यक्ष होंगे उसमें प्रबन्धतंत्र के लोग बनाये जायेंगे । मैं राणा जी को बताना चाहता हूं कि सारी बातें आपके सामने आयेंगी आपको सुझाव देने का मौका मिलेगा ।

माननीय राणा जी को बताना चाहता हूं कि यह शंका बिल्कुल निराधार है कि अगर प्रबन्धतंत्र किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई आरोप-पत्र भेज देगा उसके लिये वह अनुमति मांगेगा कि हम निलम्बित करना चाहते हैं अगर 3 महीने के अन्दर अनुमति नहीं मिली तो समझ लिया जायेगा कि अनुमति मिल गयी है। इस शंका के कारण भ्रान्तियां पैदा हो रही हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह केवल भ्रान्ति है और उस भ्रान्ति के आधार पर कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि कल शिक्षा मंत्री जी विभिन्न संगठनों से वार्ता हुई, समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने भी पढ़ा कि उनका समाधान हो गया है और अब हड़ताल नहीं होगी । फिर भी अगर कोई शंका है तो हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है ।

एक बात और है कि इस सरकार ने कड़ा कदम उठाया है और वह कड़ा कदम नकल रोकने के लिये इसे संज्ञेय अपराध माना है तो इस मुद्दे से कुछ लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है । उसके अन्दर कोई बात होगी तो बैठकर बात की जाय। सामान्य विद्यार्थी भी अपनी योग्यता के आधार पर विकसित होने का मौका पा सकें । इस नकल अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो ठेके पर नकल कराते रहे हैं उनकी ठेकेदारी समाप्त हो सके । मेरा तात्पर्य यह है कि इस अध्यादेश का विरोध शिक्षकगण क्यों करते हैं, वह न करें । मेरा आपके माध्यम से

सम्पूर्ण प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों से यह अपील करूंगा कि वह इन भ्रान्तियों को समाप्त करें । जो आश्वासन शिक्षा मंत्री जी ने दिया है उसके परिवेश में इस बात को सफल करें कि परीक्षाओं के सफल संचालन में उनका पूर्ण योगदान रहेगा । मैं राणा जी से भी अपनी करूंगा कि इस प्रकार की कोई भ्रान्ति न रखें । वो स्वयं शिक्षक हैं । मैंने भी कुछ समय शिक्षण का कार्य किया है। शिक्षकों की सेवा भर्ती के बारे में मैं गारन्टी देना चाहता हूं कि प्रबन्धतंत्र द्वारा शिक्षकों की सेवा शर्तों में कोई आंच नहीं आयेगी ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, वेतन वितरण के संबंध में भी संदेह व्यक्त किया गया है । तरह-तरह की भ्रान्तियां फैली हैं । इसको भी आप स्पष्ट कर दें ।

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि वेतन विरण के बारे में यह भ्रान्ति कैसे फैली तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो से जो समाचार प्रकाशित व प्रसारित किये गये उसमें शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा कि वेतन वितरण अधिनियम को प्रेंसिपल के माध्यम से करना चाहिये । मान्यवर, अगर आप दो महीने के समाचार पत्र उठाकर देख लेंगे तो समझ जायेंगे कि यह भ्रान्तियां किसने फैलाईं ? एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है उसमें यह कमी थी कि शिक्षकों की नियुक्ति समय से नहीं हो पाती थी । तो माननीय मंत्री जी क्या बतायेंगे कि शिक्षा सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती थी, या मैनेजिंग कमेटी द्वारा उनके द्वारा नियुक्त अध्यापकों को ज्वाइन नहीं कराया जाता था ?

श्री अध्यक्ष-

गुण दोष के आधार पर चर्चा नहीं हो रही है । ग्राह्यता के संबंध में ही बोलें ।

श्री किशोरी लाल-

मान्यवर, जब राजेन्द्र गुप्त जी इधर विरोध में थे तो उन्होंने खुद कई बार इस तरह से प्रश्न उठाया था कि अगर मैनेजिंग कमेटी ज्वाइन न कराये तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये । अच्छा तो होता प्रबन्धतंत्र के अधिकार को समाप्त कर माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग को सक्रिय किया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी की भी बात सुन ली जाय तो तीनों के विचार आ जायेंगे तब आप उत्तर दे दीजियेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस प्रकरण पर जो विषय उठाया था उससे बिल्कुल अलग हटकर

माननीय मंत्री जी ने विषय जोड़ दिया है। वेतन वितरण का विषय था आप उसमें नकल का विषय ले आयें । इतनी जनतांत्रिक भावना इनकी है कि बहुमत के आधार पर आप एक बिल ले गये । विधान परिषद् ने उसको पारित नहीं किया, प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया, लेकिन आप उसमें ठेकेदारी व्यवस्था जोड़ देना चाहते हैं । पुलिस की मदद से नकल कराना या रोकना चाहते हैं, आपको संतोष नहीं हुआ आपने सम्पूर्ण बहुमत का निरादर करते हुये विधान परिषद् को साइन डाई कर दिया । एक आर्डिनेन्स के माध्यम से आप इसे ले आये हैं ताकि पुलिस के माध्यम से नकल करा सकें और पूरी तरह से पुलिस के हवाले कर सकें । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सम्मानित शिक्षक वर्ग पर आरोप लगाया है कि पेट के बल पड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

तिवारी जी बहुत मूल्यवान बात कहते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ज्यादा समझ जाते हैं । कहीं-कहीं प्रश्न का उत्तर प्रश्न से ही दिया जाता है। आप निजी प्रबन्धतंत्र के द्वारा नियुक्तियों के पक्षधर हैं या आयोग के द्वारा कराने के पक्षधर हैं ?

एक सदस्य-

आयोग के द्वारा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

अगर आप आयोग के पक्षधर हैं तो एक के बदले चार आयोग के हवाले यह दे दिया है । हम इस बात के पक्षधर हैं कि जब चयन होगा प्रबन्धतंत्र के पास आप्शन नहीं होना चाहिये कि ज्वाइन न करायें । जो अध्यादेश आने वाला है तब इसमें चर्चा होगी । एक के चार आयोग इसलिये कर दिये गये हैं कि चयन प्रक्रिया में विलम्ब न होने पाये इसका एक दुष्टिकोण नकल वाला भी है । तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही । एक विधेयक प्रवर समिति को चला गया तो वहां से निकलकर सामने आयेगा तो सदन को विचार करने का मौका मिलेगा, उसमें भ्रान्तियां होंगी उसमें विचार होगा ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

संसदीय कार्य मंत्री प्रधानाचार्य हैं, इसलिये वह इसे अपने अधिकारों में लेना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता के बारे में विचार सुन लिये हैं इसमें चर्चा नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया जो सम्मानित शिक्षकों पर आरोप लगाये गये । शिक्षकों के सम्मान में मैं और मेरा दल सदन से बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार किया)

श्री अध्यक्ष-

श्री विजय सिंह राणा एवं अन्य सम्मानित सदस्य तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । नियम 3।। और नियम 56 में कोई कार्यवाही करने का औचित्य नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव

शिक्षकों के सम्मान में ठेस पहुंची है इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री स्वामी नाथ यादव ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

चयनित की गई सूचनाओं में अयोध्या के मामले से संबंधित सूचना आई है। कल पुनः माननीय सदस्य इसको दुबारा दे सकते हैं। चयनित सूचना में जो पहली सूचना है यह श्री लालजी वर्मा, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी जी की है । पांचवीं सूचना के ऊपर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

अयोध्या वाला मामला कल ले लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

कांग्रेस के लोग ग्राह्यता पर बोलने के लिये उपस्थित हैं वैसे आपके निर्देश सिर आंखों पर है । (व्यवधान)

मान्यवर, ग्राह्यता के संदर्भ में बोलने की बात है इसमें श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री नरेश अग्रवाल और हमें कल बुलवा दें ।

(समय 6 बजकर ।5 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

मैं इस पर विचार कर लूंगा। यदि इस पर आपकी तरफ से सूचना ही नहीं आयी तब नहीं, आप सूचना देंगे तो विचार कर लूंगा। मैंने अभी कहा है, इस छूट के साथ निरस्त कर रहा हूं कि माननीय सदस्यगण कल पुनः सूचना दे सकते हैं। आप प्राथमिकता मांग रहे हैं, मान लीजिये आपकी तरफ से सूचना नहीं आयी तो कैसे सूचना ली जा सकती है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मान लीजिये कि मैंने सूचना दे दी है, इसके आधार पर प्राथमिकता दे दीजियेगा ?

**जनपद बांदा में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 3।। के अन्तर्गत सूचना तथा अन्य पर शासन का ध्यानाकर्षण**

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय नसीम उद्दीन सिद्दीकी की बांदा जनपद में पीने के

पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री भारत सिंह रावत एवं श्री पूरन प्रकाश की जो सूचनायें हैं इन सभी सूचनाओं पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने जो सूचना दी है उसमें कुछ बिन्दु लिखने से छूट गये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है । लिखित प्रतिलिपि शासन को चली गई है ।

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

कुछ बिन्दु रह गये हैं जिनका आपकी अनुमति से उल्लेख करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप नई परम्परा न डालें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, जो बिन्दु छूट गये हैं उनको लिखित में ले लें और उनको सरकार के पास भेज दें ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के बारे में व्यवस्था मैंने पहले दे दी है ।

## उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री सूरज सिंह शाक्य)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1992

कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री महाबीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) अध्यादेश, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

## उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992

माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (द्वितीय) अध्यादेश, 1992 को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958, उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 में किये गये संशोधनों का विवरण, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधनों के विवरण के लिये देखिये नत्थी + (ङ))

"विधेयक की अनुसूची (पृष्ठ-4) में अनुदान/क्रम संख्या 53 में, योग के स्तम्भ के नीचे, राजस्व के सामने अंक '14, 17' के स्थान पर अंक '14, 19' और पूंजी के सामने अंक '19' के स्थान पर अंक '17' रख दिया गया है ।"

## श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय का पत्र

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद भाषण के संबंध में, उत्तर प्राप्त हुआ है जिसको मैं पढ़ रहा हूं:-

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके अ0शा0पत्र संख्या 887/वि0स0/संसदीय/109/सं0/91, दिनांक 13 मार्च, 1992 के लिये धन्यवाद ।

---

+ छापा नहीं गया ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा ।

सादर ।

भवदीय
(बी0 सत्यनारायण रेड्डी)

## उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (अंशों का अर्जन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 5 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 8 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी एवं नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1992 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1992 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 9 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का छठां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(4) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश, विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(5) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(6) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

(7) मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 मार्च, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 12 मार्च, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 16 मार्च, 1992 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

## उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संसोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुर:स्थापित करता हूं ।

## कार्य-स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाओं का नियम 31। की सूचनाओं के साथ निस्तारण

श्री अध्यक्ष-

आज जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिये जाने थे, उनका निस्तारण नियम 31। की सूचनाओं के साथ कर दिया गया है ।

## आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का अगले दिन के लिये स्थगन

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में बोलना चाहें तो बोलें।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, पहले माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको कल के लिये स्थगित करता हूं ।

## नियम 51। के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 मार्च, 1992 को नियम 51। के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की प्रदेश में नीलगायों की बढ़ती अत्यधिक संख्या से हो रही किसानों की फसलों की तबाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । दूसरी सूचना श्री हरिचरण यादव की जनपद सुल्तानपुर के थाना पीपरपुर के ग्राम डिगुरपुर मजरा रतापुर में कथित रूप से किये गये अग्निकाण्ड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । शेष सूचनायें अस्वीकृत करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश मेडिकल लैब टेक्नीशियन संवर्ग की अनिश्चितकालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51। के अन्तर्गत वक्तव्य

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा0 अमर सिंह)-

लैब टेक्नीशियन संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 17-12-92 से आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया था:.... ।

(सदन की सहमति से यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री अमर सिंह-

(लैब टेक्नीशियन संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक 17-2-92 से आमरण अनशन प्रारम्भ किया गया था जबकि शासन द्वारा लैब टेक्नीशियन की सेवाओं

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में हड़ताल को अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा-3 की उपधारा-1 के अधीन दिनांक 23-11-91 को निषिद्ध किया गया है। लैब टेक्नीशियन संघ उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुये दिनांक 19-2-92 से हड़ताल पर चले गये थे ।

उत्तर प्रदेश लैब टेक्नीशियन के हड़ताल पर चले जाने के फलस्वरूप स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से दिनांक 20-2-92 को वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये थे तथा तार द्वारा प्रत्येक मण्डल को यह निर्देशित कर दिया गया था कि हड़ताल की प्रतिदिन की स्थिति से वे अवगत कराते रहेंगे । जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पुष्टि हुई थी कि लैब टेक्नीशियन आंशिक रूप से ही हड़ताल पर थे । जिन चिकित्सालयों में लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर थे वहां अधिकांशतः वैकल्पिक व्यवस्था कर दिये जाने की भी सूचना प्राप्त हुई थी ।

लैब टैक्नीशियन संघ की मांगों के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 11-3-92 को एक बैठक हुई थी जिसमें महानिदेशालय के अधिकारियों एवं लैब टेक्नीशियन संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । उक्त बैठक में लैब टैक्नीशियन की मांगों पर बिन्दुवार चर्चा हुई थी तथा निम्न निर्णय लिये गये थे:-

1-लैब टेक्नीशियन संवर्ग में प्रभारी अधिकारी तथा उप निदेशक के पद सृजित किये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे के आधार पर औचित्य दर्शाते हुये प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया जाय ।

2-लैब टैक्नीशियनों की वरिष्ठता के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस संबंध में न्याय विभाग के परामर्श पर ही कार्यवाही की जायेगी ।

3-पैथोलोजिस्ट की अनुपस्थिति में प्रभार भत्ता दिये जाने के संबंध में औचित्य नहीं पाया गया फिर भी प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

4-लैब टैक्नीशिन को जोखिम/पेसेन्ट केयर भत्ता दिये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार की भांति प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाय ।

5-सवारी भत्ते के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग भेजा जाय ।

6-प्राइवेट रोगियों से प्राप्त धनराशि का लाभांश बढ़ाए जाने के संबंध में पुनर्विचार का निर्णय लिया गया ।

7-सेवा नियमावली के प्रख्यापन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न न्यायालय में लम्बित वादों को दृष्टिगत रखते हुये यथासमय कार्यवाही की जाय ।

8-पैथोलोजिस्ट के 50 प्रतिशत पदों पर लैब टैक्नीशियनों को पदोन्नति दिये जाने के संबंध में अलग से पुनर्विचार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

9-लैब टैक्नीशियन के स्थगित प्रशिक्षण को प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

10-लैब टैक्नीशियन को स्नातक कोर्स कराये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि अन्य प्रान्तों-चंडीगढ़/केरल में विद्यमान व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव मंगाया जाय ।

11-लैब टैक्नीशियन के राज्य संवर्ग घोषित किये जाने की कार्यवाही की जाय ।

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, महोदय द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि लैब टैक्नीशियन द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के संबंध में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी । उक्त निर्णयों के फलस्वरूप लैब टैक्नीशियन संघ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है । अब चिकित्सालयों में कार्य सुचारुरूप से चल रहा है ।)

**जनपद उन्नाव में विकास विभाग के शिथिल तथा दोष सिद्ध अधिकारियों के कार्यरत रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 5। के अन्तर्गत वक्तव्य**

श्री हरवंश कपूर-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन.....

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)-

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 5। के अधीन दिनांक 26 फरवरी, 1992 को श्री हृदय नारायण, सदस्य विधान सभा ने जनपद उन्नाव में विकास विभाग के शिथिल और दोष सिद्ध अधिकारियों को वहीं पर कार्यरत रहने से व उत्पन्न स्थिति के संबंध में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना देकर वक्तव्य की मांग की है ।

2-माननीय सदस्य द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि उन्नाव जिले के विकास विभाग में अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या दोष सिद्ध होने के बावजूद उन्हें वहीं बनाये रखने से विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है, असोहा विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी को एक माह निलम्बन पर रखने के बाद फिर से उसी विकास खण्ड में तैनात कर दिया गया है और प्रश्नगत अधिकारी पुनः भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं करने लगे हैं, जिला विकास अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता के आहरण में अनियमितताएं की गई हैं तथा विकास खण्ड कार्यालयों को आवंटित किये जाने आकस्मिक व्यय के मद में अनियमितताएं की गई हैं इत्यादि ।

3-इस संबंध में जनपद से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति यह है कि जिला विकास अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) द्वारा की जा रही है । खण्ड विकास अधिकारी असोहा श्री श्रीबहादुर सिंह एवं सेवा निवृत्त खण्ड विकास अधिकारी सिकन्दरपुर श्री नकुल प्रसाद शुक्ल के विरुद्ध भी जांच की जा रही है । उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध अभी जांच पूर्ण न होने के कारण किसी प्रकार दोषी पाये जाने अथवा न पाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । जनपद के विकास कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है तथा कोई भी कार्य अवरुद्ध नहीं है ।

---

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

4-असोहा विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी श्री बहादुर सिंह को गोसांई खेड़ा के मार्ग के निर्माण में प्राथमिक रूप से दोषी पाये जाने के फलस्वरूप आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 8706 (1)/स्था0 प्र0 दिनांक 7-12-1991 द्वारा निलम्बित किया गया था । निलम्बन आदेश के विरुद्ध श्री श्रीबहादुर सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की । माननीय उच्च न्यायालसय द्वारा दिनांक 13-1-92 को निलम्बन निरस्त कर दिया गया जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः विकास खण्ड असोहा में तैनात कर दिया गया था । जिन्हें अब स्थानान्तरित कर दिया गया है। दुबारा तैनाती के बाद ज्ञानपुर के खासखरा मार्ग के निर्माण के विषय में कथित रूप से निर्माण हेतु दिया गया धन स्वयं निकालने और मजदूरों को न दिये जाने के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है । श्री श्रीबहादुर सिंह खण्ड विकास अधिकारी, जिनको प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये जाने के फलस्वरूप निलम्बित किया गया था, को पुनः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-1-92 के अनुपालन में कार्यरत रखा गया था जिन्हें अब अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है । अन्य किसी दोष सिद्ध अधिकारी को लगातार कार्यरत रखने की बात तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

5-जिला विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा कथित रूप से यात्रा भत्ता लिये जाने में अनियमितता किये जाने के विषय में तथा विकास खण्ड कार्यालयों को भेजे जाने वाले आकस्मिक व्यय के विषय में जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा की जा रही है ।

वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि जिले में विकास कार्य अवरुद्ध नहीं है और जनरोष नहीं है ।(

**प्रदेश में बेतहासा बढ़ रही मंहगाई को रोकने हेतु एक्शन प्लान के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन**

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर इसे स्थगित किया गया है ।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1992-93 की वित्तीय समितियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा स्थाई समितियों में नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव**

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1992-93 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों में सदस्यता के लिये संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, यह सदन श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 1992-93 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों के नाम निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करता है कि वे कृपया उक्त समितियों के नाम निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिये यथा समय सदस्यों को नाम निर्देशन करने के लिये भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सभी समितियों में वर्ष 1992-93 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम निर्देशित करने के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

अब हम उठते हैं, कल ।। बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 27 मिनट पर अगले दिन के ।। बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
23 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

## नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

## दीन दयाल विकास योजना

दीन दयाल विकास योजना का शुभारम्भ दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया । इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर रोजगार सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए प्रोजेक्ट स्वीकृत करने एवं उनको कार्यान्वित करने के लिये माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है । इस टास्क फोर्स के अन्य सदस्य माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय कृषि मंत्री, मानंनीय राजस्व मंत्री, एवं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं । कृषि उत्पादन आयुक्त इस टास्क फोर्स के संयोजक एवं मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं प्रमुख सचिव, नियोजन, सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, नगर विकास, सचिव, ग्राम्य विकास एवं सचिव, मुख्य मंत्री जी इस टास्क फोर्स के सदस्य हैं ।

2-दीनदयाल विकास योजना के अन्तर्गत टास्क फोर्स द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए अलग-अलग योजनायें बनाई जायेंगी । उदाहरण के लिये पर्वतीय क्षेत्र की योजना का स्वरूप अलग तथा बुन्देलखण्ड का अलग । इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही योजनाओं से कई अर्थों में विभिन्न होगा:-

(क) यह किसी वर्ग या जाति विशेष के लिये नहीं है, प्रत्येक वर्ग, जाति या धर्म का सदस्य इनका लाभ प्राप्त कर सकेगा ।

(ख) इनके माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार किसी सीमित अवधि के लिये नहीं होगा बल्कि निरंतर चलता रहेगा ।

(ग) इन योजनाओं में सरकार सेवायोजक नहीं बनेगी बल्कि प्रेरक की भूमिका निभायेगी । यह योजनायें अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जायेगी । यथा सम्भव उसी क्षेत्र के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा ।

(घ) योजनाएं "प्रोजेक्ट अप्रोच" के आधार पर चलाई जायेगी ।

(ङ) विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल एवं उपलब्ध संसाधनों का सही मिश्रण एवं रचनात्मक उपयोग करते हुए इन्हें चलाया जायेगा ।

(च) उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियां विकसित होंगी उनकी प्रेरणा और सहयोग से अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नये आयाम विकसित होंगे ।

3-वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं उससे पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो पा रहे हैं । इनके मुख्य कारण है :-

(अ) सही प्रकार के लाभार्थियों एवं व्यवसायों का चयन न होगा ।
(ब) प्रशिक्षण की कमी ।
(स) स्थानीय स्तर पर पर्याप्त कच्चा माल न मिल पाना ।
(द) विपणन की प्रभावी व्यवस्था का अभाव इत्यादि ।

दीनदयाल विकास योजना के अन्तर्गत इन कमियों को दूर करते हुए निम्नलिखित व्यवस्थाओं को योजनाओं के कार्यान्वयन का अभिन्न अंग बनाया जायेगा:-

(अ) लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में सुधार लाया जाय और यथा सम्भव स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाय ।
(ब) व्यवसाय तथा चयन स्थानीय विशेषज्ञों की राय से परम्परागत शिल्प उपयोगिता तथा खपत की सम्भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए किया जाय ।
(स) व्यवसाय में लगे हुए लाभार्थियों को पर्याप्त रोजगार के माध्यम से जो आर्थिक गतिविधियां सृजित हों उस क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन सुनिश्चित किया जाय ।
(द) लाभार्थियों को समुचित प्रशिक्षण एवं उनके उत्पादन हेतु दक्षता स्तर को बढ़ाया जाय । इस कार्य में स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं एवं विशेषज्ञों से वांछित सहयोग प्राप्त कर लिया जाय ।
(य) इसके साथ ही साथ लाभार्थियों के व्यवसाय को निरन्तरता प्रदान करते हुए कच्चे माल और निर्मित उत्पादन के सही विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । यथासम्भव यह प्रयास हो कि कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध हो एवं बिक्री हेतु भी उन्हें स्थानीय स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान की जाय ।

4-टास्क फोर्स के द्वारा अभी 7 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी:-

(1) पशु विकास की स्वरोजगार योजना ।
(2) बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना ।
(3) सघन मिनी डेरी योजना ।
(4) चर्म वस्तु उत्पादन एवं विपणन योजना ।
(5) न्यू माडल चर्खा स्वरोजगार योजना (पर्वतीय क्षेत्र हेतु)।
(6) रेशम विकास की योजना ।
(7) मत्स्य उत्थान विकास योजना ।

वर्तमान में इन योजनाओं का आच्छादन निम्न प्रकार से है:-

1-पशु विकास की स्वरोजगार योजना:- फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बांदा, जालौन, नैनीताल, हरिद्वार, सहारनपुर ।

2-बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना:- झांसी ।

3-सघन गिनी डेरी योजना:- अलीगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, पीलीभीत, बाराबंकी, पौड़ीगढ़वाल, बस्ती, गोरखपुर, बांदा, कानपुर देहात, अल्मोड़ा, लखनऊ, सीतापुर, मेरठ, बिजनौर, वाराणसी, बलिया ।

4-चर्म वस्तु उत्पादन एवं विपणन योजना:- मेरठ ।

5-न्यू माडल चर्खा स्वरोजगार योजना (पर्वतीय क्षेत्र):- चमोली, पौड़ीगढ़वाल, टेहरीगढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़ ।

6-रेशम विकास की योजना:- शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उन्नाव ।

7-मत्स्य आस्थान विकास योजना:- एटा, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, बहराइच, आजमगढ़, महराजगंज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, मुरादाबाद, वाराणसी, गाजीपुर।

5-इसी प्रकार से भविष्य में प्रदेश के समस्त जनपदों में दीनदयाल विकास योजना लागू किये जाने का लक्ष्य है ।

## नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

**माननीय श्री चन्द्रभान मौर्य द्वारा पुछे गये विधान सभा प्रश्न संख्या 93 के कार्यों का मार्गवार विवरण**

| क्र0सं0 | विकास खण्ड | मार्ग का नाम | मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) | वर्ष 89-90 में कराया गया कार्य मि0 | वर्ष 89-90 में कराया गया कार्य पु0 | वर्ष 90-91 में कराया गया कार्य मि0 | वर्ष 90-91 में कराया गया कार्य पु0 | वर्ष 89-90 तक व्यय की गई धनराशि (लाख रुपये में) | वर्ष 90-91 तक व्यय की गई धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ऐत्मादपुर | नगला सिरजी से गोढ़ी थलू | 1.40 | 0.20 | - | - | 3 | 0.503 | 0.306 |
| 2 | ऐत्मादपुर | चावली से बुर्ज कृपासेन ताज | 2.90 | 1.70 | - | - | 2 | 1.379 | 0.213 |
| 3 | ऐत्मादपुर | ऐत्मादपुर आगरा से नवलपुर मार्ग | 2.01 | - | - | 2.01 | 4 | - | 1.560 |
| 4 | ऐत्मादपुर | चावली माइनर से बुर्ज गंगो | 1.05 | - | - | 0.90 | 3 | - | 0.856 |
| 5 | ऐत्मादपुर | सिंहोरगढ़ से चूहरपुर मार्ग | 2.25 | - | - | 2.25 | 5 | - | 1.876 |
| 6 | खन्दौली | कुरसंडा माइनर से नहरभिल मार्ग | 3.80 | - | - | 3.80 | - | - | 1.675 |
| 7 | खन्दौली | अलेसर से गुढ़ा मार्ग | 1.90 | - | - | 1.90 | 4 | - | 1.606 |
| 8 | खन्दौली | पेसई से चापड़ा मार्ग | 1.55 | - | - | 0.80 | 1 | - | 0.303 |
| | | योग | 16.86 | 1.90 | - | 11.15 | 22 | 1.882 + | 8.395 |
| | | | | | | | | 10.277 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81-82 पर)

| क्र0सं0 | वर्ष | योजना का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में) | स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 90-91 | ज0रो0यो0 | ग्वालियर रोड से भागीराम धर्मशाला से गढ़ी नौहरवार, | 1.14 | 1.288 |
| 2 | 90-91 | ज0रो0यो0 | ग्वालियर रोड से मुरारी की चक्की से मुबारिकपुर ग्राम तक | 0.78 | 0.636 |
| 3 | 90-91 | ज0रा0यो0 | करौंधना सोडरा के बीच का देवरी रोड से फूलपुर सहकारी संघ गोदाम मार्ग | 1.59<br>0.66 | 1.64<br>1.431 |
| 4 | 90-91 | ज0रो0यो0 | आगरा शा0बाद मार्ग से बांगरी होते हुए सेवला गोरखा मार्ग | 0.70 | 0.793 |
| 5 | 90-91 | रख-रखाव | कुर्राचित्तरपुर से शाला ग्राम | 1.00 | 1.000 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90-91 | रख-रखाव | आगरा श0 बाद मार्ग से न0 भिक्की मार्ग | 1.25 | 0.600 |
| 7 | 90-91 | ज0रो0यो0 | धमैना से लहरा मार्ग के बीच का अवशेष भाग | 2.78 | 1.792 |
| 8 | 90-91 | सूखा राहत | धीम श्री इन्टर कालेज से कुम्भपुरा | 2.50 | 0.955 |
| 9 | 91-92 | ज0रो0यो0 | शाहवेद पक्के मार्ग से श0 बाद | 3.00 | 1.85 |
| 10 | 91-92 | ज0रो0यो0 | उटंगन नदी से धनौला कला होते हुए रामपुर मार्ग | 3.00 | 2.50 |

पी0एस0यू0पी0-एल0 143 विधान सभा -(239)-1992-572 (ई0टी0) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा